

उच्चतर मुद्रा तथा बैंकिंग

(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ग्यारहवी कक्षा के लिये)

•

लेखक

डॉ० हरिश्चन्द्र शर्मा

एम ए, एम कॉम, पीएच, डी,

कॉलिज ग्राफ कामस

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

तथा

गोपाललाल भार्गव

एम कॉम, डी एड

प्रधानाध्यापक,

पोद्दार उ० म० बहुउद्देशीय विद्यालय,

रीगस

•

प्रकाशक



कल्याणमल एण्ड सन्स

त्रिपोलिया बाजार जयपुर

1965

मूल्य रु० 1 75 मात्र

प्रकाशक
प्रकाशन-विभाग
कल्याणमल एण्ड सन्स
त्रिपोलिया धाजार, जयपुर

मुद्रक
श्री अजमेरा प्रिंटिंग वर्क्स, जयपुर

दो शब्द

आधुनिक वाणिज्य में बैंकिंग का महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सम्भवतः इसी दृष्टि से उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के वाणिज्य के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में बैंकिंग के अध्ययन की भी व्यवस्था की गयी है। प्रस्तुत पुस्तक वाणिज्य की ग्यारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए लिखी गयी है। इसमें न केवल उनके पाठ्यक्रमानुसार सभी समस्याओं का विवेचन किया गया है बल्कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि इसे पढ़कर विद्यार्थी देश के बैंकिंग विकास की कठिनाइयों तथा सरकार एवं अन्य समस्याओं द्वारा किये गये प्रयत्नों का उचित मूल्यांकन कर सके।

पुस्तक में आरम्भ में अतः सरल एवं प्रचलित भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रायः प्रत्येक समस्या अथवा महत्त्वपूर्ण तथ्यों को उदाहरण देकर स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। सभी अध्यायों के पीछे अभ्यास के प्रश्न दे दिये गये हैं ताकि विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन मिल सके।

प्रस्तुत पुस्तक विद्यार्थियों में बैंकिंग का ज्ञान एवं रचिवद्धन की दृष्टि से लिखी गई है। यदि इससे उनको यथेष्ट लाभ हो सका तो लेखक अपना परिश्रम सफल समझेंगे। अध्यापक व अध्यापिकाओं से अनुरोध है कि वह पुस्तक की यत्किञ्चित् त्रुटियों की ओर सचेत करने की कृपा करें जिसके लिये हम अग्रिम आभार प्रदर्शन करते हैं।

—लेखक द्वय

अनुक्रमिका

1	भारतीय मुद्रा बाजार (Indian Money Market)	1
2	साहूकार एवं देशी बैंकर (Money Lenders & Indigenous Bankers)	13
3	सहकारी साख-आन्दोलन (Co-operative credit Movement)	31
4	स्टेट बँक ऑफ इण्डिया (State Bank of India)	48
5	रिजर्व बँक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India)	68
6	भारतीय चलन का इतिहास (History of Indian Currency)	90

अध्याय I

भारतीय मुद्रा बाजार

(Indian Money Market)

बाजार का अर्थ एक सामान्य नागरिक बाजार शब्द से भली प्रकार परिचित होता है। यदि उससे बाजार के बारे में पूछा जाए तो उसका साधारण उत्तर यही होगा कि बाजार किसी स्थान का नाम है जहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं जिन पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ मिलती हैं। अतः बाजार से तात्पर्य वह स्थान है जहाँ वस्तुओं का नया विक्रय होता है।

अर्थशास्त्र की भाषा में बाजार शब्द का अर्थ कुछ विस्तृत रूप से लिया जाता है। इस रूप में बाजार कोई निश्चित स्थान नहीं बल्कि एक क्षेत्र होता है जिसमें विभिन्न वस्तुओं के खरीदने और बेचने वाले रहते हैं तथा उनमें आपसी स्पर्धा होती है। इस स्पर्धा के फलस्वरूप एक ही प्रकार की वस्तुओं के मूल्य विभिन्न स्थानों पर समान होने की सम्भावना रहती है। इस प्रकार एक सम्पूर्ण या व्यवस्थित बाजार में प्रायः समान वस्तुओं का मूल्य जगह-जगह समान मूल्य होता है। यहाँ केवल इस बात का विशेष महत्त्व है कि बाजार का सम्बन्ध वस्तुओं के खरीदने-बेचने से होता है।

मुद्रा बाजार से क्या तात्पर्य है ? बाजार का सम्बन्ध वस्तुओं के खरीदने-बेचने से है तो क्या मुद्रा बाजार में मुद्रा खरीदी और बेची जाती है ? यह एक अनोखा प्रश्न है परन्तु इसका उत्तर यही है कि मुद्रा बाजार में मुद्रा का नया विक्रय होता है। मुद्रा का नया विक्रय वस्तुओं के नया विक्रय से कुछ भिन्न होता है क्योंकि वस्तुओं की नीति मुद्रा का सीधा उपयोग (खा, पी या पहन कर) नहीं किया जाता। यह थोड़े समय के दाम्ते ली जाती है और काय

निकलने पर लौटा दी जाती है। इस प्रकार मुद्रा बाजार म मुद्रा उधार ली और दी जाती है। इस दृष्टि स मुद्रा बाजार ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहा मुद्रा उधार लेने तथा उधार देने का व्यवसाय होता है जोर उधार लेने जोर देन वाला म सामान्य स्पर्धा रहती है। उधार देने वालो को 'बाज मिलना है जिसे मुद्रा की कीमत (Price of Money) कहत हैं। मुद्रा बाजार म उधार देन वालो म प्राय साहूकार, 'बापारिक बक, सहकारी बक, बीमा कम्पनियाँ तथा अन्य सस्थाएँ' होती हैं जोर उधार लेने वालो मे सामान्य नागरिक 'बापारी उद्योगपति तथा अन्य 'बापारिक एव राजकीय संगठन रहते हैं।

मुद्रा बाजार और पूजो बाजार मे भेद मुद्रा बाजार और पूजो बाजार दोना म ही मुद्रा उधार लेन अथवा देन के सौते होत हैं परन्तु प्रचलित परम्परा के अनुसार मुद्रा बाजार वह है जिसमे केवल अल्पकालीन उधार का लेन देन होता है। इसके विपरीत पूजो बाजार मे दीघकालीन ऋण दिये जाते हैं अथवा पूजो विनियोग होता है। कभी कभी उधार देन वाला एक बप का अर्थात् अल्पकालीन ऋण दना है परन्तु प्रतिबप उसकी अवधि मे वृद्धि कर दी जाती है। ऐसे ऋण दीघकालीन बन जाते हैं। अत अनक बार दीघकालीन अथवा अल्पकालीन ऋणो म भेद करना कठिन होता है। इसलिए मुद्रा बाजार और पूजो बाजार म भेद करना भी कठिन हो जाता हैं। इसीलिए प्रचलित अब म पूजो बाजार को भी मुद्रा बाजार का एक अङ्ग ही मान लिया जाता है।

भारतीय मुद्रा बाजार के अग भारतीय मुद्रा बाजार को दो भागो म विभाजित करने की प्रथा रही है।

यूरोपियन भाग

- 1 रिजर्व बक आफ इडिया
- 2 स्टेट बक आफ इडिया
- 3 विन्नेगी विनियम बक

भारतीय भाग

- 1 साहूकार और महाजा
- 2 दशी बकर
- 3 भारतीय व्यापारिक बक

इन दोनो भागो म तथाकथित यूरोपियन भाग को सरकारी सहयोग तथा प्रोत्साहन मिलता रहा है जब कि भारतीय भाग अपन जाप विकसित हुआ है। सरकार ने उसकी 'बस्था जयवा विनात क तिए विनोय प्रयत्न नही किये।

यह वर्गीकरण उचित नहीं है। वर्तमान में ममय भारतीय मुद्रा बाजार को यूरोपियन तथा भारतीय वर्गों में बाँटना उचित नहीं है क्योंकि स्वाधीनता के पश्चात् रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक राष्ट्रीय बैंक के रूप में काम कर रहे हैं और उनके कर्मचारी भी भारतीय हैं। इसके अतिरिक्त भारत में विदेशी बैंक की जिनगी शाखाएँ हैं वे भी बँकिंग कम्पनी अधिनियम नं० द्वारा 1949 से रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आ गई है। इसलिये भारत के बँकिंग संगठन में अब यूरोपियन भाग अथवा अल्प ज्ञेया अल्प संगठन नहीं है।

संगठित तथा असंगठित मुद्रा बाजार उल्लेख कथन को ध्यान में रखकर भारतीय मुद्रा बाजार के विभिन्न अङ्गों का अल्प आधार पर बाँटना उचित प्रतीत होता है जिनमें एक संगठित भाग है तथा दूसरा असंगठित। भारतीय मुद्रा बाजार के विभिन्न अङ्ग निम्नलिखित हैं

- | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|
| 1 रिजर्व बैंक आफ इण्डिया | } संगठित भाग | |
| 2 स्टेट बैंक आफ इण्डिया | | |
| 3 भारतीय व्यापारिक बैंक | | |
| 4 विदेशी विनिमय बैंक | | |
| 5 सहकारी तथा भूमिपूजक बैंक | | |
| 6 साहूकार अथवा महाजन | | } असंगठित भाग |
| 7 पेशी बैंकर | | |

संगठित भाग में सम्मिलित सम्पादने प्रायः किसी कानून द्वारा नियंत्रित हैं और उन्हें अपने वाणिज्य खाते एवं निश्चित अवधि तक तयार कर उनकी जाँच करवानी पत्ती है और उन्हें प्रकाशित करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इनके साथ भी पारम्परिक विचार विमर्श तथा निश्चित परम्पराओं के अनुसार होने हैं। साहूकार महाजन तथा पेशी बैंकर रिजर्व बैंक के नियंत्रण में मुक्त हैं तथा इनका कार्य अपनी इच्छा के अनुसार होता है। इनमें पारम्परिक संगठन तथा

आधुनिक प्रवार के प्ररघ का अभाव है। अत यह भाग असगठित भाग कहलाता है।

ऋण दाता और ऋण लेने वाला भारतीय मुद्रा बाजार मे ऊपर बतताए गए सातो अङ्ग उधार देने का काम करते हैं। इनमे रिजर्व बक के अतिरिक्त षोप सभी वर्ग उधार अथवा जमा प्राप्त भी करते हैं। उधार लेने वाले वर्गों मे मुख्यत जनता कृषक, व्यापारी उद्योगपति तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार है जो आवश्यकतानुसार ऊपर दिये गये वर्गों मे ऋण प्राप्त करते हैं।

भारतीय मुद्रा बाजार के षोप भारतीय मुद्रा बाजार मे निम्नलिखित षोप हैं

1 सहयोग की कमी भारत मे मुद्रा बाजार के जितने अङ्ग है उनमे पारस्परिक सगठन अथवा सहयोग का सबधा अभाव है। व्यापारिक बको का एक सगठन है किन्तु उसके कवल 38 बक सदस्य हैं (भारत मे कुल बको की संख्या लगभग 200 है) अत उनकी चमा करने, ऋण देने तथा अन्य कार्यों सम्बन्धी नीतियां मे बहुत अंतर रहता है। सभी संस्थाएं एक दूसरी से प्रति योगिता करती हैं। महाजन और साहूकार, सहकारी बक तथा व्यापारिक बक आपस मे सहयोग से काम करने के स्थान पर स्पर्धा करते हैं। इस प्रतियोगिता के फलस्वरूप कभी-कभी अनुचित नीतिया अपना ली जाती है जिससे बको के बंद होने का भय रहता है।

2 साहूकारों से सम्बन्ध किसी देश के मुद्रा बाजार की शक्ति शाली तथा कायशील बनाने के लिये यह आवश्यक है कि दस की साथ तथा मुद्रा व्यवस्था पर केन्द्रीय बक का पूरा नियन्त्रण हो तथा मुद्रा बाजार के सभी अंग सहायता के लिये मुद्रा बाजार पर निर्भर हा। भारत मे यह स्थिति नहीं है क्योंकि साहूकार तथा महाजन रिजर्व बक के नियन्त्रण मे नहीं है। यह लोग भारत के किसानों तथा छोटे कारीगरों की उधार सम्बन्धी लगभग 70 प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अत इनके रिजर्व बक के नियन्त्रण मे न होने के कारण उसकी साख नीति मे सफलता नहीं मिल सकती।

3 बकों का पून विकास भारत मे बर्किंग सुविधाओं का विकास

अभी केवल नगरा तथा बस्को तक सीमित है। देश में बको की केवल 5800 शाखाएँ हैं इनमें से अधिकांश शाखाएँ बनकत्ता प्रम्वई, दिल्ली, मद्रास तथा अन्य बड़े नगरा में हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रा में पूजा निर्माण अथवा जनता की बचतो की प्रोत्साहित करने वाला कोई तत्व नहीं है। अमेरिका जन्म देश में जहाँ की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत है बको के लगभग 20 000 कार्यालय हैं। इण्डिया में भी (जो क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटा है) बको की लगभग 14000 शाखाएँ हैं। बको की शाखाएँ फैलने के कारण उन देशों में बको में खाता खोलने की प्रथा का विकास हो गया है तथा बको की जमा तथा व्यवसाय बहुत बढ़ गया है जिससे मुद्रा बाजार में लेन-देन में प्रगति हुई है। भारत में बको का विकास कम होने से मुद्रा बाजार में शिथिलता रहती है।

4 ब्याज दरों में भिन्नता मुद्रा बाजार के विभिन्न अङ्गों में परस्पर समन्वय न होने के कारण देश के विभिन्न भागों में ब्याज की दरें अथवा भिन्न रहती हैं। यहाँ तक कि स्टेट बैंक तथा अन्य बड़े बैंकों की ब्याज दरों में भी प्रायः अन्तर भिन्नता है। इसके अतिरिक्त फसलें बाने के समय ब्याज की दरों में प्रायः बहुत वृद्धि हो जाती है और फसल बाजार में आने पर दरें बहुत गिर जाती हैं। उदाहरणतः जनवरी-फरवरी में जबकि मुद्रा बाजार में पूजा की अत्यधिक माँग रहती है माचनारा राशि (Call money) पर ब्याज की दर 8 प्रतिशत या उससे भी अधिक हो जाती है जबकि जुलाई, अगस्त में वह गिर कर 2 प्रतिशत या उससे भी कम हो जाती है।

ब्याज दरों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से व्यापारिया तथा सरकार को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें समय पर आवश्यक पूजा उपहार नहीं मिलती और मिलती है तो बहुत महंगी दरों पर।

5 सापनों की कमी बैंकों के पून विकास तथा असंगठन के कारण मुद्रा बाजार में माँग के अनुसार धन मिलना प्रायः कठिन रहता है। इस कमी के कारणों में जनता की कम आमदनी तथा महंगाई भी उत्तमदायी है जिसके कारण लोग उहाँ थोड़ी रकम बचा कर बकों में जमा करने में मगमय होते हैं।

6 लोच एव स्यादित्य कौ कर्मा भारतीय मुद्रा बाजार म कार्य शील सस्याए (बक सहकारी बक तथा साहूकार आदि) प्राय रुचिवादी हैं वे समय तथा आवश्यकता के अनुसार अपनी नीति म परिवर्तन नहीं करती अत देण म बक द्वारा भुगतान करन की पद्धति अथवा बका म नियमित व्यवहार रखने की क्रियाओ का योचित प्रचार नहीं हुआ है। फलत भारतीय मुद्रा बाजार अविकसित एव जड रह गया है।

7 मौसमी आवश्यकताओ की पूर्ति न होना भारत मे नवम्बर स अप्र न मास तक का समय व्यस्त काल माना जाता है क्यकि इस बीच बहुत सी महत्त्वपूर्ण फसला (चावल गन्ना रई) को खरीदन के लिय व्यापारिया और उद्योगपतिया को बहुत रकम की आवश्यकता पडती है। फलत इस काल म पू जी की माग बहुत बड जाती है। अनेक बार इस माग को पूरा करने म बको की कठिनाइ वा सामना करना पडता है। गत वर्षों म रिजर्व बक न इस कठि नाई को दूर करने म सक्रिय बढम उठाये हैं।

8 बिल बाजार का भाव विदेगा म बक प्राय अपनी पू जी का एव महत्त्वपूर्ण भाग व्यापारिक बिलो म लगाते हैं क्यकि व्यापारिक बिलो म पू जी लगाना कई दृष्टिकोणा स लाभदायक है

(क) व्यापारिक बिल प्राय तीन महीन के त्रिय लिख जात है अत बको की रकम लम्बी अवधि क लिय बन्द नशा होती।

(ख) व्यापारिक बिल किसी व्यापारिक लन देन स सम्बन्धित हाने हैं अत निश्चित तिथि पर उनका भुगतान होन म सदेह नहीं रहता क्यकि बिल स्वीकार करन वाला व्यक्ति भुगतान तिथि आने तक मान् बेच कर रकम चुकान की श्चिति म हो जाता है।

(ग) व्यापारिक बिला की कर्त्रीय बक से पुनकटौती कराई जा सकनी है। यदि बक एक तीन मास के बिल म रकम लगा दे और उसे एक मास पश्चात् ही घन की आवश्यकता पड जाय तो बक कर्त्रीय बक से उस बिल की जमानन पर रकम ले सकता है या उसकी पुनकटौती करवा सकता है।

(घ) व्यापारिक बिलो म रकम लगान स देश के व्यापार को प्रोत्साहन

मिलता है।

भारत में बक व्यापारिक विलों में बहुत रकम नहीं लगाते क्योंकि देश में एक सुव्यवस्थित बिल बाजार का विकास नहीं हो पाया है। उदाहरणतः 19 मार्च 1965 को भारत में कायशोल बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणा में लगभग 2042 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई हुई थी जिसमें से केवल 337 करोड़ रुपये अधिक लगभग 17 प्रतिशत राशि व्यापारिक विलों के खरादने अथवा कटौती करने में लगाई हुई थी।

भारत में बिल बाजार विकसित न होने का निम्नलिखित कारण हैं

(1) सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग भारत में बक सरकारी प्रतिभूतियाँ में बहुत राशि विनियोग करते हैं। उनकी पूंजी का प्रायः 40 प्रतिशत भाग सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित रहता है। सरकारी प्रतिभूतियाँ भी ऐसा विनियोजन है जिन्हें सरलतापूर्वक किसी भी समय बचा जा सकता है अथवा रिजर्व बैंक से उनकी धरोहर पर रकम उधार ली जा सकती है। अतः भारत में बैंकों के पास व्यापारिक विला में विनियोजन करने के लिए यथेष्ट पूंजी नहीं होती।

(2) बिल की किस्म भारत में व्यापारिक विला के अतिरिक्त बहुत न मिल अनुग्रह बिल (Accommodation Bills) प्राप्त हैं जिनका किसी व्यापारिक मौदे से सम्बन्ध नहीं होता। बका के लिए केवल व्यापारिक जिला में विनियोग करना ही उचित होता है क्योंकि अनुग्रह बिलों की रकम के यथा समय भुगतान की सम्भावना कम होती है। अतः विलों में पूंजी इमरतिय भी कम लगाई जाती है कि यह बात करना कठिन है कि अमुक बिल व्यापारिक है अथवा अनुग्रहित बिल है।

(3) स्वीकृत भूतों की कमी इंग्लैंड तथा अमेरिका में ऐसी विशेष संस्थाएँ हैं जो विला की स्वीकृति का काम करती हैं, वह सम्पूर्ण स्वीकृतिगृह (Acceptance Houses) कहलाती हैं। इन संस्थाओं को इन बातों का पूरा पता रहता है कि अमुक बिल व्यापारिक है अथवा अनुग्रह बिल है। अतः इनके द्वारा स्वीकार किए गए विला को सरोज्ज्वल या कटौती करने में बैंकों को किसी

प्रकार का संदेह नहीं रहता। भारत में स्वीकृति गृह विलुप्त नहीं है अतः बैंक बिल खरीदने में मकाब का अनुभव करते हैं।

(4) कटौती गृहा का अभाव पाश्चात्य देशों में बिलों को स्वीकार करने वाली गस्थाओं के प्रतिरिक्त ऐसी गस्थाएँ भी हैं जो बिलों की नियमित कटौती का काम करती हैं। ये गस्थाएँ भी बिना व्ययसाय में विशय जान रखती हैं अतः इन्हें धन की आवश्यकता हान पर बैंक इनके बिलों को रख कर महय रखम द देने हैं। भारत में इग प्रकार की गस्थाएँ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भारत का रिजर्व बैंक भी बिलों का कटौती करने में विशेष उत्तार नहीं है।

(5) बिलों की विविधता भारत में लिखे गय बिल प्रायः एक प्रकार के नहीं होते। अतः एक क्षेत्र के बका द्वारा दूसरे क्षेत्र के बिल खरीदने या उनकी कटौती करने में कठिनाई हानी है।

(6) बिलों की भाषा भारत में अन्तर्देशीय बिल प्रायः अपन-अपने क्षेत्र की भाषा में लिखे जाते हैं अतः उनमें विस्तृत क्षेत्र में लन-दन में अनेक बाधाएँ रहती हैं। विदेशी बिल तो सग अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं। अतः उनमें धन विनियोग कर लिया जाता है किन्तु विदेशी बिलों का आसामियों के सम्बन्ध में सूचना या गारंटी सम्बन्धी कठिनाई आती है।

(7) नकद ऋण भारत में प्रायः नकद ऋण देने की प्रथा है क्योंकि दन में चक तथा अन्य साख पत्रों का प्रचार अधिक नहीं है। इसके साथ ही नकद साख का यह लाभ है कि वह किसी भी मात्रा में प्राप्त की जा सकती है तथा आवश्यकता न हान पर रद्द की जा सकती है जिससे बैंक तथा ग्राहक दोनों को लाभ है। फलतः बिलों का प्रचार बहुत नहीं बढ़ सका है।

(8) भारी मुद्राक भारत में सावधि बिलों पर काफी टिकट (Stamp) लगाने पड़ते हैं अतः लोग बिल लिखना पसंद नहीं करते। गत वर्षों में इस दर में कुछ कमी तो हुई है परन्तु फिर भी वह काफी ऊँची है।

(9) लाइसेंस प्राप्त गोदामों की कमी विदेशों में जग व्यापारी एक दूसरे को माल बेचते हैं तो वह उसे लाइसेंस प्राप्त गोदाम में रख देते हैं और बिलों के साथ उस गोदाम की रसीद लगाते हैं। इसमें बैंक का यह विश्वास

हो जाता है कि अमुक बिल वास्तव में किसी व्यापारिक सौदे के कारण लिखा गया है और वह उन निःसंबंध खरीद लेत हैं। भारत में इस प्रकार के गौदामा का अभाव है अतः बिला का प्रचार भी विशेष नहीं बढ़ा है।

मुद्रा बाजार में सुधार के सुझाव भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए

(1) शक्तिशाली बैंक संगठन भारत में बका का एक सध है परन्तु उसके केवल बड़े बड़े बैंक सदस्य हैं और उसमें उहा बका का प्रभुत्व है। अतः बैंकों द्वारा जो निषेध किये जाते हैं उन्हें सब बैंक स्वीकार नहीं करते। बैंक में पारस्परिक सहयोग तथा उनकी नीतियों में समानता लाने की दृष्टि से सब बैंकों को भारतीय बैंक सध (Indian Banks Association) का सदस्य बनाने की चेष्टा करनी चाहिए।

(2) विनियम गृहा की स्थापना भारतीय मुद्रा बाजार को शक्तिशाली बनाने के लिए स्वीकृति गृहा तथा कटौती गृहा की स्थापना करनी चाहिए ताकि बिला का प्रचार अधिक हो सके।

(3) बैंकिंग विकास देश में बका का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया जाना चाहिए ताकि जनता का धन बचाने एवं विनिमय करने की सुविधा मिल सके। इससे मुद्रा बाजार में धन की कमी दूर हो सकती है।

(4) रिजर्व बैंक की नीति मुद्रा बाजार में वाणिज्य सस्याओं का रिजर्व बैंक द्वारा उचित रूप में नियंत्रण करना चाहिए तथा व्यस्तकाल में यथेष्ट मात्रा में साख्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि व्यापार और उद्योगों को आवश्यक वित्त प्राप्त करने में कठिनाई नहीं हो।

(5) देशी बैंकों पर नियंत्रण भारतीय मुद्रा बाजार का उचित विकास तक तब नहीं हो सकता जब तक कि साहकारिता तथा देशी बैंकों को रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं लाया जाएगा अतः साहकारिता तथा देशी बैंकों की क्रियाओं का नियंत्रण करना आवश्यक है।

(6) समाजोपयुक्त गृहों का विकास समाजोपयुक्त गृह ऐसा संस्थाएँ हैं जिनका माध्यम में बका का एक दूरगमल प्राप्त करके बका का गोपनीय अर्थात् सुगम

होता है। भारत में कुल 76 समाशोधन गृह हैं जो देश के विस्तार को देखते हुए कम हैं। प्रत्येक व्यापारिक नगर में जहाँ बकों की पाच छात्राएँ हैं एक समाशोधन गृह की स्थापना करनी चाहिए। हमें अतिरिक्त चका के समाशोधन की पद्धति में भी ऐसे परिवर्तन किये जाने चाहिए कि जिससे उनका समाशोधन सरलता एवं सीधतापूर्वक हो सके।

उपरोक्त पाय करने में भारतीय मुद्रा बाजार अधिनियमों एवं उपयोगी हो सकगा।

बिना बाजार के विकास के उपाय जसा कि ऊपर लिखा जा चुका है भारत में एक व्यवस्थित जिन बाजार का विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए निम्न उपाय करना उचित होगा।

- (1) बिला में एकरूपता लाई जानी चाहिए।
- (2) व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की पुष्टि करने के लिए स्वीकृति गृहों की स्थापना करनी चाहिए।
- (3) लाइसेंस प्राप्त गोणमा का विकास किया जाना चाहिए।
- (4) बिला के मुनाने अवकाश बढ़ाती करने वाली समस्याओं की स्थापना की जानी चाहिए।
- (5) दली बकों की हड्डियाँ का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए पर हड्डियाँ का रूप कानून द्वारा निश्चित करना आवश्यक है।
- (6) मुद्राक वर में कमी की जानी चाहिए।
- (7) अधिक समाशोधन गृहों की स्थापना की जानी चाहिए।
- (8) रिजर्व बक की बिलों की पुनर्विनीति सम्बन्धी नीति उदार होनी चाहिए।

रिजर्व बक की बिल बाजार योजना

भारत के केन्द्रीय बक (जिसका नाम रिजर्व बक है) ने उपरोक्त सब बातों पर विचार कर जनवरी 1952 में एक बिल बाजार योजना लागू की जिसमें विद्यमान ऐंमिन्तिखित थी

(1) रिजर्व बैंक ऐम अनुमूचित बकों को बिला की जमानत पर ऋण जमा जिनकी जमा रकम 10 करोड़ रुपय या अधिक है। यह बिल भारत में निम्न हुए होने चाहिए।

(2) बिल व्यापारिक होने चाहिए तथा उन पर दो अच्छे व्यक्तिया या सस्थाओं के हस्ताक्षर होने चाहिए। इनमें से एक सस्था कोई अनुमूचित बैंक होनी चाहिए।

(3) ऐसे बिला पर दिए गए ऋणों पर बक दर से आधा प्रतिशत कम ब्याज लिया जायगा।

(4) बिला पर लगन वाल मुद्राब कर का आधा रिजर्व बक दगा।

(5) प्रत्येक बिल कम से कम एक लाख रुपय का होना चाहिए।

(6) डम योजना के अन्तर्गत किसी बक को 25 लाख रुपय से कम उधार नहीं दिया जा सकता था।

छोटे बका के लिये संगोषण प्रस्तुत योजना का नाम केवल बड़े-बड़े बक ही उठा सकते थे क्योंकि भारत में उस समय ऐसे बका की संख्या 15 से अधिक नहीं थी जिनके निक्षेप 10 करोड़ रुपय से अधिक हो। अतः 5 जून 1953 से इस योजना का लाभ ऐसे बका को भी देने का निश्चय किया गया जिनकी जमा रकम 5 करोड़ रुपय हो और 1954 में यह योजना सर लाइसेंस प्राप्त अनुमूचित बकों के लिए लागू कर दी गई। 1957 से एक बिल की न्यूनतम राशि भी एक लाख रुपय से घटाकर 50 000 रुपय तथा एक ऋण की राशि 25 लाख रुपय से घटाकर 5 लाख रुपय कर दी गई। फलतः छोट बका को योजना से लाभ उठान का अच्छा अवसर मिल गया।

धन्य सुविधाएँ सन् 1962 में बिल बाजार योजना को विदेशी बिला पर भी लागू कर दिया गया है जिससे भारत के विदेशी व्यापार का काफी प्रोत्साहन मिल सकेगा।

रिजर्व बैंक की बिल बाजार योजना के द्वारा देश में बिलों का प्रचार बढ़ा है परन्तु 1956 में बक द्वारा आधा प्रतिशत ब्याज कम लेन की छूट गमाते कर दी गई और बिला पर लगन वाला टिकट (Stamp) का आधा ब्याज स्वयं

दने की सुविधा का भी अंत कर दिया गया। इन दोनों सुविधाओं के हटाने से विल बाजार योजना को कुछ धक्का पहुँचा है। अंत रिजर्व बैंक द्वारा इन सुविधाओं को फिर से लागू करने पर पुनर्विचार करना चाहिए।

उपसंहार भारतीय मुद्रा बाजार का महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है क्योंकि योजनाओं व अन्तर्गत व्यापार तथा उद्योग की वित्तीय आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं। अंत रिजर्व बैंक तथा भारतीय बैंक सभ द्वारा मुद्रा बाजार की कठिनाइयाँ तथा दोष दूर करके उसे अधिक व्यवस्थित एवं लोचदार बनाना चाहिए जिससे कि देश की आर्थिक प्रगति अबाधित गति से होनी रहे।

अभ्यास के प्रश्न

- 1 मुद्रा बाजार से क्या तात्पर्य है? मुद्रा और पूँजी बाजार में क्या अंतर है?
- 2 भारतीय मुद्रा बाजार के अग्रा का उचित वर्गीकरण कीजिए तथा कारण दीजिए।
- 3 भारतीय मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में कौन-कौन सी समस्याएँ हैं? इन्हें असंगठित क्यों कहते हैं?
- 4 भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित भाग में कौन कौन सी समस्याएँ हैं?
- 5 निम्नलिखित में अंतर लिखिए
मुद्रा बाजार, विल बाजार अनाज मण्डी।
- 6 भारतीय मुद्रा बाजार के क्या दोष हैं? संक्षेप में लिखिए।
- 7 भारत में विल बाजार के अविकसित होने के क्या कारण हैं?
- 8 भारतीय मुद्रा बाजार के विकास के लिये उचित सुझाव प्रस्तुत कीजिए।
- 9 भारतीय मुद्रा बाजार के विकास के लिए निम्नलिखित शब्दों की आवश्यकता है।

(क)

शुद्ध

(ख)

शुद्ध

(ग)

शुद्ध

[उत्तर (क) स्वीकृति

(ख) कटौती

(ग) समाशोधन

अध्याय २

साहूकार एव देशी बैंकर

(Money lenders and Indigenous Bankers)

भारत की अधिकांश जनता गाँवा में रहती है और इसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि की दशा अत्यन्त गिरी हुई है। ग्रामीण जनता की आय बहुत कम है। कृषि सुधारों के लिए धन जुटाना उनके लिए बहुत कठिन समस्या है। हम देखते हैं कि जिस समय भारतीय किसान की फसल पक कर तयार होती है उस समय तो उसके पास धन होता है परन्तु उसके पश्चात् प्रायः वह निधन सा ही रहता है। उसे अपनी फसल की बिक्री के पूव तथा पश्चात् ऋण लेना ही पड़ता है। बीज हल-बल इत्यादि तथा कृषि-सैन्य खरीदने के लिए, भूमि में सुधार करने के लिए, लगान जमा करने के लिए, मछी तब फसल लजाने के लिए, खाने पीने के लिए, शादी विवाह एव अन्य सामाजिक उत्सव मनाने के लिए तथा अन्य बहुत से कार्यों के लिए किसान को समय-समय पर धन की आवश्यकता होती है। साधारणतः साहूकार एव देशी बंकर गाँवा में किसानों को तथा छोटे छोटे शरीरों को ऋण देने का काम करते हैं इन्हें अधिक ब्याज की दर पर ऋण दत्त हैं। हमारे देश में सहकारी साम् समितियों की मर्यादा बहुत कम है और उनके पास पूजा भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। फलस्वरूप किसानों को भारी ब्याज पर भी साहूकारों एव देशी बंकरों से ऋण लेना पड़ता है।

साहूकार

(Money Lender)

साहूकार भारतवर्ष में प्राचीनकाल से चले आते हैं और भिन्न भिन्न

स्थापना पर भिन्न भिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। बंगाल में इन्हें महाजन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में साहूकार पंजाब में लखी बम्बई में शर्माफ मारवाड़ी तथा मेठ गद्रास में चेट्टी आदि। बनिया तथा नानावती भी साहूकार के अर्थ नाम हैं। प्रायः यह लोग ऋण देने के साथ-साथ खेती का साथ तथा व्यापार करते हैं। ये लोग ग्रामीण जनता को अल्पकाल के लिए विगेषत उपभोग के लिए ऋण देते हैं और जमा पर धन नहीं रखते। आधुनिक युग में सभी प्रकार के परिवर्तन हा जान पर भी दान के आर्थिक जीवन में इनका बहुत अधिक महत्त्व है।

साहूकारों के काय

(Functions of Money Lenders)

साहूकार प्रायः व्यापार करते हैं तथा खेती करते हैं और अपने व्यापार के साथ-साथ ग्रामीण जनता को ऋण देते हैं। ये ग्रामीणों को थोड़े समय के लिए जब कि रकम थोड़ी होती है व्यक्तिगत जमानत पर ही ऋण देते हैं। जब ऋण की राशि बड़ी होती है तब भेत मकान, जेवर बंधक रखकर अथवा बाण्ड लिखाकर ऋण देते हैं। किसानों का उनकी फसल की बिक्री कराने में तथा मंडियों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक साहूकार सट्टे बाजार में रूई, चांदी व सोने का सट्टा भी करते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को मुद्रा भेजने का भी काय करते हैं। इनका ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज भी ये ग्रामीण जीवन के एक अनिवार्य तथा उपयोगी अंग बने हुए हैं। इनकी काय प्रणाली बहुत सरल है। अनपढ़ किसान आसानी से इनसे ऋण प्राप्त कर सकता है। यह व्यक्तिगत जमानत पर ही अल्पकाल अथवा दीर्घकाल के लिए उत्पादक तथा अनुत्पादक सभी कार्यों के लिए ऋण देते हैं और किसानों के लिए अनिवाय बने हुए हैं।

ग्रामीण जनता के लिए साहूकारों का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान होते हुए भी उनकी काय प्रणाली में अनेक दोष हैं। ये लोग उत्पादक तथा अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेने वाले किसान की आवश्यकताओं की बिना

जाच पडताल किय ही ऋण दे देन हैं । खाली कागज पर ही ऋण लेने वाले के ग्रूठे की निशानी करवा लेने हैं और वास्तविक धन से अधिक राशि लिख देते हैं । ऋणी पर दबाव डाल कर अनेक काय भुपन करा लेते हैं, उनकी फसल ऋण के भुगतान में सस्ते भाव पर खरीद लेते हैं तथा ऋण बसूनी में बहुत सस्ती में काम लेते हैं । ये लोग बहुत ही ऊँची दर में ब्याज लगाते हैं और खाता खोलते समय भी भेंट के रूप में रुपये काट लेते हैं । विभिन्न जाँच समितियों के अनुसार ये लोग 12 प्रतिशत से 37½% तक ब्याज की दर से ऋण देते हैं ।

देशी बँकर

(Indigenou Bankers)

भारतीय मुद्रा बाजार में साहूकार तथा महाजना के साथ साथ देशी बँकरो का भी महत्वपूर्ण स्थान है । देशी बँकरा की ठीक ठीक परिभाषा करना कठिन है क्योंकि इनको साहूकार व महाजना से पृथक करना कठिन होता है । देशी बँकर वह व्यक्ति या निजी फर्म है जो जनता से जमा पर धन प्राप्त कर हुण्डिया का व्यवसाय करने तथा ऋण देने के कार्य में लगा हो । इनके कार्य तथा कार्य प्रणाली भिन्न भिन्न प्रांता में भिन्न भिन्न प्रकार की है और ये उत्पादन तथा उपभोग दोनों के लिए ऋण देते हैं । केन्द्रीय बँकिंग जाँच समिति के अनुसार देशी बँकर, इम्पीरियल बँक आफ इण्डिया, विदेशी विनिमय बँक व्यापारिक बँक तथा सरकारी बँको का छोड़ कर वे सभी लोग होते हैं जो हुण्डिया का व्यवसाय करते हैं तथा जनता में धन का लेन-देन करते हैं ।

डा० एल सी जैन के अनुसार देशी बँकर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगत फर्म है जो ऋण देने के साथ-साथ जमा पर धन स्वीकार करते हो या हुण्डिया का व्यवसाय करते हो अथवा दोनों काय करते हैं । सभ्य में देशी बँकर उर्हीं सीमा को बँहते हैं जो हुण्डिया का व्यवसाय करते हो राशि जमा रखते हैं तथा ऋण देते हैं साधारणतः ये लोग बँकिंग तथा व्यापार दोनों ही काम करते हैं । उनकी बँकिंग तथा अन्य प्रकार के व्यवसाय में सभी हुई पूजा में कोई भेद नहीं होता । ये लोग भिन्न भिन्न नाम से पुकारे जाते

साहूकार तथा देशी बचरों में भेद

(Difference between Moneylenders and
Indigenous Bankers)

साहूकार तथा देशी बचरों में कई महत्वपूर्ण भेद हैं। मुख्य मुख्य भेद इस प्रकार हैं —

साहूकार (Moneylenders)	देशी बचर (Indigenous Bankers)
(1) यह केवल ऋण देते हैं धन जमा नहीं करते।	(1) यह ऋण देने के साथ-साथ प्रायः जमा पर धन प्राप्त करते हैं।
(2) यह हुण्डियों का व्यवसाय नहीं करते।	(2) यह विशेष रूप से हुण्डियों का व्यवसाय करते हैं।
(3) यह ऋण देने के साथ-साथ अय-व्यापार भी करते हैं जो उनका प्रमुख काय होता है।	(3) यह मुख्यतः बँकिंग व्यवसाय करते हैं और इस काय का इनके लिए विशेष महत्त्व होता है अय-व्यापार का नहीं।
(4) यह ऋण देते समय ऋण लेने के उद्देश्य का ज्ञान आवश्यक नहीं समझते अतः पूछताछ बहुत कम करते हैं।	(4) यह ऋण देते समय इस बात की अधिक पूछताछ करते हैं कि ऋण किस काम के लिए लिया जा रहा है।
(5) यह अपने निजी धन में से ही ऋण देते हैं।	(5) यह अपने निजी धन में से तथा जमा द्वारा प्राप्त पूँजी में से ऋण देते हैं।
(6) यह वृषि के लिए तथा उपभोग के लिए भी ऋण देते हैं।	(6) यह मुख्यतः व्यापार व उद्योग की अय-सहायता के लिए ऋण देते हैं।

(7) इनकी ब्याज की दर देशी बंकर की तुलना में अधिक होती है।

(7) इनके द्वारा साहूकार की तुलना में ब्याज की दर कम ली जाती है।

(8) यह बंकर की अपेक्षा बिना बंधक के अधिक सीमा तक ऋण देते हैं।

(8) यह साहूकार की अपेक्षा बिना बंधक के अधिक सीमा तक ऋण नहीं देते।

यह ध्यान रहे कि देशी बंकरों तथा साहूकारों में उपरोक्त भेद होते हुए भी कभी-कभी इन दोनों में भिन्नता करना कठिन हो जाता है क्योंकि भेद की सीमा बहुत ही सकीण है।

देशी बंकरों तथा आधुनिक बंको में भेद

(Difference between Indigenous Bankers and Modern Banks)

देशी बंकों तथा आधुनिक बंको में भी अनेक महत्वपूर्ण भेद हैं जिनमें से कुछ मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं

देशी बंकर (Indigenous Bankers)	आधुनिक बंकर (Modern Banks)
(1) यह साधारणतया अपनी, अपने परिवार की तथा अपने रिश्तेदारों की पूंजी में व्यवसाय करते हैं।	(1) साधारणतया मिश्रित पूंजी वाली बंक्पनी (Joint stock Companies) के रूप में होते हैं और लोगों को बंधक घन प्राप्त करते हैं।
(2) इनकी शाखाएँ नहीं होती।	(2) इनकी शाखाएँ दूर दूर तक फैली हुई होती हैं।

(3) यह अपनी वायगील पूजी का एक बहुत छोटा सा भाग ही जमा के रूप में प्राप्त करते हैं और घन पूजी के रूप में तो कुछ भी घन एव प्रित नहीं करते।

(4) यह बच व्यवसाय के साथ अपना निजी व्यापार भी करते रहते हैं। कभी कभी ये स्टॉक एक्सचेंज बाजारों में स्टॉक का भी वाय करते हैं।

(5) ये प्रायः छोटे-छोटे श्रमक भारीगरो एव समीपवर्ती व्यक्तियों को ही ऋण देते हैं।

(6) ये अपने घन का अधिकांश भाग बिना किसी जमानत आदि के ही दे देते हैं। इनके वाय में जोखिम बहुत होती है।

(7) इनकी ब्याज की दर अधिक होती है।

(8) ये अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार के ऋण देते हैं।

(9) ये चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति की छाड़ पर ऋण देते हैं और कभी कभी किसी व्यक्ति की जमानत पर ऋण दे देते हैं।

(3) इनका पूण व्यापार घन पूजी के अतिरिक्त मुख्यतः जमा घन (Deposits) पर निर्भर रहता है।

(4) इनका वाय बँकिंग व्यवसाय ही है। अन्य कोई व्यवसाय नहीं करते। इनकी सट्टे सम्बन्धी क्रियाओं पर पूण नियंत्रण रखा जाता है।

(5) ये प्रायः बड़े बड़े व्यवसायियों को ऋण देते हैं। निकट अथवा दूर का कोई विचार नहीं करते।

(6) ये पर्याप्त जमानतों के आधार पर ही ऋण देते हैं। इनकी जोखिम कम होती है।

(7) इनकी ब्याज दर देशी बँकरो की अपेक्षा कम होती है।

(8) मुख्यतः यह अपवानीन ऋण ही देते हैं और इस तरह अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण में भेद करते हैं।

(9) यह बिना किसी जमानत के ऋण नहीं देते और प्रायः यह जमानत भी अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं होती है। ये ऐसी प्रतिभूति (Security)

(10) यह अचल सम्पत्ति गिरवी रख कर लम्बी अवधि के लिए ऋण दे देते हैं।

(11) इनकी काय-प्रणाली नियन्त्रित करने के लिए कोई विधान नहीं है और काय प्रणाली बहुत सरल है।

(12) किसी विधान द्वारा नियंत्रण न होने के कारण वे अपने लेखे तथा हिमाय उचित रीति से नहीं रखते।

(13) ये विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करते।

(14) इनमें प्रायः नकद धन में ही लेन देन होता है इनके द्वारा धना वा चलन नहीं होता है। अतः मास पत्रों के प्रयोग को विनाय प्रोत्साहन नहीं मिलता।

के आधार पर ऋण देते हैं जिसे यह किसी भी समय सरलता से बाजार में बेच सकते हैं।

(10) यह प्रायः अल्पकालीन ही ऋण देते हैं और अचल सम्पत्ति की जमानत साधारणतः स्वीकार ही नहीं करते हैं।

(11) ये पहले भारतीय कंपनी विधान अब भारतीय बैंकिंग कम्पनी विधान, 1949 के अन्तर्गत काय करते हैं।

(12) इनको अपना हिसाब बधा निक रूप से रखना पड़ता है तथा विशेष योग्यता प्राप्त निरीक्षकों द्वारा उसकी जाँच करा कर अपना पूरा वार्षिक चिट्ठा (Annual Balance Sheet) जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित करना पड़ता है।

(13) ये देश के आयात निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए भी धन मुलभ कराते हैं।

(14) बक से धन चक द्वारा निवाला जाता है। इस प्रकार ये मास पत्रों के चलन को प्रोत्साहित करके साख की उत्पत्ति करते हैं।

(15) इनका अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

(16) इनका रिजर्व बक से सम्बन्ध लगभग नहीं के बराबर होता है।

(15) इनका अपने ग्राहकों से व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ सम्बन्ध का अभाव रहता है।

(16) बक पूंजन रिजर्व बक के नियंत्रण में बाधित करते हैं।

देशी बैंकरो के कार्य

(Functions of Indigenous Bankers)

देशी बंकरो के काय हम दो भागा म बाँट सकते हैं अर्थात् बकिंग व्यवसाय से सम्बन्धित काय तथा अन्य प्रकार के काय। बकिंग कायों म मुख्य मुख्य काय इस प्रकार है —

(1) जनता से जमा पर धन प्राप्त करना (Deposits) — यह लोग जनता से धन (Deposits) प्राप्त करते हैं और उस पर ब्याज देते हैं। साधारणतया इनकी ब्याज की दर आधुनिक बंको की दर से ऊँची रहती है। (6 % से 12 % तक) यह बक अन्य लोगों से अधिक मात्रा म जमा राशि स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि जमा कराने वाला द्वारा एकाएक धन राशि वापस निवालने पर इनको आर्थिक सबट म पड़ जाना पड़ता है। अतः यह अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से ही धन राशि जमा करते हैं। बम्बई के देशी बंकरों के अतिरिक्त अन्य बंकर चक्र द्वारा रुपया निवालने की सुविधा नहीं देते हैं।

(2) ऋणों का देना — (Lending of Money) यह देशी बंकरों तथा साहूकारों का सबसे महत्वपूर्ण काय है। यह मुख्यतः व्यापार उद्योग व कृषि कार्यों के लिए ऋण देते हैं। कभी कभी उपभोग कार्यों व लिए भी ऋण दे देते हैं। यह व्यक्तिगत जमानत पर ऋण देते हैं पर रकम बर्तन पर तथा दीर्घकालीन ऋण के लिए यह अच्छे प्रकार की जमानत ही स्वीकार करते हैं। ऋण देते समय यह किसी न किसी प्रकार का बोर्ड लिखवा लेते हैं। व्यापारिक कार्यों के लिए ऋण या तो हण्डियों को खरीद कर अथवा इनकी बटौती करके देते हैं। अच्छी प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर 6 % से लेकर 12 % तक होती है। अपयाम प्रतिभूतियाँ अथवा क्तिता पर चुकाय जाने वाले ऋणों

पर ब्याज की दर कभी कभी 18% से 44% तक होनी है। इनकी ब्याज की दर हमेशा भिन्न होती है और यह ऋण लेने वाले व्यक्ति की साख पर तथा जमानत पर निर्भर रहती है। ये भूमि, जेवर फसल आदि की जमानत पर ऋण देते हैं। ऋण, मांस तथा वस्तुओं के रूप में भी दिया जाता है किन्तु वमूली माल के रूप में ही करते हैं। वागीरों को यह कच्चा माल देते हैं रोकड़ी ऋण देते हैं और उनमें तैयार किया हुआ माल वापस में लेते हैं। इस प्रकार देनी बक्स कुटीर उद्योगों की भी अधिक सहायता करते हैं। कभी-कभी देनी बक्स बड़े बड़े उद्योगों की भी आर्थिक सहायता करते हैं परन्तु गोदामों में रखे हुए माल पर यह ऋण नहीं देते हैं।

(3) दृण्डियों का व्यवसाय करना देनी बक्स विभिन्न प्रकार की दृण्डियों का प्रयत्न करते हैं तथा उनके मुनाफे का काय करते हैं।

दूसरे प्रकार के कार्यों में देनी बक्सों का प्रमुख कार्य गैर वस्तु काय करना है। आजकल इनकी व्यापारिक काय करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये व्यापार अथवा दुकानदारी करते हैं। व्यापार करने की प्रवृत्ति का उद्देश्य, आधुनिक बका की प्रतियोगिता में समय समय पर जी हानि हुई है, उम शक्ति की पूर्ति करने का है। कुछ व्यक्ति अनाज, कपास चाँदी तथा सोने का मट्टा करते हैं और कुछ व्यक्ति व्यापारिक फर्मों के एजेंट (Agents) के रूप में काय करते हैं।

देशी बँकरो के उधार देने के तरीके

(Methods of Lending)

देशी बँकरो की ऋण देने की रीति आधुनिक बँको से बिल्कुल भिन्न है। ये ब्याज की दर प्रायः प्रत्यक्ष ऋण लेने वाले के लिए वृथक-वृथक निर्दिष्ट करती हैं जिससे अधिक से अधिक ब्याज की रकम चालू कर सकें। इनके ऋण देने के तरीके निम्न प्रकार हैं।

(1) प्रतिज्ञा पत्र पर ऋण (Promissory Notes) — देनी बँकर ऋण देने समय ऋणी से एक प्रकार का प्रतिज्ञा पत्र लिखवा लेता है जिसमें वह एक निश्चित अवधि के कच्चा ब्याज और मूलधन दोनों का वापस करता

है। इस प्रतिना पत्र पर ऋणी व अतिरिक्त दो और जमानती हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं और यह गत होती है कि ऋणी द्वारा रुपया न लौटाने पर वह राशि जमानत देन वालों को लौटानी पड़ेगी।

(2) रसीद भयवा टोप (Acknowledgement given) — इस रीति में प्रतिना पत्र के स्थान पर ऋणी से केवल एक रसीद लिखवा ली जाती है। इसमें ब्याज की दर भी लिखवाई जाती है और ऋणा हस्ताक्षर करता है।

(3) दस्तावेज व तमस्तुख (Govt Stamp paper) — ऋणी सरकारी स्टाम्प के कागज पर ऋण का मूलधन, ब्याज की दर और निश्चित अवधि जब वह राशि लौटावेगा लिखता है और अपना वचन देता है। इस प्रकार स्टाम्प कागज पर ऋण का व्यौरा लिखन का दस्तावेज अथवा तमस्तुख लिखना कहते हैं।

(4) किश्त (Fixed instalment) — इस रीति को बनज भयवा रहती भी कहते हैं। इस प्रणाली में ऋण को किश्तों में चुकाने का बायदा किया जाता है। पहली किश्त ऋण दते समय ही काट ली जाती है।

(5) हजाही — यह भी एक प्रकार की किश्त प्रणाली है। ऋण की अदायगी किश्तों में की जाती है। पहली किश्त ऋण दते समय ली जाती है और गण निर्धारित किश्तें जब तक रकम अग्न न हो जावे प्रत्येक दिन वमूल का जाती है।

(6) टिकट-बही — इसमें ऋण की रकम लिख कर टिकट पर ऋणी के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। ऋण की अवधि तथा ब्याज की दर नहीं लिखी जाती है। वे जबानी आपसी बातचीत द्वारा तय कर लेते हैं। याया नयों में यह वही स्वीकार की जाती है।

(7) हाथ उधार — इस प्रकार ऋण लेने पर किसी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं की जाती है। बिना किसी लिखावट के रुपया दे दिया जाता है। कभी कभी इस रीति में ऋणी से गणय लिखा ली जाती है।

(8) गिरवी — इस प्रणाली में सोना, चांदी, जेवर व अन्य मूल्यवान वस्तुओं की आड पर ही ऋण दिया जाता है। इस प्रकार की आड पर वस्तुओं के मूल्य का अधिक न अधिक तीन चौथाई भाग ऋण में लिया जाता है।

(9) रहन (Mortgage) — इस रीति द्वारा सम्पत्ति की आड पर ही ऋण दिया जाता है। रहन तथा गिरवी में केवल यह अंतर होता है कि रहन में भूमि, मकान आदि अचल सम्पत्ति की आड पर और गिरवी में चल सम्पत्ति की आड पर ऋण दिया जाता है।

(10) माल के रूप में ऋण — कृषक को प्रायः वस्तुओं के रूप में ऋण दिये जाते हैं। यह ऋण इस शर्त पर दिया जाता है कि फसल तयार हो जान पर सवाये और क्योड़े करके लौटाया जावेगा। कारीगरों को कच्चे माल के रूप में ऋण दिया जाता है और वह निश्चित कीमत पर तयार माल ऋण दाता को बचने का वायदा करता है।

देशी बैंकरो के दोष

(Evil Practices of Indigenous Bankers)

यह बात निःसंशय माननी पड़ेगी कि देशी बैंकरों का देश के आर्थिक संगठन में विशिष्ट स्थान है। ये अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं पर समाज के द्वारा ये बड़ी उपेक्षित दृष्टि में दखे जाते हैं क्योंकि इनकी कार्य प्रणाली में अनेक दोष पाए जाते हैं —

(1) ये लोग अपेक्षित भारतीय ग्रामीणों को मनमाने ऋण सौदागत हैं। इन का प्रमुख दाप बड़े-मानी का है। इनके व्यवहारों में ऋणी का धोखा देने की प्रवृत्ति अविचल रहती है। ठीक ढंग से हिनाब नही रखना ऋण देते समय ऋण से अधिक रकम लिखा लेना खाली वागज पर हस्ताक्षर करवा लेना और उसके पश्चात् उसमें मनमाने रकम लिख लेना, ब्याज अथवा ऋण का भाग मिलने पर ऋणी का उस रकम की रसीद न देना, लिखाई का पसा अलग लेना, आदि अनुचित मायों से यह लाभ उठाते हैं।

(2) इनकी ब्याज की दर अत्यधिक होती है।

(3) व्याज और ऋण की पूरा रकम बढ़ जाने पर ही वे देना मानती हैं।

सूचना ऋणी को देते हैं। ऋणी के पास इतनी बगी रकम देने के लिए राशि नहीं होती है और माहूवार द्वारा ऋणा न बंधक व रूप म जा जेवर मजान भूमि इत्यादि रखा है खरीद लिया जाता है।

(4) य लोग न तो ऋण का हिसाब रखन हैं और न निरीमता व द्वारा अपने बही खाता की जाच करवात हैं।

(5) साधारण जनता का पमा जमा नहीं करत जिसम उनके पास ऋण देन के लिए कम धन रहता है।

(6) बचन उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देना सबसे उचित रहता है। ऐसे लिए हुए ऋण का पैसा वापस मिलन की सभावना रहती है। विवाह जातीय भोज आदि अनुत्पादक कार्यों व लिए जो ऋण दिया जाता है उमम किमाना को अनावश्यक खच करन को पमा मिल जाता है और बुगी आदत पढ जाती है। देगी बँकर ऋण देत समय उत्पादक तथा अनुत्पादक कार्यों म भेद नहीं मानता है।

(7) चक से पसा निकानन का प्रणाली का देगी बकर नहीं अपनात और पुराने तरीका पर ही काय करत हैं।

(8) ये लोग अपने ढग स काय करत हैं इनम आपसी कोई सगठन नहीं है। इनके द्वारा लो जान वाली ब्याज की दरा म तथा काय प्रणाली म भिन्नता पाई जाती है।

(9) यह ऋण उन वाला स बगार लते हैं तथा आज काय उनम मुफ्त करवाना चाहत हैं।

(10) ऋणा को अपना माल सस्त भाव म देगी बकरो का बचना पडता है तथा आवश्यकता की वस्तुएँ ऊच भाग म उनम खरीदनी पडती हैं।

देशी बैंकरों की काय प्रणाली मे सुधार

तथा इनके विकास के लिए सुझाव

**(Suggestions for the improvement of
Indigenous Bankers)**

देगी बकरा की काय प्रणाली मे अनेक दोष होते हुए भी लगभग सभी वृत्तिग जांच समितियो न स्वीकार किया है कि इनका देग की प्रामोण अय

व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह लगभग 70% ग्रामीण साख की पूर्ति करते हैं। इनका सेवाओं का अंत कर देना ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिए उचित नहीं होगा। इनका तीन दशाओं में सुधार हो सकता है — प्रथम इनकी काय विधि में सुधार द्वितीय इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार तथा तृतीय इनके अनुचित कार्यों का अंत। इस सम्बन्ध में सुझाव निम्न प्रकार हैं —

(1) देशी बकरा को बर्किंग कार्यों के अतिरिक्त और अन्य व्यवसायिक काय एवं सट्टा व्यापार नहीं करना चाहिए। इनका रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए और जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक की शाखाएँ नहीं हैं वहाँ पर इन्हें उनका एजेंट के रूप में नियुक्त करना चाहिए।

(2) रिजर्व बैंक को अन्य व्यापारिक बैंकों की तरह इन पर भी इनकी पूंजी, जमा धन, तथा काय विधि के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए और इसके बदले में इन्हें अप्रिम तथा स्वीकृत-पत्रों की पुनः कटौती की सुविधाएँ देनी चाहिए। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए उन्हें रिजर्व बैंक के पास अपने जमा धन के अनुपात में कुछ राशि जमा करनी होगी।

(3) व्यापारिक बैंकों को भी स्वतंत्रतापूर्वक इनकी हण्डियाँ की पुनः कटौती करनी चाहिए।

(4) इनकी काय विधि में आवश्यक सुधार करके इन्हें आधुनिक आधार पर संगठित किया जावे और इनके प्रबन्धन (Auditing) तथा निरीक्षण की भी समुचित व्यवस्था की जावे।

(5) रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक का इन देशी बँकरो को भी राशि स्थानांतर की सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। इससे इनका मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण स्थान हो जायगा।

(6) देशी बँकरा को सरकार से इस काय के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक होना चाहिए। सिर्फ उन्हीं को लाइसेंस दिया जावे जो निम्न शर्तों का पालन करना स्वीकार करें —

(1) राज की दर निश्चित सीमा के अनुसार कम लेना।

(2) प्रत्येक ऋण का हिसाब ठीक तरह रखें तथा सरकारी ऑडिटर द्वारा जांच करावें।

(3) प्रत्येक ऋण का हिसाब समय समय पर ऋणों के पास भेजें।

(4) ऋण सम्बन्धी प्रत्येक व्यवहार की रसीद ऋणों के माध्यम से भेजें। आशा है कि ऐसे लाइसेंस जारी हो जाने पर देशी बकरा के अनक दोषों का ध्यान हो जावेगा और इनके द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर भी कम हो जावेगी।

(5) देशी बकरा को अपने व्यवसाय का रूपान्तरण विल्स की दलाली के व्यवसाय में करना चाहिए।

(6) अपनी अड़चनों को दूर करने के लिए इन्हें सांठित (Organised) होना चाहिए।

(7) देशी बकरा के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को इस प्रकार के नियम बनाने चाहिए कि उनके अनुचित व्यवहारों का अन्त हो जावे तथा ब्याज की दर भी कम हो सके। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया भी जा चुका है।

(8) विभिन्न राज्य सरकारों ने ऋणा बर्तों की रक्षा के लिए समय समय पर जो नियम बनाये हैं उनका काय-बाहन सतोपजनक नहीं है। यह कमी दूर होनी चाहिए। देशी बकरा के हिसाब विज्ञान की जांच की भारी आवश्यकता है जिससे उनके अनुचित व्यवहार कम हो जायें।

(9) इनको आधुनिक बकों के समान नवीन तरीके से बर्किंग व्यवहार करना चाहिए।

देशी बैंकर और रिज़र्व बैंक

• (Indigenous Bankers and Reserve Bank)

देशी बकरा न सदा स ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग समस्त मुद्रा को आवरणना की पूर्ति की है और नगर क्षेत्रों में भी उनका काफी महत्व है।

अतः यह आवश्यक है कि देशी बकरो का आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में समुचित सम्बन्ध रहे। इस समय रिजर्व बैंक का इन पर कुछ भी प्रभाव नहीं है और उसकी किसी नीति का इन पर असर नहीं पड़ता है। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति की सिफारिशों के आधार पर सन् 1937 में रिजर्व बैंक ने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसके अनुसार कुछ निश्चित शर्तों पर देशी बकर रिजर्व बैंक की स्वीकृत सूची में सम्मिलित हो सकते हैं और इनका रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। ये गतें निम्न हैं —

(1) केवल ऐसे देशी बकरों को रिजर्व बैंक की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है जो कम से कम 2 लाख रुपये में व्यवसाय करते हों और 5 वर्ष में अपने व्यापार को 5 लाख रुपये तक बढ़ाने को तैयार हों।

(2) वे बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य (व्यापार आदि) व्यवसाय छोड़ दें।

(3) वे अपने हिसाब नियमित रूप से रखें और रिजर्व बैंक के द्वारा समय समय पर उनकी जाँच करवाएँ।

(4) अपने हिसाबों को व्यापारिक बकायों की तरह प्रकाशित करते रहें और समय समय पर वे आवश्यक विवरण रिजर्व बैंक को भेजते रहें।

(5) जो देशी बैंकर उपरोक्त व्यवसायों का अन्तगमन रिजर्व बैंक से सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है वे भी अपने मध्य बनावट सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

(6) जो जनता में जमा धन (Deposits) प्राप्त करने के लिए तैयार हों तथा अन्य बैंकों की तरह अपने दायित्वों का निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास जमा कराने के लिए तैयार हों।

(7) इस नियमन के बदल में उन्हें टुण्डिया को पुनः मुतान (Rediscounting of bills) अपना द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने तथा रिजर्व बैंक के पास द्रव्य जमा (Deposit) रखने की सुविधाएँ मिल सकती हैं।

देशी बंकरा ने उक्त सुझाओ एव गतों को अनुपयुक्त बताया तथा इनका बहुत विरोध किया परिणामतः भारतीय बैंकिंग के देशी व आधुनिक अङ्गों के बीच आवश्यक सामञ्जस्य स्थापित नहीं हो पाया है। बवल 7 सस्याओ न ही रिजर्व बक की सुविधाया का लाभ उठान का प्रयत्न किया है। सबसे बडी कठिनाई यह है कि देशी बंकर अपने लाभदायक व्यापारिक व्यवसाय को छोडने को तयार नहीं हैं। सन् 1949 का बैंकिंग विधान देशी बंकरा तथा साहूकारो पर लागू नहा होता है। यदि यह सस्याएँ अपन नाम के माय बक शब्द तथा बंकर का प्रयोग नहा करती है, तो यह विधान इनके कार्यों म भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

देशी बंकरो की वर्तमान स्थिति

(Present Position of Indigenous Bankers)

वर्तमान काल म देशी बंकर स्टेट बक तथा अन्य व्यापारिक बको से निम्न सुविधाएँ प्राप्त करते है।

(1) देशी बंकर अपन ग्राहका स हु डिपॉजिट खरीद करते है तथा इहे स्टेट बक एव अन्य बका से भुना सकते हैं। इस सम्बन्ध म इन बको के पास देशी बंकरा की एव सूची रहती है जिसम प्रत्येक बंकर के नाम के आगे एक रकम लिखी रहती है जिससे अधिक मूल्य की डिपॉजिट भुनान की सुविधा देशी बंकरा का नहीं दा जाती।

(2) प्रतिष्ठा-पत्रा की जमानत पर जिन पर कम स कम दा व्यक्तियों क हस्ताक्षर हो, ये नकद साख (Cash Credit) प्राप्त कर सकते है।

(3) देशी बका पर लिखे गए चक अथवा उनके नाम विय गए रेखांकित चक य बक स्वीकार नहीं करते है।

(4) देशी बंकरो को यह बक एक स्थान से दूररे स्थानो को धन भिजवाने की सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

रिजर्व बक ने 31 मार्च सन् 1953 को एक याज्ञना के अंतर्गत कतिपय अनुमोदित (Approved) गर सदस्य बका अथवा देशी बंकरा को एक

स्थान से दूसरे स्थान में अपेक्षाकृत कम धुन्क पर धन के स्थानान्तरण कराने की सुविधा प्रदान की है।

1957-58 के ग्रामीण साख सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति (Rural Credit Follow up survey) से यह निष्पन्न निकला है कि जिन 12 जिलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से अधिकांश में साहूकार और देशी बंकरों का ग्रामीण साख में प्रभुत्व है। पाच जिला में तो साहूकार या देशी बंकर कुल ग्रामीण साख के 80 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी थे जब कि अन्य चार जिलों में इनका योगदान 60-70 प्रतिशत था। केवल तीन जिला (सोरठ, किवलन तथा जालघर) में साहूकार तथा देशी बंकरों द्वारा बहुत कम ऋण दिए गए थे। इनमें भी सोरठ तथा किवलन में क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत और जालघर में 49 प्रतिशत ग्रामीण साख साहूकार और देशी बंकरों द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। इससे स्पष्ट है कि साहूकार तथा देशी बंकरों का महत्व गिणित क्षेत्र (दक्षिण भारत) में कम हो रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसमें कोई कमी नहीं आई है।

साहूकार तथा देशी बंकरों का भविष्य स्वतंत्रता के पश्चात् विरोधन जब से भारत सरकार ने देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने का निश्चय किया है पचासत राज, सहकारी संगठन तथा मामुदायिक विकास योजनाओं के त्रिमुरी कार्यक्रम द्वारा जन-जागति और आर्थिक विकास की प्रगति हुई है। ग्रामों में इन कार्यक्रमों से चेतना की जो लहर उठी है उसने कारण साहूकार तथा देशी बंकरों का अस्तन होल गया है और वह नये टग के व्यवसाय तथा धंधे अपनाते के लिए बाध्य हो गए हैं। बंकों के विकास के कारण देशी बंकरों की हड्डियां का महत्व दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और मुहती हड्डियां तो प्रायः समाप्त हो गई हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही कुछ समय पूर्व बम्बई सराफा मध्य के अध्यक्ष वासुभाई चिनाम (जो लोकसभा के सदस्य भी हैं) ने यह सुभाव दिया था कि देशी बंकरों को रिजर्व बंकों की धन मान कर रिजर्व बंकों में अनुपातन में आ जाना चाहिए। समय एवं परिस्थितियों की यहा मांग है। आगे वाले वर्षों में साहूकारों तथा देशी

बैंकों की क्रियाओं पर नियंत्रणों का जाल बना होना चायता अत समय रहते धेत जाना ही उनके लिये थपस्कर होगा ।

अन्याम के प्रश्न

- 1 भारतीय साहूकार क कारोबार का वणन कीजिए । आपके विचार मे इनका सुधार अधिक उचित है या उभूतन ।
- 2 भारत मे देगी बकरा का महत्त्व समझाइये ।
- 3 देगी बकर और आधुनिक बैंक का भेद बताइए ।
- 4 देगी बकर और साहूकार का भेद बताइए । भारतीय बैंकिंग प्रणाली में देगी बकर का स्थान बताइये ।
- 5 भारतीय देगी बकरों के कार्यों का उल्लेख कीजिए । उनके दोष समझायें और उन्हें दूर करने के उपाय भी लिखिए ।
- 6 अनेक दोषों के हात भी 'साहूकार' आज भी क्यों चोकिन है ? इनके क्या दोष हैं और उनको दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?
- 7 देगी बकरा से आप क्या समझन हैं ? इनका वर्तमान स्थिति क्या है ?
- 8 देगी बकरों का भविष्य अधिक उज्ज्वल करने बनाया जा सकता है ?

अध्याय 3

सहकारी साख आन्दोलन

(Co operative Credit Movement)

ससार म दो प्रकार की अय व्यवस्थाओ का विशेष प्रचलन है । पहली व्यवस्था पू जीवादी है जिसम प्रत्येक व्यक्ति को उद्योग अथवा व्यवसाय करने की छूट होती है और सरकारी हस्तक्षेप नाम मात्र को होता है । पू जीवाद म पू जीपति लोग लाभ कमाने म स्वतंत्र होते हैं अतः वह धन सग्रह करने मे सफल हो जाते हैं जिससे उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ जाती है । दूसरी व्यवस्था समाजवादी कहलाती है जिसम उत्पादन तथा व्यवसाय के अधिकार साधना पर राज्य का अधिकार होता है । ऐसी स्थिति मे सरकार को मनमानी करने का अवसर मिल जाता है और अनेक बार आवश्यकता की वस्तुएँ मिलनी कठिन हो जाती हैं या बहुत महंगी मिलती हैं ।

सहकारिता मध्यम माग पू जीवादी और समाजवादी अय व्यवस्था के बीच का रास्ता सहकारिता है । सहकारिता के अन्तर्गत निधन अथवा सामायिक के व्यक्ति मिलकर एक सस्था का निर्माण कर लेते हैं । यह सस्था उन व्यक्तियों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उन्हें उचित राय करने की सलाह देती रहते है । इस प्रकार सहकारिता का प्रथम प्रापता सहयोग द्वारा अपनी आवश्यकताएँ पूरी करना तथा पू जीवाद और सरकारी नीयत से बचना है ।

सहकारी साख का उदय महकारी आन्दोलन का आरम्भ इंग्लड मे हुआ जहाँ रायट ओवन ने सबसे पहले महकारी मण्डलों की स्थापना की । इन मण्डलों म प्रत्येक वस्तु अच्छी किस्म की तथा कम मूल्य पर मिलती थी । जमनी म फेडरल विलयन रेवेन्यू और हरमन शुल्क देति न सहकारी साख समितियाँ

स्थापित करने पर बल दिया। इन समितियों का उद्देश्य किसानों तथा मजदूरों के सामान्य व्यक्तियों को कम भुगतान पर श्रम देना था। इनको ग्राम रीफेजन समितियाँ या ग्रामीण साख समितियाँ और शुल्क डेलिवा या नागरिक सहकारी साख समितियाँ कहा जाता है।

ग्रामीण साख समितियों और नागरिक सहकारी साख समितियों में अन्तर

ग्रामीण सहकारी साख समितियाँ	नागरिक सहकारी साख समितियाँ
1 इनका क्षेत्र एक गाँव या दो-तीन ग्रामों तक सीमित होता है।	1 इनका क्षेत्र एक बड़ा नगर तथा कभी-कभी उसके पास के उपनगर होते हैं।
2 इनके एक घर का मूल्य बहुत कम रखा जाता है ताकि प्रत्येक ग्रामवासी कम से कम एक घर खरीद सके। भारत में इन समितियों के घर का मूल्य प्रायः २ रुपये में पाँच रुपये होता है।	2 नागरिक समितियों के घर कुछ बड़े मूल्य के होते हैं। भारत में इनके घरों का मूल्य प्रायः 10 रुपये से 100 रुपये तक होता है।
3 ग्रामीण समितियों की सदस्य संख्या तथा पूँजी कम होती है।	3 श्रम समितियों की सदस्य संख्या तथा पूँजी अधिक होती है।
4 रीफेजन समितियों के सदस्यों का दायित्व प्रायः असीमित होता है। जब-जब यह समितियाँ भी सीमित दायित्व रखने लग गई हैं।	4 नागरिक समितियों के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है।

- 5 ग्रामीण समितियाँ मे प्रायः अल्प-तनिक व्यक्ति काम करते हैं। अब एव सचिव को कुछ वेतन या भत्ता देने की व्यवस्था हो गई है।
- 6 ग्रामीण समितियाँ केवल मन्स्यों को ऋण देती हैं।
- 7 रेफेजन समितियाँ केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देती हैं तथा ऋण देने के पश्चात् उसकी राशि के उपयोग का ध्यान रखती हैं।
- 8 रेफेजन समितियाँ प्रायः अल्प कालीन ऋण देती हैं और ऋण मुख्यतः व्यक्तिगत जमानत पर दिये जाते हैं।
- 9 ग्रामीण समितियाँ साम वितरित नहीं करती, सम्पूर्ण साम, कोप निधि में डाल दिया जाता है।
- 5 नागरिक समितियाँ बड़ी होती हैं अतः उनके अधिकतर कार्यकर्ता वैतनिक होते हैं।
- 6 नागरिक समितियाँ गैर सदस्यों को भी ऋण देती हैं।
- 7 नागरिक समितियाँ उपभोग कार्यों के लिए भी ऋण दे देती हैं और ऋण देने के पश्चात् वह उसके प्रयोग के सम्बन्ध में विशेष ध्यान नहीं देती।
- 8 नागरिक साख समितियाँ मध्य कालीन तथा बर्भी-बर्भी लम्बी अवधि के ऋण भी दे देती हैं। वह ऋण देते समय पूरी धरोहर देती हैं।
- 9 नागरिक साख समितियाँ केवल २५ प्रतिशत साम कोप निधि में रखती हैं। नेप साम सदस्यों को सामांग के रूप में बाँट दिया जाता है।

भारत में सहकारी साख आंदोलन भारत में सहकारी साख आंदोलन की नींव सर फ्रेडरिक निकलसन ने रखी। उन्होंने सन् 1895 में मद्रास में कृषि बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया था और सरकार पर यह जोर दिया कि भारत में सहकारी साख समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। तत्नुसार भारत में सन् 1904 में सहकारी समिति अधिनियम पास किया गया।

सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत केवल प्राथमिक साख समितियाँ बनाने की व्यवस्था थी। परंतु 1912 में नया सहकारी समिति अधिनियम पास किया गया जिसमें दो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ की गईं।

1 साख समितियों के अतिरिक्त अन्य विषय उपभोक्ता तथा अन्य प्रकार की समितियाँ स्थापित करना।

2 सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्रांतीय सहकारी बैंकों की स्थापना करना।

तदनुसार सहकारी साख समितियों तथा अन्य समितियों का विकास तेजी से होने लगा। 1915 में मेक्नेगन समिति ने देश की सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने का सुझाव दिया। सन् 1919 में प्रांतीय सरकारों को सहकारिता सम्बन्धी अलग कानून बनाने का अधिकार मिल गया जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रांतों तथा देशी राज्यों में अलग-अलग सहकारिता कानून बनने आरम्भ हो गये। बम्बई प्रांत ने अपना प्रथम सहकारी समिति अधिनियम 1925 में पास किया तत्पश्चात् मद्रास ने 1932 बिहार और उड़ीसा ने 1935 तथा गुजरात ने 1937 में अपने अपने सहकारी कानून पारित किए और बंगाल में 1940-41 में सहकारी कानून बनाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मंदी और विश्व युद्ध सन् 1929 तक सहकारी आंदोलन निरंतर प्रगति करता रहा किंतु 1930-34 में विश्वव्यापी मन्दी के कारण सभी वस्तुओं के मूल्यों में कमी आ गई जिससे किसानों को बहुत हानि हुई और वह अपने ऋण समय पर न चुका सके जिससे अनेक साख समितियों को बन्द होना पड़ा। कुछ समय पश्चात् मूल्यों की स्थिति में सुधार हुआ जिससे सहकारी आंदोलन में पुनर्प्रगति आने लगी।

द्वितीय युद्धकाल (1939-45) में भी सहकारी आंदोलन निरन्तर गतिशील रहा और उपभोक्ता सहकारी भंडारों ने विशेष प्रगति की क्योंकि चीनी वस्त्र, अनाज, तेल आदि वितरण के बाव में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी गई।

1946 में सहकारी आयोजन समिति (Co-operative Planning Committee) ने यह सुझाव दिया कि सहकारी साख के साथ-साथ कृषि पन्नायों के त्रय विक्रय तथा माल संचारने की क्रियाओं का भी समन्वय और सहयोग किया जाना चाहिए।

स्वतंत्रता प्राप्ति और आयोजन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सहकारी आंदोलन को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। प्रत्येक राज्य में सहकारिता कानून पास कर दिए गए हैं और विभिन्न समितियों (ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, मेहुता समिति आदि) की सिफारिश पर राज्य सरकारों ने सहकारी साख समितियों में प्रत्यक्ष पूंजी लगाना आरम्भ कर दिया है।

सहकारी साख का सगठन भारत में सहकारी साख आंदोलन स्तूपकार (Pyramidal) है। इसका अर्थ यह है कि ग्राम तथा नगर स्तर पर प्राथमिक साख समितियाँ हैं जिनका सम्बन्ध जिलास्तरीय क्षेत्रीय सहकारी बनो स हैं। क्षेत्रीय सहकारी बन प्रत्येक जिले में एक है। क्षेत्रीय सहकारी बनो के ऊपर राज्य सहकारी बन हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बन है और सब क्षेत्रीय सहकारी बन उसके सदस्य हैं।

प्राथमिक साख समितियाँ

- (1) स्थापना एक ग्राम अथवा किसी क्षेत्र के कोई दस व्यक्ति मिल कर एक प्राथमिक सहकारी गांव समिति का निर्माण कर सकते हैं। समिति की रजिस्ट्री करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि उसने सन्तुष्ट एक जसा ही व्यवसाय करा या व्यक्ति ही तथा सहकारिता के सिद्धान्तों से परिचित हो।
- (2) क्षेत्र जो समितियाँ ग्रामों में बनाई जाती हैं उनका क्षेत्र प्रायः एक ग्राम पंचायत के समान होता है अर्थात् एक पंचायत क्षेत्र में एक

प्राथमिक महसारी समिति निर्मा की जाती है। नगरो मे स्थापित होने वाली साख समितियो का क्षेत्र प्राय उडा होता है।

(3) पू जी प्राथमिक साख समितिया की पू जी तीन साधनो से प्राप्त की जाती है। (क) भग बेचकर, (ख) केन्द्रीय सहकारी बक स ऋण लेकर तथा (ग) जनता से जमा रकम प्राप्त कर। भग पू जी म यदि समिति के सदस्य 2000 रूपय मग्रह करते हैं तो उतनी ही राशि सरकार लगा देती है।

(4) मताधिकार सहकारी समितियो म कोई व्यक्ति कितने ही भगो का मालिक हो उसे एक मत से अधिक देने का अधिकार नहीं होता।

(5) प्रबध प्राथमिक समिति का प्रबध एक प्रबधक मण्डल द्वारा किया जाता है। समिति के सारे सदस्य अपनी वार्षिक सभा म प्रबधक मण्डल के सदस्या का चुनाव कर लेते हैं। यह मण्डल समिति के मारे काय का संचालन करता है। सहकारी समिति के कार्यालय का भार प्राय एक सचिव(secretary) के आधीन होता है जो अवतनिक काम करता है या कुछ मता प्राप्त करता है। नगरो म स्थापित साख समितिया के सचिव तथा अन्य कर्मचारियो को वेतन देने की व्यवस्था होती है।

(6) व्यवसाय प्राथमिक साख समितिया केवल अपने सदस्या को ऋण देती हैं। ऋण की मात्रा प्राय सदस्य की पू जी तथा जमा रकम पर निर्भर करती है परन्तु विशेष परिस्थितियो म अधिक ऋण देने की व्यवस्था भी हो जाती है। ऋण केवल व्यक्तिगत जमानत पर दिये जाते हैं और एक वष मे अधिक के लिए नहीं होते।

साख समितिया केवल उत्पादक कार्यों के लिय ऋण देनी हैं और उन पर ब्याज की दर 8 से 12 प्रतिशत तक होती है। ऋण देने के पश्चात् उनकी रकम के सदुपयोग का ध्यान रखा जाता है।

(7) कोष प्राथमिक साख समितिया लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती अत उनका सच निवालने के पश्चात् जो बचत होती है वह प्राय एक कोष निधि म डाल दी जाती है। नगरों म स्थापित समितिया

दस प्रतिशत तक लाभांश बाँट सकती हैं परन्तु लाभांश बाँटने से पहले बचत का 25 प्रतिशत भाग कोष निधि में डालना अनिवार्य है।

(8) प्रयोज्य सहकारी समितियों के खाता तथा हिसाब की जाँच सहकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जाती है और यह हिमाव 30 जून तक की तिथि के लिए तयार किये जाते हैं।

(9) सदस्यता मुक्ति यदि कोई व्यक्ति साख समिति की सदस्यता का त्याग करना चाह तो वह एक लिखित आवेदन कर देता है और उसकी भरा पूजा लौटा दी जाती है। सहकारी साख समितियों के अध्यक्ष अपने भग केवल समिति का अनुमति से ही बच सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि साख समितियों की सदस्यता अवाञ्छनीय व्यक्ति प्राप्त न कर सकें।

भारत में प्राथमिक सहकारी साख समितियों की प्रगति

वर्ग	(रकम लाख रुपयों में)		
	1950-51	1960-61	1962-63
1 सख्या (लाखों में)	1 15	2 24	2 24
2 सदस्य (,)	51 54	216 14	272 37
3 प्रस्त पूजा	840	9072	12161
4 कोष	886	3086	3834
5 निक्षेप	448	1096	—

भारत में प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में प्राथमिक सहकारी साख समितियों की संख्या 1 15 लाख से बढ़ कर 2 24 लाख हो गई है। इनके सदस्यों की संख्या 52 लाख से बढ़ कर 216 लाख हो गई है। इस प्रकार समितियों की संख्या लगभग दुगुनी तथा सदस्यों की संख्या लगभग चार गुनी हुई है। इस अवधि में समितियों की चालू पूजा 22 करोड़ रुपये से बढ़कर 132 करोड़ रुपये बर्खास्त छ गुनी हो गई है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक

भारत में प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित किया गया है। 1962-63 में ऐसे बैंकों की कुल संख्या 386 थी।

दो प्रकार के केंद्रीय सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं प्रथम ऐसे बैंक जिनकी सदस्यता केवल प्राथमिक सहकारी समितियों को प्राप्त है। दूसरे ऐसे बैंक जिनमें व्यक्ति एवं समितियाँ दोनों प्रकार के सम्मिलित हैं।

स्थापना केन्द्रीय बैंकों की स्थापना भी प्राथमिक समितियों की भाँति ही होती है। इनकी सम्पत्ति मुख्यतः प्राथमिक सहकारी समितियों ही प्राप्त करती है और वह इन बैंकों की पूँजी खरीदती है।

प्रबंध केन्द्रीय सहकारी बैंकों का एक मंचानक मंडल होता है जिसके सदस्यों का चुनाव साधारण सभा में किया जाता है। यह मंडल बैंक की नीति निर्धारित करता है और उसका पालन बैंक के मनेजर तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। यह सभी कर्मचारी वेतन भोगी होते हैं।

साधन पूँजी के अनिश्चित इन बैंकों के साधन राज्य सहकारी बैंक से प्राप्त ऋण तथा जनता की जमाआ (Deposits) से प्राप्त होते हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों का केन्द्रीय कार्यालय किसी नगर (जिले के मुख्य नगर) में होता है अतः उन्हें जनता से जमा प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल जाता है।

व्यवसाय केन्द्रीय सहकारी बैंकों का मुख्य कार्य तथा सदस्यों को ऋण देना होता है परन्तु व्यवहार में वह सभी प्रकार का वित्तीय व्यवसाय करते हैं और सदस्यों तथा गैर सदस्यों को ऋण देते हैं। ऋण देते समय केन्द्रीय सहकारी बैंक पूरी जमानत रखते हैं और प्रायः एक से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऋण देते हैं। कृषि ऋण प्रायः व्यापारिक बिलों के आधार पर दिये जाते हैं किन्तु दोष ऋण किसी भी प्रकार की धरोहर पर दिये जा सकते हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ऋण पर प्रायः 6 से 8 प्रतिशत व्याज लिया जाता है।

लाभ तथा कोष प्राथमिक साख समितियों को भाति ही केन्द्रीय सहकारी बक भी अपनी शुद्ध वचत का 25 प्रतिशत एक कोष में स्थानांतरित करते हैं तथा शेष लाभांश के रूप में सदस्यों को वितरित कर देते हैं।

अभ्यक्षक तथा नियंत्रण केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लाभ हानि खाते तथा अर्थ हिसाब किताब की जांच भी सहकारी विभाग के अभ्यक्षकों द्वारा की जाती है। सहकारी विभाग इन बकों की ऋण नीति पर भी नियंत्रण करता है। यह नियंत्रण राज्य सहकारी बक की माफक किया जाता है क्योंकि वह बक ही केन्द्रीय बकों को आवश्यकता के समय ऋण दत्त हैं।

भारत में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की प्रगति

	1951-52	1962-63
1 सख्या	509	386
2 सदस्य (लाखों में)	231	399
3 प्रदत्त ऋण (लाख रु में)	105,64	292 13
4 चालू पूंजी (लाख रु में)	60,11	400 11

केन्द्रीय सहकारी बकों की प्रगति योजना के ग्यारह वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बकों की सख्या 509 से घट कर 386 रह गई। (30 जून 1963 को उनकी सख्या 386 थी)। सख्या में कमी का कारण यह है कि जिस जिले में एक से अधिक केन्द्रीय सहकारी बक था वहाँ समूचे मिल कर एक ही बक स्थापित कर दिया गया। अतः कुछ बैंकों को बन्द करना पड़ा। योजना के ग्यारह वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बकों की चालू पूंजी की राशि 60 करोड़ रुपये में बढ़ कर 400 करोड़ रुपये हो गई है और ऋण दोष 106 करोड़ रुपये से बढ़कर 292 करोड़ रुपये। वन तो विकासशील देशों में बकों के ऋणों की मात्रा बढ़नी स्वाभाविक है परन्तु उनके उचित उपयोग का ध्यान रखना आवश्यक है।

नागरिक सहकारी बक देश के कुछ नगरों में कुछ व्यक्तियों ने मिल कर नागरिक सहकारी बकों की रचना कर ली है। यह बक विनष्ट व्यापार

रिक्त बकों की भाँति काम करते हैं, केवल इनकी रजिस्ट्री सहकारी नियम के अंतर्गत हुई है। नागरिक सहकारी बकों की पूँजी, प्रबंध तथा व्यवसाय सवधा व्यापारिक बकों की भाँति होता है और यह व्यवसाय तथा सेवाओं में व्यापारिक बकों से स्पर्धा करते हैं।

राज्य सहकारी बैंक

भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की गई है। यह बैंक राज्य के सभी सहकारी बैंकों का केंद्र बिंदु होता है क्योंकि यह उनको आवश्यक राशि उधार देता है तथा उनकी नीतियाँ का निर्देशन करता है।

सदस्यता राज्य सहकारी बैंकों की सदस्यता मुख्यतः केंद्रीय सहकारी बैंक को प्राप्त हानी चाहिये परंतु इन बैंकों के प्रबंध में अयशास्त्रियाँ तथा सहकारी आन्दोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को भी स्थान देना उचित समझा गया है ताकि वह समय-समय पर राज्य सहकारी बैंकों की नीति निर्धारण करने में उचित योगदान दे सकें। इस कारण से ही सहकारी बैंकों की सदस्यता केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा विशेष योग्यता वाले कुछ व्यक्तियों को दी गई है।

पूँजी राज्य सहकारी बैंकों की कुछ पूँजी तो ग्रहण बचकर तथा रकम जमा कर प्राप्त की जाती है तथा गैर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से ऋण के रूप में प्राप्त जाती है। यह ऋण सरकारी प्रतिभूतियों कृपि बिलों अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों की जमानत पर प्राप्त किये जा सकते हैं।

व्यवसाय राज्य सहकारी बैंकों द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण दिये जाते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक यह ऋण प्राथमिक समितियों को देते हैं और प्राथमिक साख समितियाँ इन्हें कृषि तथा लघु उद्योगों को दे देती हैं। राज्य सहकारी बैंक अपने ऋणों पर प्रायः 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत व्याज लेते हैं।

प्रबंध राज्य सहकारी बैंक का प्रबंध एक सचालक मण्डल के द्वारा होता है जिसका चुनाव सूर्यस्थों की वार्षिक सभा में किया जाता है। यह

संचालक मण्डल बैंक की ऋण तथा अर्थ नीतियाँ का निर्धारण करता है। राज्य सहकारी बैंक के सभी कर्मचारी वेतनभोगी होते हैं।

राज्य सहकारी बैंक का कार्यालय प्रायः राज्य की राजधानी में होता है अतः उसे बड़े बड़े बैंकों से स्पर्धा करनी पड़ती है। इस दृष्टि से यह बैंक प्रायः व्यापारिक बैंकों के समीप कार्य करते हैं। सहकारी संस्थाओं का प्रायः अपने साथे राज्य सहकारी बैंको अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक में रखते पड़ते हैं क्योंकि उनका उपनियमा में ऐसी ही व्यवस्था हानी है।

गांधीराज्य सहकारी बैंक प्रायः उन स्थानों पर अपनी गांधीराज्य साल दत्त हैं जहाँ केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है भारत में यह नीति अपना ली गई है कि जहाँ केंद्रीय बैंक नहीं है वहाँ कुछ समय राज्य सहकारी बैंक की गांधीराज्य रहेगी किन्तु केंद्रीय सहकारी बैंक खुलने पर वहाँ राज्य बैंक की गांधीराज्य बंद कर दी जायगी।

राज्य सहकारी बैंकों की प्रगति

	1951-52	1962-63
1 सख्या	16	21
2 सदस्यता (हजार)	23	24
3 चाबू पूजा (गांधीराज्य रु म)	36 72	281,51
4 प्रदत्त ऋण	55,27	256 29
5 ऋण राश	20 01	196,51

प्रगति भारत में 1962-63 में 21 राज्य सहकारी बैंक थे जिनकी प्रदत्त पूजा 21 करोड़ रुपये जमा रकम 81 करोड़ रुपये तथा ऋण बैंकों की गांधीराज्य 214 करोड़ रुपये थी।

भूमि बन्धक बैंक

(Land Mortgage Banks)

प्राथमिकता प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ अथवा कोट्रीय और राज्य सहकारी बक प्राय अपवालीन तथा कभी-कभी मध्यकालीन ऋण दे देते हैं परन्तु किसानों को बहुधा भूमि या चल खरोदने अथवा भूमि मुधार करने के लिए लम्बी अवधि के ऋणों की आवश्यकता होती है। साख समितिया या सहकारी बक ऐसे ऋणों का प्रवर्ध नहीं कर सकते क्योंकि इन सस्थाओं के पास जो रकम जमा की जाती है वह प्राय छोटे समय के लिए जमा की जाती है। रिजर्व बक भी अल्पकाल के लिये ऋण देता है अतः दीर्घकालीन ऋण देने के लिए विशेष प्रकार की सस्थाओं का निर्माण करना आवश्यक समझा गया है।

भूमि बंधक बकों की स्थापना का दूसरा कारण यह है कि व्यापारिक या सहकारी बक भूमि की जमानत पर ऋण देना पसन्द नहीं करते क्योंकि भूमि का वास्तविक मूल्य निर्धारित करना कठिन होता है तथा यह निश्चित करने में भी कठिनाई होती है कि जमानत में रखा गई भूमि का अस्तित्व मालिक कौन है।

अथ तथा विशेषताएँ उपर दिये गये व्यौरे से स्पष्ट है कि भूमि बंधक बक किसानों को लम्बी अवधि के ऋण देते हैं तथा इन ऋणों के पीछे कृषि भूमि जमानत में रखी जाती है। भूमि बंधक बकों के पास भूमि का स्वामित्व तथा उसका मूल्य आकने के लिये विशेषज्ञ होते हैं। बहुत बार वह वकीला अथवा भूमि के बारे में जानने वाले व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग भी कर लेते हैं।

ऋण देने की पद्धति सहकारी भूमि बंधक बक प्राय दो प्रकार के होते हैं। एकल बक जो एक सस्था के रूप में होते हैं और जो ऋणों के लिए प्राथमतापत्र स्वयं ही प्राप्त करते हैं स्वयं ही ऋण स्वीकृत करते हैं तथा उनकी वसूली का काम भी उन्हें स्वयं ही करना पड़ता है।

दूसरी प्रकार के बक सघीय बक होत हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्य में एक केन्द्रीय भूमि बंधक बक की स्थापना की जाती है और प्रत्येक जिले में एक एक प्राथमिक या प्राइमरी भूमि बंधक बक स्थापित कर दिया जाता है। प्राथमिक बक अपने जिले के किसानों से ऋण के लिए प्रायना पत्र प्राप्त करता है और उनकी पूरी तरह जाच करता है। वह जमानत के रूप में प्रस्तुत की गई भूमि का मूल्य तथा उसके मालिक के बारे में भी निश्चय कर लेता है। तत्पश्चात् प्राथमिक बक अपनी राय के साथ ऋण सम्बन्धी प्रायना पत्र केन्द्रीय भूमि बंधक बक के मुख्य कार्यालय को भेज देता है। वहाँ प्रत्येक ऋण प्रायना पत्र पर फिर विचार किया जाता है। यह विचार एक केन्द्रीय ऋण समिति द्वारा होता है जिसमें भूमि बंधक बक का चुन हुए विंगपन सदस्य होते हैं। यह समिति प्रत्येक प्रायना पत्र पर विचार कर अपना निणय दे देती है। तत्पश्चात् प्रत्येक ऋण की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना प्राथमिक भूमि बंधक बक को भेज दी जाती है।

जिन व्यक्तियों को केन्द्रीय भूमिबन्धक बक द्वारा ऋण देने की स्वीकृति की जाती है प्राथमिक बक उन्हें इस बात की सूचना दे देते हैं और उनकी भूमि बंधक रखने सम्बन्धी कागजात की अदालत से रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तत्पश्चात् उन किसानों को प्राथमिक बक द्वारा ऋण की रकम दे दी जाती है। ऋण की रकम देने के पश्चात् उस पर छ माहों व्याज तथा अवधि बीतने पर उधार की रकम की बमूली भी प्राथमिक बक ही करते हैं।

अवधि तथा व्याज भूमिबन्धक बक प्राय 7 से 20 वर्ष के लिए ऋण देते हैं तथा उनकी व्याज की दर 8 से 10 प्रतिशत तक होती है। व्याज प्राय छ मास या एक वर्ष के पश्चात् बमूल किया जाता है।

घासू पूजों के स्रोत भूमि बंधक बकों की कुछ पूजों तो अश बच कर प्राप्त की जाती है परन्तु उनकी अधिकांश रकम ऋण पत्र (Debentures) बेच कर प्राप्त की जाती है। यह ऋण पत्र 15-20 वर्ष के लिए होत हैं और इन पर 6-7 प्रतिशत वार्षिक व्याज दिया जाता है।

भारत में प्रत्येक भूमिबन्धक बक द्वारा बच गय ऋण पत्रों की गारंटी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह ऋण पत्र व्यापारिक बैंक, सहकारी

अध्याय 4

स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया

(State Bank of India)

स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया का निर्माण इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के द्वारा हुआ अतः पहले इम्पीरियल बैंक का सक्षित व्यौरा देना उचित होगा ।

इम्पीरियल बैंक ऑफ इन्डिया सन् 1913 में भारत सरकार ने भारत की मुद्रा और बैंक व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की थी जिसे चेम्बरलेन आयोग कहा जाता है । इस आयोग के एक सदस्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर फीस थे । फीस महोदय ने देश के तीन प्रेसीडेंसी बैंकों (बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास प्रेसीडेंसी बैंक) को मिलाकर एक शक्तिशाली बैंक की स्थापना का सुझाव दिया जो भारत के केन्द्रीय बैंक का काम कर सके और देश की मुद्रा और बैंक व्यवस्था का उचित संचालन कर सके ।

प्रथम युद्ध काल (1914-18) में देश के 95 बैंक बंद हो गए क्योंकि उनकी व्यवस्था ठीक नहीं थी और न ही उन पर उचित नियंत्रण था । अतः भारत सरकार ने तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों को मिला कर इम्पीरियल बैंक ऑफ इन्डिया बनाने का निश्चय किया जिसने 27 जनवरी 1921 को कार्य आरम्भ कर दिया ।

उद्देश्य इम्पीरियल बैंक के तीन मुख्य उद्देश्य थे ।

1 भारत की बैंक व्यवस्था को शक्तिशाली बनाना तथा उस पर उचित नियंत्रण रखना ।

- 2 विदेशी बकों में स्पष्टता कर भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि करना।
- 3 ब्रिटिश बकों से सीधा सम्पर्क स्थापित कर भारतीय लन देन को सरल बनाना।

इन तीनों कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए एक साधन सम्पन्न तथा शक्तिशाली संस्था की आवश्यकता थी जो देश के बकों को सहायता प्रदान कर सके तथा विदेशों से सीधा सम्पर्क स्थापित कर भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद कर सके।

पू.जी. तथा प्रबन्ध स्थापित होने के समय इम्पीरियल बैंक की अधि पूजा 11 25 करोड़ रुपये और प्रदत्त पूजा 5 625 करोड़ रुपये थी। यह निम्न प्रकार विभाजित थी।

7,500 भग्ग जिन पर 500 रुपये प्रति भग्ग चुकना था।

1 25 000 भग्ग जिन पर केवल 125 रुपये प्रति भग्ग चुकना था।

प्रदत्त पूजा के अतिरिक्त बैंक की कोष-निधि लगभग 4 14 करोड़ रुपये तथा जमा रकम 6 करोड़ रुपये थी।

केन्द्रीय बैंक क्यों नहीं ? आरम्भ से ही इम्पीरियल बैंक को 12 करोड़ रुपये वार्षिक तब मुद्रा बाजार में डालने का अधिकार था और यह मुद्रा भारत सरकार से प्राप्त की जा सकती थी किन्तु बैंक को न तो स्वयं नोट निकालने का अधिकार दिया गया और न ही उस बकों पर नियंत्रण के कोई अधिकार दिए गए।

सन् 1925 में हिन्टन पंग मुद्रा आयोग ने इस बात पर विचार किया कि इम्पीरियल बैंक को ही देश का केन्द्रीय बैंक बनाया जाय या शिमी नय बैंक की स्थापना की जाय। आयोग के अधिकतर सदस्यों का यह मत था कि इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक नहीं बनाना चाहिए।

केन्द्रीय बैंक न बनने का कारण आयोग ने इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक न बनाने के निम्नलिखित कारण दिए

1 व्यापारिक बक इम्पीरियल बक एव व्यापारिक बक था जिसकी उस समय 300 के लगभग शाखाएँ थी। केन्द्रीय बका क माय सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय बक को व्यापारिक बक का काम नहीं करना चाहिए अत इम्पीरियल बक को यह शाखाएँ बन्द करनी पड़ती जिसमे भारत की बक व्यवस्था को हानि पहुँचती। इस बात का ध्यान रखत हुए यही उचित समझा गया कि इम्पीरियल बक को केन्द्रीय बक नहीं बनाना चाहिए।

2 बक का अविश्वास केन्द्रीय बक एसी सस्या होनी चाहिए जिसमे देश के व्यापारिक बकों का पूण विश्वास हो किन्तु इम्पीरियल बक तदा से भारतीय बैंका से सौनेला व्यवहार करता था और विदेशी बकों को विशेष सुविधाएँ देता था अत भारतीय बक इम्पीरियल बक को बहुत सदेह की निगाह से देखते थे। ऐसी स्थिति में उस केन्द्रीय बक बनाना सबथा अनुचित होता।

3 विदेशियों का प्रभुत्व इम्पीरियल बक का प्रबन्ध पूणत विदेशियों के हाथ में था क्योंकि इसके अधिकतर असाधारी विदेशी थे। यह भारतीयों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने की दिशा में कोई ध्यान नहीं देता था। इस प्रकार इम्पीरियल बैंक राष्ट्रीय भावनाओं के सबथा विरुद्ध था अत उसे केन्द्रीय बैंक का दर्जा नहीं दिया गया।

4 उद्देश्य सामन्तमाना एक व्यावहारिक बैंक होने के नाते इस बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था और बैंक के अधिकारी इस उद्देश्य का त्याग करने के लिए तयार नहीं थे।

1935 के पश्चात् ऊपर बतलाये गए कारणों से इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक बनाने के स्थान पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्थापना की गई जिसने 1 अप्रैल 1935 से अपना काम आरम्भ कर दिया। रिजर्व बैंक की स्थापना होते ही इम्पीरियल बैंक को रिजर्व बैंक का एजेंट नियुक्त कर दिया गया और उस पर से निम्नलिखित प्रतिबंध हटा लिए गए

1 अब वह इच्छानुसार नई शाखाएँ खोल सकता था।

2 उसे देशी तथा विदेशी बिल खरीदने तथा बेचने की छूट मिल गई थी

किन्तु यह त्रिल 6 मास से लम्बी अवधि के नहीं हो सकत थे । इपि विलों की अवधि 9 मास तक हो सकती थी ।

3 इम्पीरियल बैंक को 1935 के पञ्चात् विदेशों में उधार लेने तथा जमा प्राप्त करने की अनुमति मिल गई ।

4 उसे अच्छे अशों तथा प्रतिभूतिया की जमानत पर ऋण देने का अधिकार प्राप्त हो गया ।

इस प्रकार इम्पीरियल बैंक एक पूणत व्यापारिक बैंक बन गया परन्तु उसे सरकार का महयोग और सुरक्षण प्राप्त था । वह न केवल रिजर्व बैंक का एक मात्र एजेंट था बल्कि व्ट् अब भी विशेष अधिनियम के अन्तगत (Imperial Bank of India Act) काय कर रहा था जिसमें भारतीय व्यापारी बैंक वृत्त अप्रसन्न थे ।

इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण

(Nationalisation of Imperial Bank of India)

राष्ट्रीयकरण की भाग इम्पीरियल बैंक को सरकारी अधिकार में लेने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना के तत्काल बाद ही आगोलन आरम्भ कर दिया गया था । भारत के व्यापारिक बैंक इस धान के वृद्धि विरोधी थे कि इम्पीरियल बैंक को ही रिजर्व बैंक का एक मात्र प्रतिनिधि क्यों बनाया गया इसके विरुद्ध अब कई आरोप भी लगाए गए जो निम्नलिखित हैं —

(1) विदेशी बैंक भारतीय बैंक का कथन था कि इम्पीरियल बैंक एक सवया विदेशी बैंक था और वह भारतीय नागरिकों को नौकरी नहीं देता था जिससे भारतवासियों को उन्नत बैंकिंग पद्धतियों में प्रशिक्षण नहीं मिल पाता था ।

(2) पञ्चपाल इम्पीरियल बैंक भारत म्यत्र विदेशी बैंक तथा व्यापारियों, जहाशी तथा बीमा कम्पनियों को अधिक सुविधाएँ देता था और उन्हें ब्याज आदि क सम्प्रदाय म भी रियायत देता था । इनके विपरीत वह भारतीय बैंकों, व्यापारिक संस्थाओं तथा व्यापारियों को ऋण देने म कड़ी कठों लगाता था तथा टांगे अधिक ब्याज वसूल करता था ।

(3) खर्चीना इम्पीरियल बैंक के तीन मुख्य कार्यालय थे जिन पर बहुत अधिक राशि खर्च की जाती थी ।

(4) ऋण तथा विनियोग नीति इम्पीरियल बैंक प्रायः नकद साख देता था जिससे व्यापारिक बिला को प्रोत्साहन नहीं मिलता था । इसके अतिरिक्त वह ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे कस्बा से धन प्राप्त कर नगरों में विनियोग करता था जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होने पाता था ।

स्वतंत्रता के पश्चात् स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार ने 1948 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया । उसी समय पुनः यह मांग की गई कि इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय । बैंक के संचालक मंडल ने सरकार को एक स्मरण पत्र दिया जिसमें राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हुए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत दिये गये ।

(1) कुशलता की हानि : राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध यह तर्क दिया गया कि इम्पीरियल बैंक जो इतनी कुशलतापूर्वक काम कर रहा था सरकारी अधिकार में आने से उसमें लालफीताशाही तथा अकुशलता उत्पन्न हो जायेगी जिससे जनता को बहुत हानि होगी ।

(2) सरकारी एजेंट : यह कहा गया कि इम्पीरियल बैंक के सरकारी (रिजर्व बैंक का) एजेंट होने से उसको विरोध लाभ नहीं है और वह इस कार्य का त्याग करने को तैयार है ।

(3) बैंकिंग व्यवस्था की हानि : संचालक मंडल का यह मत था कि इम्पीरियल बैंक को सरकारी अधिकार में लेने से 91 विदेशी गाछाओं को बंद करना पड़ेगा जिससे देश के विदेशी व्यापार में हानि होगी ।

(4) भारतीयों की नियुक्ति : स्मरण पत्र में यह मत व्यक्त किया गया कि बैंक द्वारा अधिकाधिक भारतीय नागरिकों की नियुक्ति का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया था और इस पर विदेशियों के प्रभुत्व का आरोप निम्न लक्ष्य बतलाया गया ।

ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति का मत : 1949 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति के सामने पुनः इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठाया

गया। समिति ने यह मत व्यक्त किया कि इस बैंक का राष्ट्रीयकरण करना तो उचित नहीं होगा परन्तु इस पर अधिक नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। समिति ने दूसरा सुझाव यह दिया कि इम्पीरियल बैंक द्वारा दस में उन 274 स्थानों पर जल्दी से जन्दी शाखाएँ खोलनी चाहिए जहाँ कि सरकारी कोषागार (treasury) काम कर रहा है। समिति का तीसरा सुझाव यह था कि इस बैंक में भारतीयों की नियुक्ति का क्रम तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीयकरण का सुझाव और पालन अगस्त 1951 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने भारत में ग्रामीण साक्ष्य की समस्याओं पर विचार कर उनके सम्बन्ध में उचित सुझाव देने के लिए एक ग्रामीण साक्ष्य सर्वेक्षण समिति (Rural Credit Survey Committee) नियुक्ति की जिसने 1954 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि इम्पीरियल बैंक को सरकारी अधिकार में ले लेना चाहिए तथा उसे गतिशील बनाने के लिए दस ऐसे बैंकों को उसके साथ मिला देना चाहिए जो पुराने देशी राज्यों में राजाओं अथवा महाराजाओं के प्रयत्नों से स्थापित हुए थे। उन बैंकों के नाम निम्नलिखित थे —

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1 बैंक आफ बड़ोदा | 6 बैंक ऑफ मसूर |
| 2 बैंक आफ बीकानेर | 7 बैंक आफ पटियाला |
| 3 बैंक ऑफ हैदराबाद | 8 बैंक ऑफ राजस्थान |
| 4 बैंक आफ इंदौर | 9 बैंक आफ सौराष्ट्र |
| 5 बैंक ऑफ जयपुर | 10 बैंक ऑफ टावनकोर |

भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और 1 जुलाई 1955 में इम्पीरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रख दिया गया।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ✓

1 पू.ओ.ओ. प्रबंध स्टेट बैंक की अधिकृत पू.जा. 20 करोड़ रुपये है और वह 100-100 रुपय के धनों में बटी हुई है। इम्पीरियल बैंक को

स्टेट बैंक में परिवर्तित करते ही रिजर्व बैंक द्वारा पुराने इम्पीरियल बैंक की 5625 कराड रुपये की कुल पूजा खरीद ली गई। स्टेट बैंक की प्राप्त पूजा उनकी ही रखी गई है। इस बचाकर 125 करोड रुपये किया जा सकता है किन्तु ऐसा करने में पूरा भारत सरकार की अनुमति जना आवश्यक है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि उनकी पूजा का कम से कम 55 प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक पास रहेगा और बाक्य पूजा इम्पीरियल बैंक के जो भगधारी लेना चाहेंगे उन्हें बची जा सकेगी। तदनुसार रिजर्व बैंक ने 1955 में ही इम्पीरियल बैंक की सम्पूर्ण पूजा का खरीद लिया और इम्पीरियल बैंक के जो भगधारी स्टेट बैंक में भग रखना चाहते थे उन्हें आवश्यक भग देने की व्यवस्था कर दी गई। किन्तु इम्पीरियल बैंक के बवल 8 प्रतिशत भगधारियां ने स्टेट बैंक में भग खरीदने की इच्छा प्रकट की जो उन्हें दे दिए गए। गेप 92 प्रतिशत अर्थात् रिजर्व बैंक के अधिकार में है। इस प्रकार स्टेट बैंक एक पूर्णतः सरकारी संस्था नहीं है क्योंकि इसमें निजी व्यक्तियों का भग भी है।

क्षति पूर्ति इम्पीरियल बैंक के भग खरीदने पर रिजर्व बैंक ने उसका भगधारियों को निम्नलिखित क्षति पूर्ति देने का निणय किया

पूर्ण प्रदत्त भग (500 रुपये)	1765 रुपये 10 आने प्रति भग
अर्धत प्राप्त (125 रुपये)	431 रुपये 12 आने 4 पाई प्रति भग

इम्पीरियल बैंक के भगधारियां को उनके भग के मूल्य में से 10000 रु० प्रति व्यक्ति तक नकद देने की व्यवस्था की गई और भग के बचले में 35 प्रतिशत व्याज वाले सरकारी ऋण पत्र दे दिए गए जिनका भुगतान 1965 में करने की व्यवस्था है।

भ्रष्टा सीमा स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक तथा बीमा कम्पनियां, निगमा धार्मिक ट्रस्टा तथा अन्य सावजनिक संस्थाओं को छोड़ कर कोई व्यक्ति 200 से अधिक भग नहीं खरीद सकता। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति अथवा संस्था को भले ही उसका पास कितने ही भग हो एक प्रतिशत से अधिक मत देने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार स्टेट बैंक की व्यवस्था अत्यन्त प्रजातांत्रिक है।

प्रथम स्टेट बैंक का प्रबंध एक केंद्रीय संचालक मण्डल के हाथ में है जिसमें 20 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति निम्न प्रकार की जाती है

1 अध्यक्ष }
1 उपाध्यक्ष } सरकार द्वारा

2 व्यवस्थापक—संचालक मंडल द्वारा किन्तु सरकार के अनुमोदन पर

8 संचालक—सरकार द्वारा। यह व्यक्ति देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के रूप में लिये जाते हैं तथा इनकी नियुक्ति रिजर्व बैंक की सलाह से की जाती है।

6 संचालक—निजी भ्रणधारियों द्वारा

1 संचालक—केंद्रीय सरकार द्वारा

1 संचालक—रिजर्व बैंक द्वारा

केंद्रीय संचालक मण्डल के सभी सदस्य 5 वर्षों के लिए नियुक्त किये जाते हैं किन्तु निजी भ्रणधारियों द्वारा चुने गये संचालकों की नियुक्ति केवल 4 वर्षों के लिए होती है।

स्थानीय संचालक मण्डल स्टेट बैंक का केंद्रीय कार्यालय बम्बई में है और केंद्रीय संचालक मण्डल वही से नीति निर्धारण तथा निर्देशन करता है। केंद्रीय संचालक मण्डल के अतिरिक्त कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, नई दिल्ली, वाराणसी तथा अहमदाबाद में छह स्थानीय संचालक मण्डल हैं जिनमें निम्न निश्चित सदस्य होते हैं

(क) केंद्रीय मण्डल के वह सदस्य जो सम्बंधित स्थानीय मण्डल के क्षेत्र में रहते हैं।

(ख) एक सदस्य सम्बंधित क्षेत्र के भ्रणधारियों द्वारा चुना जाता है।

(ग) तीन सदस्य रिजर्व बैंक की सलाह से भारत सरकार नियुक्त करती है।

2 स्टेट बँक के उद्देश्य तथा सफलता स्टेट बँक के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित रहे गये हैं

(क) एक शक्तिशाली बँक की स्थापना स्टेट बँक का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश में एक शक्तिशाली एवं समर्थ बँक की स्थापना की जाय जो भारत स्थित विदेशी बँकों से स्पर्धा कर सके और देश के व्यापारियों के लिए उचित मात्रा में विदेशी विनियम का प्रबंध कर सके। इससे भारत के विदेशी व्यापार में उन्नति की आशा की गई।

स्टेट बँक अब 20 महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्राओं में लेन देन करता है और प्रायः सभी देशों में स्टेट बँक के प्रतिनिधि हैं जिनके माध्यम से विदेशी भुगतान किया जा सकता है।

(ख) बँकिंग सुविधाओं का प्रारंभ में विस्तार स्टेट बँक की स्थापना का दूसरा उद्देश्य यह था कि देश के विभिन्न भागों-विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बँकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाय। तदनुसार यह निश्चित किया गया कि स्टेट बँक पहले पाँच वर्षों में अर्थात् 30 जून 1960 तक देश के विभिन्न भागों में कम से कम 400 शाखाएँ खोलेगी जिनमें से अधिकतर शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाएँगी।

स्टेट बँक ने 400 नई शाखाओं के लक्ष्य को निर्धारित तिथि के एक मास पूर्व ही पूरा कर लिया और एक जून 1960 को बेराना (उत्तर प्रदेश) नामी स्थान पर स्टेट बँक की 400 वीं नई शाखा खोल दी गई।

शाखा प्रगति

वर्ष	नई शाखाएँ
1955	20
1956	46
1957	91
1958	105
1959	97
एक जून 1960 तक	41

प्रगति में बठिनाइया ऊपर की तालिका में स्पष्ट है कि बैंक द्वारा प्रारम्भिक काल में धीरे धीरे शाखाएँ खोली गईं। यह कोई विशेष बात नहीं है क्योंकि प्रत्येक नये काम के प्रारम्भ में अनेक बठिनाइयाँ आती हैं। स्टेट बैंक द्वारा यह योजना बनानी आवश्यक थी कि जिन जिन स्थानों पर शाखाएँ खोली जाएँ, नई शाखाओं के लिए प्रशिक्षित तथा योग्य कर्मचारियों की व्यवस्था करनी बठिन थी तथा कई स्थानों पर सड़कें आदि न होने पर फर्नीचर तथा अन्य सामान भेजने में बठिनाई आई।

इन बठिनाइयाँ के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर शाखा खोलने के लिये उचित भवन मिलना भी बठिन था। अतः 2-3 वर्षों में इन सब समस्याओं पर कार्य पाया गया और समय में पूर्व ही लक्ष्य की प्राप्ति की गई। यह अत्यन्त सतोष की बात है।

अधिकतर शाखाएँ ग्रामों में स्टेट बैंक की शाखाओं के विस्तार की एक महत्वपूर्ण विगपता यह है कि उसकी अधिकतर शाखाएँ ग्रामों अथवा छोटे कस्बों में खोली गई हैं। उदाहरण रूप में उनकी 400 नई शाखाओं में से 77 ऐसे स्थानों पर खोली गई हैं जिनकी जनसंख्या 10 000 से कम है। तथा 209 ऐसे स्थानों पर जिनकी जनसंख्या 25 000 से कम है। इस प्रकार कुल शाखाओं की संख्या 72 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं। इनमें भी 64 स्थान ऐसे थे जिनमें स्टेट बैंक की शाखा खुलने में पूर्व कोई बैंक नहीं था।

शाखा विस्तार की नवीन योजना जून 1960 में स्टेट बैंक का 400 नई शाखाओं का लक्ष्य पूरा हो गया अतः अविष्यक्त कार्यक्रम में सम्बंध में सत्ताह दिन की दृष्टि से प्रो० कर्वे (D G Karve) की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई जिसने यह सलाह दी कि आगामी पाँच वर्षों में स्टेट बैंक द्वारा 300 नई शाखाएँ खोली जाएँ चाहिए। इनमें से 145 शाखाएँ स्टेट बैंक द्वारा तथा 155 शाखाएँ स्टेट के सहायक बैंक द्वारा खोली जाने की व्यवस्था की गई है।

प्रगति और बचमान विपत्ति : स्टेट बैंक द्वारा एक दूरा 1960 के वर्षका भी शाखा विस्तार का कार्य शुरू रखा गया है। एक वर्षों की प्रगति का व्योम निम्नलिखित है

कार्यालयों की संख्या

1 जन	1960	—	871
31 दिसम्बर	1964	—	1147
			276
	वृद्धि		276

एक प्रकार एक 4 वर्षों में स्टेट बैंक में 276 नए कार्यालयों की स्थापना की है यह विपत्ति निश्चित ही बहुत गंभीरजनक है।

बिदेना शाखाएँ स्टेट बैंक की शाखाओं में भी 7 शाखाएँ हैं। इनमें से एक एक शाखा मन्सूर तथा बीरगंज (भी लख) और पाँच शाखाएँ पाकिस्तान में हैं। स्टेट बैंक ने मन्सूर (जमशेरी) तथा मन्सूर (अमरिका) में भी शाखाएँ खोलने का विचार किया है ताकि भारत के बिदेनी व्यापार सम्बन्धी लेन देन में सुविधा हो सके।

(ग) ग्रामीण बचतों को प्रोत्साहन एक वर्ष में पंचवर्षीय योजनाओं तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण भाग ग्रामों की ओर जा रहा है अतः ग्रामीण क्षेत्रों का बन्नी हुई आय को वीरों के माध्यम से संग्रह करना आवश्यक था ताकि देश में पूँजी निर्माण की मात्रा में वृद्धि हो सके। स्टेट बैंक की स्थापना का एक उद्देश्य यह था कि वह ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिरिक्त आय का संग्रह करने में सहायता करे।

प्रथम पाँच वर्षों में स्टेट बैंक ने जो शाखाएँ खोली उनमें जमा एक लाख 37 करोड़ रुपये थी। इसमें स्पष्ट होता है कि बैंक द्वारा ग्रामीण बचतों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। स्टेट बैंक की बहुत ही शाखाएँ खपवा कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में है जिनमें ग्रामीण जाति को अपनी बचत जमा करने

का अवसर मिला है। इस प्रकार स्टेट बैंक द्वारा ग्रामीण वचतो को सग्रह करने के लिये महत्वपूर्ण सुविधाएँ दी गई हैं।

(घ) ग्रामीण साख (Rural Credit) स्टेट बैंक की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि देश की सहकारी संस्थाओं को उदारता पूर्वक ऋण दिया जाय ताकि वह कृषि, ग्रामोद्योग तथा अन्य लघु कार्य उद्योगों को आर्थिक सहायता दे सकें। इस प्रकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा उद्योग के लिए स्टेट बैंक द्वारा धन देने का लक्ष्य रखा गया था। स्टेट बैंक ने इस उद्देश्य की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्टेट बैंक द्वारा ग्रामीण साख के लिये दी जाने वाली सहायता को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

(1) सामान्य सहायता इसके अंतर्गत स्टेट बैंक राज्य सहकारी बैंको को सप्ताह में एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की सुविधा देता था और इस सेवा के लिए कुछ भी शुल्क नहीं लेता था। अब यह सुविधा सप्ताह में तीन बार भी जान लगी है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहकारी बैंको को सप्ताह में एक बार रकम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा दी जाने लगी है। इस सहायता का अनुमान इस वक्त में लगता है कि सन् 1964 में स्टेट बैंक द्वारा सहकारी बैंको को लगभग 445 करोड़ रुपये की राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी गयी।

ऋण रकम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की निःशुल्क सुविधा के अतिरिक्त स्टेट बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंको को सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण देता है और इन पर सामान्य दर में आधा प्रतिशत कम ब्याज लेता है। बैंक द्वारा मान की धरोहर तथा मरुवारी गारंटी पर भी ऋण दिए जाते हैं। 1964 के अंत तक स्टेट बैंक की सहकारी बैंको में लगभग 10 करोड़ रुपये की ऋण राशि बाकी थी।

(2) क्रय विक्रय तथा भात सवारने के लिए साख स्टेट बैंक क्रय विक्रय तथा भात सवारने वाली सहकारी समितियों को भात की धरोहर पर ऋण देता है। कभी-कभी इस प्रकार की समितियों को बिना जमानत के ऋण भी दिए जाते हैं। 1964 के अंत में स्टेट बैंक द्वारा क्रय विक्रय तथा भात

और दीघकालीन ऋण देने के लिए वह राज्य वित्त निगमों के प्रतिनिधि का काम करता है। यदि ऋण लेने वाली सभ्या कोई सहकारी ममिति हो तो ऋण सहकारी ढैंक के माध्यम से ही दिए जाता है।

मध्यकालीन ऋण सन् 1957 में पून स्टेट ढैंक केवल अल्पकालीन ऋण ही दे सकता था किन्तु उसके बाद वह सात बष तक के ऋण देने का अधिकारी बन गया है। यह ऋण उद्योगों को सम्पत्ति को धरोहर पर दिए जाते हैं।

लघु उद्योग निगम का एजेंट सन् 1958 से स्टेट ढैंक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का प्रतिनिधि बन गया है और वह उन औद्योगिक इकाइयों को माल बनाने के लिए ऋण देना है जो लघु उद्योग निगम के आदेश पर माल बना कर सरकार को बेचती हैं।

विदेशी ऋण की गारन्टी स्टेट ढैंक सीमेन्ट, रसायन कागज आदि 13 उद्योगों के उन ऋणों की गारन्टी करता है जो वह विदेशों से प्राप्त करते हैं। स्टेट ढैंक की गारन्टी पर इन उद्योगों को विदेशों से मशीनें तथा औजार आदि उधार मिल जाते हैं और उन्हें उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है। इस योजना के अन्तर्गत 1964 के अन्त में 66 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके थे।

केन्द्रीय साम्ब गारन्टी योजना भारत सरकार ने 1 जुलाई 1960 में एक योजना का घोषणा की जिसका उद्देश्य लघु उद्योगों का उदारतापूर्वक ऋण दिनामा है। इस योजना का विवरण रिजर्व ढैंक नामी अध्याय में दिया गया है। स्टेट ढैंक ने इस योजना का सर्वाधिक लाभ उठाया है और वह उसके अन्तर्गत लघु उद्योगों को 158 करोड़ रुपये में अधिक के ऋण दे चुका है।

गहन केंद्र साम्ब ऋण योजनाओं के अनिश्चित स्टेट ढैंक लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए समय समय पर कुछ गहन केंद्र स्थापित करता है। इन केंद्रों में (जो ढैंक की गांवाभा में स्थापित होते हैं) विशेष अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं जो उन क्षेत्रों में लघु उद्योगों की समस्याओं का विशेष अध्ययन करते हैं और लघु इकाइयों को ऋण देने की व्यवस्था करते हैं। वर्तमान में इस प्रकार के केंद्रों की संख्या 60 है।

संचालन नीति ममान हो जायगी, इनमें सहयोग स्थापित होगा और देश में बैंकिंग सुविधाओं का विकास हो मकेगा ।

(4) हानि की पूर्ति इन आठों बैंकों द्वारा तो भी नई गाथाएँ देश के विभिन्न भागों में खुलेगी उन पर जो हानि होगी उसकी पूर्ति स्टेट बैंक में निर्मित अनुकूलन एवं विकास कोष (Integration and Development Fund) से हो मकेगी ।

कोष कुछ लोगों को यह भय था कि स्टेट बैंक के महायुक्त बनने में इन बैंकों में भी निम्नलिखित दोष आ जाए में ।

1 इन बैंकों में सत्ताशाही की भावना का उदय हो जायगा और व्यक्तिगत सम्पत्ति की परम्परा समाप्त हो जायगी ।

2 इन बैंकों में लालफीताशाही के कारण अकुशलता आने का भय रहेगा ।

3 इन बैंकों में दूर दूर के क्षेत्रों से कामचारी नियुक्त हागे जो स्थानीय समस्याओं से परिचित नहीं होंगे अतः विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक विकास तथा व्यापारिक उन्नति में बाधा उत्पन्न होगी ।

महायुक्त बैंकों का प्रबंध स्टेट बैंक के महायुक्त बैंकों के नाम के साथ स्टेट बैंक जोड़ दिया गया है । इनके संचालन मण्डल में सदस्य निम्न प्रकार मनोनीत होते हैं

- 5 सदस्य—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
- 1 " -रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
- 1 " -केन्द्रीय सरकार
- 2 -निजी प्राधिकारियों द्वारा

स्टेट बैंक का अध्यक्ष प्रधान बैंक के संचालक मण्डल का अध्यक्ष है । अतः प्रत्येक बैंक के संचालक मण्डल में दस सम्प्य हैं ।

पूरी स्टेट बैंक के महायुक्त बैंकों की पूंजी का पुनर्गठन किया गया है और उनके कम से कम 55 प्रतिशत धन स्टेट बैंक के अधिकार में हैं और कोष बनता ही बंध सिद्ध मय है ।

स्टेट बैंक के एजेंट महायव बैंक, सत्र स्थाना पर जहाँ स्टेट बैंक की शाखाएँ नहीं हैं स्टेट बैंक के प्रतिनिधि का काम करते हैं। यह स्टेट बैंक की शाखा विस्तार नीति में सश्रिय सहयोग दे रहे हैं। इन बैंकों को प्रत्यक्ष नई शाखा खोलने पर हानि वाली हानि की पूर्ति के लिए स्टेट बैंक के अनुकूलन एय विकास ऋण में पहले वष कुल हानि का 100 प्रतिशत, दूसरे वष 80 प्रतिशत, तीसरे वष 60 प्रतिशत, चौथे वष 40 प्रतिशत और पाचवें वष 20 प्रतिशत प्राप्त हो सकेगा।

स्टेट बैंक की प्रगति एय वर्तमान स्थिति

स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने अपने कार्यकाल क लगभग 9 वर्षों में निम्नलिखित प्रगति की है

	1 जुलाई 1955	31 दिसम्बर 1964
कार्यालय	471	1147
निक्षेप (जमा रकम)	211 करोड रु०	659 करोड रु०
ऋण	116 " ,	393 " ,
विनियोग	101 " ,	263 " ,

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि स्टेट बैंक ने अपनी स्थापना के पश्चात् बहुमुष्ठी उन्नति की है। उसकी शाखाओं की संख्या दुगुने में अधिक जमा रकम तिगुनी से अधिक, ऋण लगभग तिगुना तथा विनियोग भी लगभग तिगुने हो गये हैं। इससे जनता का स्टेट बैंक में विश्वास स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

स्टेट बैंक के अन्वय काय स्टेट बैंक द्वारा सामान्य बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त कई प्रकार के अन्य काय किये जाते हैं जो निम्नलिखित हैं

(1) प्रशिक्षण व्यवस्था स्टेट बैंक ने अपने उच्च पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हैत्रावाद में एक प्रशिक्षण विद्यालय (Training College) खोला है जहाँ प्रतिवर्ष 40 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कालिज के अतिरिक्त कुछ बड़ी शाखाओं में अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

(2) विदेशी विनिमय व्यवसाय स्टेट बैंक विदेशों में भुगतान के लिए ड्राफ्ट, साख पत्र आदि लिखता है तथा अपने ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करता है। स्टेट बैंक सप्ताह की 20 मुख्य मुद्राओं में नियमित लेन देन करता है।

(3) रिजर्व बैंक का एजेंट स्टेट बैंक भारत तथा विदेशों में रिजर्व बैंक के एजेंट का काम करता है। यह केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की सम्पूर्ण आय जमा करता है तथा व्यय का भुगतान करता है। इस काम के लिए स्टेट बैंक को रिजर्व बैंक से निश्चित दर पर कमीशन मिलता है।

अनुकूलन एवं विकास कोष स्टेट बैंक की स्थापना करते समय यह व्यवस्था की गई थी कि इसमें रिजर्व बैंक के 55 प्रतिशत भाग पर जो सामान्य मिलेगा वह एक विशेष कोष में डाल दिया जाएगा जिसका नाम अनुकूलन एवं विकास कोष होगा। स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों द्वारा खोली जाने वाली नई शाखाओं पर जो हानि होती है पहले पांच वर्ष तक उसके एक भाग की पूर्ति (जैसा कि पहले लिखा जा चुका है) इस कोष से करने की व्यवस्था है। इस प्रकार स्टेट बैंक द्वारा शाखा विस्तार के काम में कोई कठिनाई नहीं है।

स्टेट बैंक के वर्गित काम ✓

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निम्नलिखित काम करने पर प्रतिबद्ध है

1 वह अपने भागों (Shares) अथवा अचल सम्पत्ति जैसे भूमि, मकान आदि की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता।

2, सामान्यतः 6 मास से अधिक के ऋण नहीं दे सकता किन्तु उद्योगों का सात वर्ष तक के ऋण दिये जा सकते हैं।

3 सामान्यतः 6 मास से अधिक के बिलों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता और न ही उन्हें भुना सकता है किन्तु कृषि मिला की अवधि 15 मास तक की हो सकती है और विदेशी (व्यापार से सम्बन्धित निर्यात) बिल भी अधिक अवधि के हो सकते हैं।

4 वह केवल प्रथम श्रेणी के व्यापारिक विला में लेन देन कर सकता है जिन पर कम से कम दो प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हों ।

सहायक बैंकों की स्थिति 1960 में जब कुछ बैंकों को स्टेट बैंक का सहायक बैंक बनाया गया था तो उनकी संख्या 8 थी किंतु एक जनवरी 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिला कर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर बना दिया गया है । अब अब सहायक बैंकों की संख्या सात है । इन सारी बैंकों की स्थिति निम्नलिखित है

(31 दिसम्बर 1964)

शाखाओं की संख्या	612
जमा रकम	183 करोड़ ₹०
ऋण	95 ,
विनियोग	62 ,

स्टेट बैंक एक शक्तिशाली संगठन उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अब स्टेट बैंक एक शक्तिशाली संगठन बन गया है क्योंकि उसकी तथा उसके सहायक बैंकों की शाखाओं की संख्या 1759, जमा रकम 842 करोड़ ₹०, ऋण 488 करोड़ रुपय तथा विनियोग राशि 325 करोड़ ₹० है । इस प्रकार स्टेट बैंक संगठन की शक्ति भारतीय बैंकिंग प्रणाली की लगभग 30 प्रतिशत हो गई है । वास्तव में यह संगठन भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अपना गौरवपूर्ण स्थान रखता है और भविष्य में भी रखता रहेगा, ऐसी आशा है ।

अभ्यास के प्रश्न

- 1 इम्पीरियल बैंक में क्या दोष थे ? उसे केन्द्रीय बैंक का पद क्यों नहीं दिया गया विस्तारपूर्वक लिखिये ।
- 2 इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए कौनसी समिति ने मत प्रकट किया था
(क) ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति

- (ङ) सहकारी आयोजन समिति
(ग) गोरवाला समिति

(ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अध्यक्ष श्री गोरवाला थे)

- 3 स्टेट बैंक आफ इण्डिया के संचालन तथा प्रबंध पर विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिए ।
- 4 स्टेट बैंक के साथ कौन-कौन से दम बँका को विलीन करने का सुभाव दिया गया था और उन्हें विलीन क्यों नहीं किया गया ?
- 5 स्टेट बैंक में राजस्थान के कौन-कौन से बैंको को सहयोगी बनाया गया ।
(क) बैंक ऑफ राजस्थान
(ख) बैंक ऑफ जोधपुर
(ग) बैंक ऑफ जयपुर
(घ) बैंक ऑफ शाहपुरा
(ङ) बैंक ऑफ बीकानेर

(शुद्ध पर विह अङ्कित कीजिए)

- 6 (क) स्टेट बैंक के मुख्य उद्देश्य बतलाइए । उनमें से एक की सफलता पर टिप्पणी लिखिए ।
- 7 (क) स्टेट बैंक के सहयोगी बैंका की संख्या है ।
(ख) राजस्थान में स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक के और भव हैं ।
(ग) स्टेट बैंक का केन्द्रीय कार्यालय म है और स्थानीय मुख्य कार्यालय
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) म हैं ।
- 8 स्टेट बैंक सपु उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था बसे करता है स्पष्ट लिखिए ।
- 9 स्टेट बैंक के सहायक बैंक बनने से देश के विभिन्न षणों को क्या लाभ हुए ?
- 10 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए ।
अनुसूचन एव विभाग बंध, गहन केन्द्र तथा सहायक बैंक ।

अध्याय 5

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

(Reserve Bank of India)

वर्तमान युग में प्रत्येक देश में बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करने के लिए एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता का अनुभव किया गया है और प्रायः सभी देशों में एक-एक केन्द्रीय बैंक स्थापित कर लिया गया है। यह बैंक देश को मुद्रा बैंकिंग तथा साख्त व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित करने में सहयोग देता है।

रिजर्व बैंक की स्थापना भारत में एक केन्द्रीय बैंक स्थापित करने का विचार 1773 ई० में वारेन हेस्टिंग्स के मस्तिष्क में आया और उन्होंने जनरल बैंक आफ बंगाल एंड बिहार को केन्द्रीय बैंक का रूप देने का विचार प्रकट किया। इसके पश्चात् जब 1809 में प्रेसीडेंसी बैंक आफ बंगाल की स्थापना हुई तो लोगों ने यह समझा कि आखिर में वह बैंक देश का केन्द्रीय बैंक बन जायगा परन्तु 1840 में प्रेसीडेंसी बैंक आफ बम्बई तथा 1843 में प्रेसीडेंसी बैंक आफ मद्रास की स्थापना से यह विचार समाप्त हो गया।

1913 में चम्बरलैन आयोग के एक सन्म्य ने भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न उठाया और 1921 में इम्पीरियल बैंक की स्थापना की गई। इम्पीरियल बैंक को भारत सरकार द्वारा न तो मुद्रा निकालने का अधिकार दिया गया और न ही उसे बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करने का दायित्व सौंपा गया। जन 1926 में हिल्टन यंग आयोग ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया स्थापित करने की सिफारिश की।

1927 में भारत के तत्कालीन वित्त सदस्य श्री वेसिल क्रुकेट ने भारतीय विधायिका सभा में रिजर्व बैंक बिल प्रस्तुत किया। किन्तु रिजर्व बैंक की

पूँजी सरकारी हो या इसका कुछ भाग निजी भ्रणधारियों को भी बेचा जाय इस प्रश्न पर अत्यधिक मतभेद उत्पन्न हो गया और इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने बिल पर विचार स्थगित कर दिया ।

1933 में जब भारत को स्वायत्त गभसन के अधिकार देने का प्रश्न उठा तो ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया और उसमें यह बात संगर्हई गई कि भारत को स्वायत्त गभसन तभी दिया जा सकेगा जब वह देग म एक ऐमा केन्द्रीय बैंक स्थापित कर ले जो सब प्रकार के राजनतिक प्रभाव से मुक्त हो । अग सितम्बर 1933 में भारत की विधायिका सभा म दोबारा एक विधेयक (बिल) रखा गया और उस 6 मार्च 1934 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिल गई । तनुसार 1 अप्रैल 1935 स रिजर्व बैंक न अपना काम आरम्भ कर दिया ।

प्रारम्भिक स्थिति ससार के अन्य केन्द्रीय बैंको की भाँति रिजर्व बैंक भी एक भ्रणधारियों के बैंक के रूप में स्थापित किया गया । इसकी पूँजी 5 करोड़ रुपये रखी गई जो 100-100 रुपये के 5 लाख भ्रशों में विभाजित थी । इसमें से केवल 22 लाख रुपये के भ्रण सरकार के पास थे, बाकी सारी पूँजी निजी भ्रणधारियों के अधिकार में थी ।

सञ्चालक मण्डल में भी सरकार केवल गवर्नर तथा दो उप-गवर्नर नियुक्त कर सकती थी, दोष सञ्चालक निजी भ्रणधारियों द्वारा नियुक्त किये जाते थे । चिन्तु सरकार न अपना पास यह अधिकार सुरक्षित रखा था कि यदि सरकार के शीघ्र सञ्चालक मण्डल की नीति से सहमत नहीं हा तो सरकार अपनी नीति लागू कर सकती थी ।

रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण रिजर्व बैंक की स्थापना के समय से ही इस बात की मांग की जाने लगी थी कि इस सरकारी अधिकार में ले लिया जाय परन्तु द्वितीय युद्ध के पदचान् इस मांग में विशेष तेजी आ गई । इसी बीच 1945 में फौज तथा आस्ट्रेलिया के केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया । 1946 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी सरकारी अधिकार में ले लिया गया ।

भारत के स्वतंत्र होते ही रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बाँट वार उठाया गया और इंग्लैंड के केंद्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण से इस विचार को बहुत बल मिला ।

पक्ष में तब रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्षपातियों ने निम्न लिखित तर्क प्रस्तुत किये ।

(1) आर्थिक विकास देश के स्वतंत्र होने के कारण सरकार को तीव्रगति से आर्थिक विकास करना पड़ेगा । इसमें सफलता प्राप्त करने के लिये रिजर्व बैंक तथा सरकारी नीति में पूरा सहयोग होना आवश्यक था । रिजर्व बैंक को सरकारी अधिकार में लाने से इस समस्या का अपने आप समाधान हो सकता था ।

(2) जनभावना भारत की जनता सभी ऐस तत्वों को सरकारी स्वामित्व में लाना चाहती थी जिनमें अग्रजो का प्रभुत्व था । रिजर्व बैंक में प्रायः अग्रज गवर्नर होता था और इसमें विदेशी अधिकारियाँ भी सख्या बहुत थी ।

(3) इंग्लैंड का उदाहरण तीसरा तर्क यह था कि जब इंग्लैंड जैसे देश में जहाँ बैंकिंग परम्पराएँ बहुत दृढ़ और सुन्दर हैं केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है तो भारत जैसे देश में तो राष्ट्रीयकरण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वहाँ तो बैंकिंग का विकास तेजी से करना है ।

इन तर्कों के कारण सरकार ने 1948 में रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी बिल पास कर दिया और 1 जनवरी 1949 से यह बैंक पूर्णतः सरकारी अधिकार में ले लिया गया । सरकार ने बैंक के सभी अग्रधारियों को 100 रुपये के अग्र के बदले में 118 रुपये 10 आने देने का निश्चय किया ।

प्रबंध रिजर्व बैंक का प्रबंध एक केंद्रीय संचालक मंडल के हाथ में है जिसमें 15 सदस्य होते हैं । इनकी नियुक्ति निम्न प्रकार होती है

1 गवर्नर	}	केंद्रीय सरकार
3 उप गवर्नर		

4 सचालक—प्रत्येक स्थानीय मंडल से एक मनोनीत होता है।

6 सचालक } भारत सरकार मनोनीत करती है।

1 अधिकारी } छ सचालक व्यापार, उद्योग, सहकारिता आदि क्षेत्रों

15 के विशेषज्ञ होते हैं,

कायकाल गवर्नर तथा उप-गवर्नर 5 वर्ष के लिए नियुक्त किये जाते हैं किन्तु उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। 6 सचालकों (जो विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं) का कायकाल 4 वर्ष होता है। स्थानीय मंडल द्वारा मनोनीत सचालक तब तक केंद्रीय मंडल के सदस्य बन रहते हैं जब तक वह स्थानीय मंडल के सदस्य रहते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी सरकार की इच्छानुसार केंद्रीय मंडल का सदस्य रह सकता है। परम्परा के अनुसार भारत सरकार का वित्त सचिव ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है।

वेतन रिजर्व बैंक के सचालक मण्डल में गवर्नर तथा उपगवर्नर ही वेतन भोगी अधिकारी होते हैं। दोष सचालक में से सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी सरकार से वेतन प्राप्त करता है। वास्तव में प्रथम चार के अतिरिक्त दोष II क्वल मरनालीन (Part time) होते हैं और उन्हें केवल मभाओं में भाग लेने पर यात्रा व्यय तथा भत्ता आदि दिया जाता है।

स्थानीय मण्डल केंद्रीय सचालक मण्डल के अतिरिक्त रिजर्व बैंक के चम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में चार स्थानीय मण्डल हैं। इनमें 5-5 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति सरकार करती है। ये सचालक अपने अपने क्षेत्र के निवासी होते हैं। इनका कायकाल 4 वर्ष का होता है किन्तु इसे दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक स्थानीय मण्डल से एक-एक सदस्य चुन कर केंद्रीय मण्डल में भेजा जाता है।

स्थानीय मण्डल के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लेते हैं जो सभाओं का संचालन करता है। स्थानीय मण्डलों का कार्य केंद्रीय मण्डल को अपना-अपना क्षेत्र की समस्याओं से परिचित कराना है। समय-समय पर वह अरा धन की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में सुझाव भी देते हैं।

रिजर्व बैंक के कार्य

(Functions of the Reserve Bank of India)

1 नोट निकालना अथवा देनों के केन्द्रीय बैंको की भाँति रिजर्व बैंक को पत्र मुद्रा (नोट) निकालने का एकाधिकार है। यह 2 5 10 50, 100, 500, 1000 5000 तथा 10 000 रुपये के मूल्य के नोट निकाल सकता है। एक रुपये का नोट भारत सरकार निकालती है क्योंकि यह नोट द्वितीय युद्ध काल में एक रुपये के सिक्के के स्थान पर निकाला गया था। नोट निकालने की दृष्टि से रिजर्व बैंक में दो विभाग हैं निगमन विभाग तथा बैंकिंग विभाग।

देश में जब मुद्रा की माँग होती है तो व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार मांगते हैं। यह माँग बैंकिंग विभाग के पास आती है और बैंकिंग विभाग आवश्यक जमानत (प्रतिभूतियाँ विल आदि) जो बैंकों से प्राप्त होती हैं नोट निगमन विभाग को दे देता है। इन प्रतिभूतियों के आधार पर निगमन विभाग द्वारा आवश्यक मात्रा में नोट व्यापारिक बैंकों को उधार दिये जाते हैं और इस प्रकार वह चलन में आ जाते हैं।

नोटों के पीछे कोष रिजर्व बैंक जितने नोट निगमन करता है उनके पीछे कुछ स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान सम्पत्ति कोष में रखी जाती है। रिजर्व बैंक की स्थापना के समय यह व्यवस्था की गई थी कि यह जितने नोट निकालेगा उनका कम से कम 40 प्रतिशत स्वर्ण या विदेशी प्रतिभूतियाँ कोष में रखेगा। यह व्यवस्था भी की गई थी कि स्वर्ण मात्रा 40 करोड़ रुपये के मूल्य से कम नहीं होगी।

इस व्यवस्था में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। वर्तमान में रिजर्व बैंक "म्यूनतम कोष प्रणाली" (Minimum Reserve System) के आधार पर नोट निगमित करता है।

स्वर्ण का मूल्य 5 अक्टूबर 1956 से पूर्व रिजर्व बैंक में जो स्वर्ण कोष रखा जाता था उसका मूल्य 21 रुपये 24 पैसे प्रति तोला के हिसाब से

लगाया जाता था जब कि सोने का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 62 रुपये 50 पैसे प्रति तोला था अतः 6 अक्टूबर 1956 में रिजर्व बैंक के स्वर्ण कोष का मूल्य भी 62 50 रुपये प्रति तोला के हिसाब से लगा लिया गया। इससे रिजर्व बैंक में जमा 40 02 करोड़ रुपये के स्वर्ण का नया मूल्य लगभग 117 76 करोड़ रुपये हो गया। अतः उसे 115 करोड़ रुपये के मूल्य का 'यूनतम स्वर्ण कोष' में रखने में कोई कठिनाई नहीं हुई। फरवरी 1965 में विदेशी प्रतिभूतियाँ की मात्रा कम होने के कारण स्वर्ण कोष की मात्रा बढ़ा कर 133 76 करोड़ रुपये के मूल्य की कर दी गई है।

2 सरकार का धरकर तथा सलाहकार भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष लगभग 60 अरब रुपये का लेंन देन करना पड़ता है। इन राशि को वसूल करना या भुगतान करना सरल काम नहीं है। रिजर्व बैंक में सरकार की सारी आय जमा होती है और उसमें से वह सरकार के आदानानुमान नियमित रूप में भुगतान करता रहता है। रिजर्व बैंक के कार्यालय बंबल सात स्थानों पर ही हैं अतः रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक को इस कार्य के लिए अपना एजेंट नियुक्त कर दिया है।

सरकार की ओर से रकम वसूली तथा भुगतान की सवाभों के बदले रिजर्व बैंक सरकार से कोई शुल्क नहीं लेता। इसके विपरीत वह स्टेट बैंक को इस कार्य के लिए निर्धारित दर पर शुल्क देता है। यह बात स्मरण रखने लायक है कि भारत अथवा राज्य सरकारों की जो रकम रिजर्व बैंक में जमा होती है उस पर रिजर्व बैंक कोई ब्याज नहीं देता।

ऋण व्यवस्था सरकार की ओर से लेन देन करने के अतिरिक्त रिजर्व बैंक भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण देता है। सरकार जितने ऋण जनता से लेती है उतनी वसूली तथा भुगतान की व्यवस्था भी रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। भारत सरकार का वर्तमान ऋण लगभग 77 अरब रुपये है। इससे स्पष्ट है कि ऋण व्यवस्था का कार्य ही एक गम्भीर कार्य है। रिजर्व बैंक को सरकारी ऋण व्यवस्था के लिए 2000 रुपये प्रति करोड़ की दर पर शुल्क मिलता है।

सलाहकार रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों का आर्थिक सलाहकार है। बैंक में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ नियुक्त किये जाते हैं। अतः सरकार को जब भी मुद्रा नीति, ग्रामीण साख, व्यापार उद्योग, मूल्य अथवा अन्य किसी भी कार्य से सम्बन्धित सलाह लेनी होती है तो रिजर्व बैंक उसके बारे में उचित सलाह देता है। समय समय पर रिजर्व बैंक के विशेषज्ञ सरकार के आदेशानुसार विभिन्न विभागों में काम करने के लिये जाते रहते हैं।

3. धन व्यवस्था का नियन्त्रण किसी भी देश के व्यापारिक बैंकों में प्रायः जनता एवं व्यापारियों की रकम जमा होती रहती है। अनेक मध्यम वर्ग के परिवार अपनी सम्पूर्ण वचन बैंकों में जमा करवाते रहते हैं। अतः यदि बैंक दोषपूर्ण आर्थिक नीति अपनाते हैं तो उन्हें हानि हो सकती है और परिणामस्वरूप बैंकों में रकम जमा कराने वालों को हानि होती है। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार या देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की ऋण नीति तथा अन्य क्रियाओं पर उचित नियन्त्रण रखे ताकि जमा करने वालों को हानि न हो सके।

भारत का रिजर्व बैंक अनेक प्रकार से भारतीय बैंकों की कार्यवाही पर नियन्त्रण रखता है जिसका संक्षिप्त चित्र नीचे दिया जा रहा है।

(क) लाइसेंस भारत में स्थापित होने वाले प्रत्येक बैंक के लिये रिजर्व बैंक को लाइसेंस के लिये प्रायः पत्र देना पड़ता है। रिजर्व बैंक प्रत्येक व्यापारिक बैंक का निरीक्षण करवाता है। यदि बैंक के धन का उचित प्रयोग हो रहा है और बैंक की ऋण तथा विनियोग नीति उचित है तो रिजर्व बैंक लाइसेंस दे देता है अन्यथा अनुचित कार्य करने वाले बैंकों को चेतावनी दे दी जाती है और यदि वह अपनी नीति में सुधार नहीं करते तो उन्हें लाइसेंस देने से मनाही कर दी जाती है। इस पर गलती करने वाले बैंकों को अपना काम बंद कर देना पड़ता है।

उपरोक्त दृष्टि से यह स्पष्ट है कि यदि किसी बैंक को लाइसेंस मिल गया है तो वह इस बात की गारंटी है कि उसकी आर्थिक स्थिति तथा नीति ठीक है। यदि कोई लाइसेंस प्राप्त बैंक बाद में गलत नीति अपनाय तो चेतावनी देकर उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

(ख) प्रबंध रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि किसी बैंक का व्यवस्थापक, मंचालक या अन्य कोई अधिकारी बैंक के बोधो का दुस्प्रयोग ता नही कर रहा है। यदि ऐसा हो ता रिजर्व बैंक उस अधिकारी को अपने पद से अलग कर सकता है। उस व्यक्ति को पद से अलग करन के पूव रिजर्व बैंक उसे कारण सहित लिखित सूचना देना है। ऐसा व्यक्ति 1 वष तक किसी भी बैंक का कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता।

(ग) नकद बोध भारत के प्रत्येक अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक में अपना खाता रखना पडता है और उस खाते में अपनी कुल जमा रकम का कम से कम 3 प्रतिशत रखना पडता है। रिजर्व बैंक का यह अधिकार है कि यदि वह आवश्यक समझे ता जमा रकम को 3 प्रतिशत से बढा दे किन्तु यह वृद्धि 15 प्रतिशत से अधिक नहीं की जा सकती।

(घ) गांधी विस्तार देश में बैंक की शाखाओं का विकास उचित प्रकार से होना चाहिए ताकि कुछ थोड़े से स्थानों पर ही अधिकांश बैंकों की शाखाएँ केन्द्रित न हो जाएँ और अन्य स्थानों में बैंकिंग सुविधाओं में वचित रह जाएँ। इस दृष्टि में यह नियम बनाया गया है कि जो भी बैंक किसी स्थान पर नई शाखा खोलना चाहता है उसे रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी पडती है।

रिजर्व बैंक यह देख लेता है कि अमुक स्थान पर बैंक की शाखा की आवश्यकता है या नहीं तथा वह शाखा बैंक तथा जनता के लिए सामदायक होगी या नहीं। इस प्रकार देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार उचित रूप में हो सकता है।

(ङ) निरीक्षण रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वह किसी भी बैंक का चाह जब निरीक्षण करे। तदनुसार रिजर्व बैंक के अधिकारी प्रति वर्ष बारो-बारो कुछ बैंकों की जांच करते हैं। जिन बैंकों में ऋण विनियोग अथवा जमानतों सम्बन्धी दोष पाए जाते हैं उनकी रिपोर्ट रिजर्व बैंक का द दी जाती है। रिजर्व बैंक उन बैंकों को चेतावनी देता है तथा दोषों में सुधार करने के लिए कुछ समय दे देता है।

दोष पूरा नीति अपनाते वान बैंकों को अपना प्रगति के बारे में रिजर्व

बैंक को समय समय पर सूचना भेजनी पड़ती है।

(च) भ्रष्टाचार तथा विलीयन जो बैंक रिजर्व बैंक की चतावनी पर भी कोई ध्यान नहीं देने रिजर्व बैंक उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में प्रायना पत्र देकर उन्हें बंद करने का आदेश प्राप्त कर सकता है। यदि रिजर्व बैंक यह समझे कि अमुक बैंक की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो रिजर्व बैंक उस बैंक को किसी बड़े बैंक से मिलाने की व्यवस्था कर सकता है। इस सम्बन्ध में विलीयन की योजना दोनों बैंक मिल कर बना लत हैं या रिजर्व बैंक योजना बना कर दे देता है जिसका दोनों बैंक पालन करते हैं।

(छ) खाते भेजना प्रत्येक अनुसूचित (Scheduled) बैंक को अपने कार्यों का साप्ताहिक विवरण (Weekly Statement) रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है। भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अनुसार भारत में काम करने वाले प्रत्येक बैंक को अपना लाभ हानि खाता तथा आवडा (या चिटठा) 31 दिसम्बर की तिथि तक का बनाना पड़ता है और 31 मार्च तक उसकी तीन प्रतियाँ रिजर्व बैंक को भेजनी पड़ती हैं। इससे रिजर्व बैंक को देश की बैंकिंग सम्बन्धी प्रगति का ज्ञान होता रहता है।

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक को देश के बैंकिंग संगठन पर नियंत्रण रखने के व्यापक अधिकार हैं अतः यदि वह इन अधिकारों का उचित रूप में प्रयोग कर तो देश में किसी भी बैंक के बंद होने की आशंका नहीं होगी।

4 समाशोधन व्यवस्था बैंकों के पास प्रायः एक दूतरे पर लिखे हुए चक आते रहते हैं। प्रत्येक बैंक के प्रतिनिधि अपने पास आये चक एक स्थान पर ले जाते हैं जहाँ प्राप्ति तथा देनदारी अलग लिख कर खोप निकाल लिए जाता है। एक उदाहरण से यह बात समझ में आ जायगी।

मान लीजिए एक नगर में दो बैंक क और ख हैं। क को स से 5000 रु लेने हैं और 4000 रु देने हैं ऐसी स्थिति में क बैंक को कुल 1000 रु लेने रहे। इस प्रकार 9000 रुपये (5,000+4,000) का भुगतान केवल 1000 रुपये में ही सम्भव हो सकता है। यह 1,000 रुपये भी नकद देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि रिजर्व बैंक में सब बैंकों के खाते हैं

अतः रिजर्व बैंक द्वा. बैंक के खाते में 1,000 रुपया नाम लिखा देगा और क. बैंक के खाते में उतनी ही रकम जमा कर देगा ।

रिजर्व बैंक भारत में समाशोधन गृहों की व्यवस्था करता है । जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं हैं वहाँ स्टेट बैंक द्वारा इनकी व्यवस्था की जाती है । भारत में कुल 76 समाशोधन गृह हैं जिनमें से 7 की व्यवस्था रिजर्व बैंक करता है और शेष की व्यवस्था रिजर्व बैंक की ओर से स्टेट बैंक द्वारा की जाती है ।

1935 में जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तब देश भर में केवल 4 समाशोधन गृह थे जिनकी संख्या 1964 में 76 हो गई । समाशोधन गृहों में 1951-52 में कुल 28 करोड़ रू. का समाशोधन हुआ था जिनकी रकम लगभग 79 अरब रुपये थी । 1963-64 में चको की संख्या 67 करोड़ हो गई और रकम बढ़कर 168 अरब रुपये हो गई । इससे समाशोधन गृहों की प्रगति का अनुमान हो सकता है ।

5 बकों का एक रिजर्व बैंक सभी अनुसूचित बँकों की रकम जमा रखता है उनकी आवश्यकतानुसार उधार देता है तथा उनसे प्राप्त बिलों की कटौती करता है । रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बँकों को भी ऋण दिए जाते हैं तथा 12 मास तक के श्रृषि बिलों की कटौती की जाती है (इसे 15 मास तक की अवधि के श्रृषि बिलों की कटौती करने का अधिकार है) । इस प्रकार रिजर्व बैंक देश के सभी बँकों के बँकों की धन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ।

6 विदेशी विनिमय व्यवस्था केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों अनेक प्रकार की वस्तुएँ विदेशों से आयात करती हैं । रिजर्व बैंक इनके लिए विदेशी मुद्रा का प्रबंध करता है । इसके अतिरिक्त भारत के प्रायः सभी देशों में दूतावास हैं जिनके लिए रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करता है ।

रिजर्व बैंक में एक अलग विनिमय नियंत्रण विभाग (Exchange control department) है जो भारत की विदेशी विनिमय सम्बन्धी भाव तथा रूप पर नियंत्रण रखता है यह विभाग देश की विदेशी मुद्रा

सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्त रुपये की विदेशी विनिमय दर भी बनाये रखने की चेष्टा करता है।

7 साल नियंत्रण रिजर्व बैंक एक ओर तो यह ध्यान रखता है कि देश में मुद्रा की मात्रा में आवश्यकता से अधिक वृद्धि न हो और दूसरी ओर यह साल की मात्रा का भी उचित रूप में नियमन करने की चेष्टा करता है। साल की मात्रा का नियमन करने के लिए वह निम्नलिखित रीतियाँ काम में लेता है

(1) बैंक दर बैंक दर वह दर होती है जिस पर किसी देश का केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है अथवा उनके बिलों की पुनः कटौती करता है। जब केन्द्रीय बैंक देखता है कि बैंक बहुत तेजी से उधार दे रहे हैं और इससे मूल्यों पर बुरा प्रभाव पड़ने का डर है तो वह बैंक दर बढ़ा देता है। इससे बैंकों को रिजर्व बैंक से ऊँची दर पर उधार मिलने लगता है अतः वह भी अपने ऋणों पर ब्याज की दर बढ़ा देने हैं। इससे ऋण महंगे हो जाते हैं और लोग कम उधार लेने लगते हैं। जिन लोगों ने पहले ऋण ले रखे हैं वह भी ब्याज की दर बढ़ जाने से ऋण का कुछ भाग लौटाने लगते हैं। इस प्रकार बैंक दर बढ़ाने से साल की मात्रा कम हो जाती है।

जब रिजर्व बैंक यह देखता है कि बाजार में उधार बहुत कम लिया जा रहा है और व्यापार तथा उद्योगों को तेजी से विकसित करना आवश्यक है तो वह अपनी बैंक दर कम कर देता है। इसका अर्थ यह है कि व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक से ऋण सस्ते मिलने लगते हैं। अतः व्यापारिक बैंक भी अपनी उधार देने की दर गिरा देते हैं जिससे जनता व्यापारी तथा उद्योगपति अधिक रकम उधार लेने लगते हैं। अतः देश में साल का प्रसार होने लगता है।

इससे स्पष्ट है कि बैंक दर बढ़ाने से साल में कमी तथा बैंक दर घटाने से साल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है।

रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग भारत में रिजर्व बैंक ने अब तक साल नियमन के लिये बैंक दर का पाँच बार प्रयोग किया है और पाँचों बार ही बैंक दर में वृद्धि की गई है जो निम्न है

15 नवम्बर 1951	3 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत
16 मई 1957	3.5 प्रतिशत से 4.0 प्रतिशत
3 जनवरी 1963	4.0 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत
25 सितम्बर 1964	4.5 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत
17 फरवरी 1965	5.0 प्रतिशत से 6.0 प्रतिशत

बैंक दर में इन पांचो वृद्धियों के मुख्य कारण दो रहे हैं

(1) योजनाओं के व्यय के कारण देश में मुद्रा तथा माल प्रसार होना—इसे रोकने के लिये बैंक दर बढ़ाई गई।

(2) बाजार में व्याज की दर में अत्यधिक वृद्धि होना—बाजार तथा अधिकृत दर में निवटना लाने के लिये बैंक दर बढ़ाई गई।

(11) खुले बाजार की क्रियाएँ कभी कभी रिजर्व बैंक साल की मात्रा में कमी या वृद्धि करने के लिए एक और रीति का प्रयोग करता है। जब उसे साल की मात्रा में कमी करनी हो तो वह बाजार में प्रतिभूतिपा बेचना शुरू कर देता है जिन्हें बैंक खरीद लेते हैं। इससे बैंक के पास नकद राशि कम हो जाती है क्योंकि प्रतिभूतिपा खरीदने पर वह रिजर्व बैंक को नकद भुगतान करते हैं। अतः बैंक की साख प्रसार की शक्ति कम हो जाती है और बाजार में साख की मात्रा गिरने लग जाती है।

जब रिजर्व बैंक बाजार में साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो वह प्रतिभूतिपा खरीदना शुरू कर देता है। बैंक अपने पाम से प्रतिभूतिपा बेचने लगते हैं और उनके नकद कोषों में वृद्धि हो जाती है क्योंकि प्रतिभूतिपा बेचने पर उन्हें धन राशि प्राप्त होती है। अतः वह चाहती तथा व्यापारियों आदि को अधिक ऋण देने लगते हैं। इस प्रकार साख की मात्रा में वृद्धि होने लगती है।

भारत में रिजर्व बैंक की प्रतिभूतिपा खरीदने तथा बेचने का अधिकार है और व्यापारिक बैंकों को अपनी सम्पत्ति का एक भाग अनिवार्य रूप से छर-कारी प्रतिभूतिपा में लगाना पड़ता है। अतः जब यहाँ में रिजर्व बैंक द्वारा खुले

बाजार की क्रियाओं का सफल प्रयोग हुआ है। रिजर्व बैंक स्वयं ही ममय लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि प्रतिभूतियाँ म लगाये रखना है।

पिछले 23 वर्षों में घुने बाजार की क्रियाएँ कुछ निमित्त हो गई हैं क्योंकि रिजर्व बैंक अम रीतियों का प्रयोग अधिक करन लगा है।

(III) परिवर्तनशील बोध भारत के प्रत्येक अनुसूचित बैंक के अपनी कुल जमा रकम का कम से कम तीन प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक म रखना पड़ता है। रिजर्व बैंक इस अनुपात को 3 से 4 अथवा अधिक प्रतिशत बढ़ सकता है और यह वृद्धि 15 प्रतिशत तक हो सकती है।

यदि रिजर्व बैंक साख की मात्रा कम करना चाहे तो वह व्यापारिक बैंको को आदेश दे सकता है कि वह अमुक तिथि में उसने पास अपने बोधो का 3 के स्थान पर 4 5 या 6 प्रतिशत जमा कराए। इस वृद्धि से बैंको के रिजर्व बैंक में अधिक नकद राशि रखनी पड़नी जिससे उनके नकद बोधों में कमी हो जायगी और उनकी साख निर्माण की शक्ति भी कम हो जायगी।

इसके विपरीत यदि रिजर्व बैंक साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहे तो वह परिवर्तनशील बोधानुपात कम (5 से 4 या 3 आदि) कर सकता है। इससे बैंका के नकद बोधों में अधिक राशि रहेगी और वे अधिक साख का प्रसार कर सकेंगे।

यद्यपि रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंको से अधिक नकद बोध माँगने का अधिकार है परन्तु उमने अभी तक इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया है।

(IV) घुने हुए साख नियंत्रण कभी कभी रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंका का यह आदेश दे देता है कि वह अमुक वस्तु की जमानत पर कम उधार दें या उधार देने से विस्तृत मना कर देता है। ऐसी स्थिति म बाजार म साख की मात्रा कम हो जाती है।

गत पंद्रह वर्षों म रिजर्व बैंक ने समय समय पर खाद्यान्न चीनी, मू गफली, रुई, पटसन आदि वस्तुओं की जमानत पर उधार देने में अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाये हैं जिनके कारण साख की मात्रा वृद्धि पर रोक रही है।

(v) नतिक अनुनय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा 1956, 1958, 1960 तथा गत वर्षों में कई बार भारतीय बैंकों को पत्र लिखकर इस बात की इच्छा प्रकट की गई कि वह साख की मात्रा में कम प्रसार करें। कई बार पत्रकार सम्मेलनों, बैंकों के सम्मेलनों तथा गोष्ठियों में भी साख की मात्रा में कमी का अनुरोध किया गया। इन अनुरोधों का यथेष्ट अच्छा परिणाम निकला है।

(vi) प्रचार केन्द्रीय बैंक पत्र पत्रिकाओं अथवा समाचार पत्रों में प्रचार द्वारा भी बैंक की नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। कभी कभी केन्द्रीय बैंक के उच्च अधिकारी कुछ लेख या वक्तव्य प्रकाशित कर देते हैं जिनसे बैंकों को केन्द्रीय बैंक की नीति का पता चल जाता है। रिजर्व बैंक इस प्रकार के प्रचार के लिये एक मासिक पत्रिका (Reserve Bank of India Bulletin) निकालता है किन्तु दुर्भाग्य से उसका मूल्य बहुत ऊँचा है अतः उसका प्रचार बहुत नहीं है।

(vii) सीपी कायवाही रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह किसी भी बैंक को कोई भी आदेश दे सकता है और उस आदेश का पालन न होने पर उस बैंक को बन्द किया जा सकता है या उस पर जमा लेने से रोक लगाई जा सकती है। रिजर्व बैंक को इस प्रकार की कायवाही किसी बैंक के विरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि सभी बैंक रिजर्व बैंक की साख नीति का पालन करते रहे हैं।

(viii) साख का राशनिंग कभी कभी केन्द्रीय बैंक ऐसा नियम बना देता है कि चासू धप में प्रत्येक बैंक को गत वर्ष की 60, 70 या 80 प्रतिशत रकम ही उधार मिल सकेगी। यह व्यवस्था राशनिंग व्यवस्था कहलाती है। रिजर्व बैंक द्वारा इस रीति का प्रयोग 1960 के पदचात अनेक बार किया गया है परन्तु उसमें विरोधता यह रही है कि उसने प्रत्येक बैंक के कौटा (अम्पस) निर्धारित कर लिये और अपने काम से अधिक ऋण मागने वाले को अधिक व्याज देने पर बाध्य किया गया।

रिजर्व बैंक और प्राचीण साख भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि की गवम गम्भीर समस्या यह है कि किसान को खेती में मुधार करने के

लिए समय पर उचित मात्रा में पूँजी नहीं मिलती। भारत सरकार इस कठिनाई को प्रति जागरूक थी अतः 1935 में जब रिजर्व बैंक की स्थापना की गई तभी से उसके द्वारा कृषि अथवा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के लिए सस्ती साख मुलभ कराने की व्यवस्था की गई थी।

रिजर्व बैंक में एक कृषि साख विभाग है जिसका काम कृषि साख की समस्याओं का अध्ययन करना है। इस विभाग में कृषि साख के जानकार विनोयना की नियुक्ति की जाती है जो कृषि साख के बारे में सरकार तथा अन्य सस्याओं को सलाह देने का काम करते हैं। रिजर्व बैंक अनेक प्रकार से ग्रामीण साख की सुविधाएँ देता है।

(1) कृषि बिल रिजर्व बैंक द्वारा कृषि के लिए समस्त साख राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से दी जाती है। राज्य सहकारी बैंक कृषि के लिए 15 मास तक के बिलों पर उधार ले सकते हैं परंतु व्यवहार में यह बिल 12 मास के लिए ही लिख जाते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत कृषि समितियों को माल बेचने अथवा सवारने के लिए भी ऋण लिये जा सकते हैं। यह ऋण बैंक दर से आधा प्रतिशत कम पर देने की व्यवस्था है।

(2) कुटीर उद्योगों को ऋण रिजर्व बैंक अनुमोदित लघु तथा कुटीर उद्योगों को माल उत्पादन करने तथा बेचने के लिए लिखे गये बिलों की कटौती करता है। यह बिल भी 12 मास तक के हो सकते हैं। इस प्रकार के ऋणों का अभी तक सीमित लाभ उठाया गया है क्योंकि इसके अंतर्गत अभी तक केवल हाथकर्म उद्योग ही ऋण देने के लिए स्वीकृत है।

(3) कृषि ऋण कोष सन् 1956 में कृषि साख की व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दो कोष निर्मित किये गये जा निम्नलिखित हैं

(क) राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष—इस कोष में प्रारम्भ में 10 करोड़ रुपये डाले गये और बाद में प्रति वर्ष 5 करोड़ डालने की व्यवस्था की गई। इस कोष का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) सहकारी संस्थाओं की पूँजी सरीदने के लिए राज्य सरकारों को 20 वर्ष तक की अवधि के ऋण देना।

(II) कृषि साख के लिए राज्य सहकारी बैंकों को 15 मास से 5 वष तक की अवधि के ऋण देना । इन ऋणों के मूलधन तथा ब्याज के भुगतान की राज्य सरकार द्वारा गारंटी आवश्यक है ।

(III) केंद्रीय भूमि बंधक बका को 20 वष तक के ऋण देना ।

(IV) केंद्रीय भूमि बंधक बकों के ऋण पत्र खरीदना ।

इस कोष में 26 मार्च 1965 तक 86 करोड़ रुपये जमा किये जा चुके हैं तथा उसमें से निम्नलिखित राशियां उधार दी जा चुकी हैं ।

(1) राज्य सरकारों को ऋण	28 08 करोड़ रुपये
(2) राज्य सहकारी बैंक	10 43 " "
(3) भूमि बंधक बका के ऋण पत्र	4 16 " "
	<hr/>
	योग 42 67

(ख) राष्ट्रीय कृषि साख (स्मिरीकरण) कोष इस कोष में प्रारम्भ में एक करोड़ रुपये डाले गये थे । इसका उद्देश्य सहकारी बका को संकटकाल में आर्थिक सहायता देना है । जब बाढ़ सूखा अथवा अन्य कारणों से कृषि फसलों नष्ट हो जाती हैं तो सहकारी बका द्वारा कृषि के लिये दिए गए ऋण वसूल नहीं हो सकता । अतः रिजर्व बैंक इस कोष में से सहकारी बैंकों को वसुले राशि उधार दे देता है । इस कोष में 9 करोड़ रुपये जमा हैं किन्तु अभी तक उनका कोई प्रयोग नहीं किया गया है ।

(4) ग्रामीण ऋण पत्र मई 1948 में ही रिजर्व बैंक द्वारा भूमि बंधक बकों के ऋण पत्र खरीदे जा रहे हैं किन्तु 1957-58 में रिजर्व बैंक ने ग्रामीण ऋण पत्रों की एक योजना प्रारम्भ की जो बहुत महत्वपूर्ण है । इस योजना के अन्तर्गत भूमिबन्धक बका 7 वष के ऋण पत्र भी निकाल सकते हैं । इन ऋण पत्रों को यदि जनता या पचायतें खरीदें तो उनसे कुछ अधिक राशि रिजर्व बैंक खरीद लेता है । इस प्रकार रिजर्व बैंक ग्रामीण जनता द्वारा ग्रामीण साख में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहन देता है ।

कुल साख रिजर्व बैंक द्वारा वृषि साख के लिए 1963-64 तक 302 करोड़ रुपये उधार दिए गए थे जिनमें से वष के अंत में 135 करोड़ रुपये की रकम गैर थी ।

औद्योगिक वित्त ✓

परोक्ष व्यवस्थागत वषों में उद्योगों को ऋण देने वाली अनेक संस्थाओं की स्थापना हुई है जिनमें औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम तथा राज्य वित्त निगम प्रमुख हैं । अभी कुछ समय पूर्व ही औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई है । इन सब निगमों में रिजर्व बैंक ने लगभग 4 करोड़ रुपये की पूंजी खरीद रखी है । औद्योगिक विकास बैंक में तो प्रारम्भिक 10 करोड़ रुपये की पूरी पूंजी ही रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई है । इस प्रकार बड़े उद्योगों के विकास में रिजर्व बैंक अप्रत्यक्ष रूप में ही सहयोग देता है ।

सघु उद्योगों के लिए भारत की अर्थ व्यवस्था में सघु उद्योगों का अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि सघु उद्योग कम पूंजी से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दे सकते हैं । सघु उद्योगों को सस्ती पूंजी मुलभ कराने के लिए एक जुलाई 1960 को रिजर्व बैंक ने एक योजना का श्रीगणेश किया जो साख गारंटी योजना कहलाती है ।

इस योजना के अंतर्गत 94 बैंकों तथा वित्त संस्थाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह सघु उद्योगों को ऋण दें । इन ऋणों की गारंटी भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक का गारंटी संगठन करता है । इसकी व्यवस्था इस प्रकार है

जब किसी सघु इकाई को ऋण की आवश्यकता होती है तो वह किसी अनुमोदित बैंक या वित्त संस्था को ऋण के लिए प्रार्थना पत्र दे देती है । बैंक इस प्रार्थना पत्र पर विचार कर अपनी सिफारिश के साथ गारंटी संगठन (जो रिजर्व बैंक के आधीन कार्य कर रहा है) को भेज देता है । गारंटी संगठन की स्वीकृति आने पर ऋण दे दिया जाता है । यदि इस ऋण पर कोई हानि

हो तो उसका आधा भाग श्रृण देने वाला बैंक तथा शेष आधा भाग गारटी संगठन सहन करता है।

गारटी योजना आरम्भ में केवल 22 जिलों में आरम्भ की गई थी किन्तु 1961 में 30 और जिलों में लागू कर दिया गया। एक जनवरी 1963 में इस सार देश में लागू कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 7 वर्ष तक की अवधि के श्रृण दिये जा सकते हैं।

प्रगति सात गारटी योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 16 करोड़ रुपये के श्रृण दिये गये हैं। इन श्रृणों पर सरकार को विशेष हानि नहीं उठानी पड़ी है।

रिजर्व बैंक के विभाग

काय संचालन की दृष्टि से रिजर्व बैंक का काय अनेक विभागों में बटा हुआ है जिनका कार्य भारत वित्तीय उप-निचर क हाथ में है। इसके मुख्य विभाग निम्नलिखित हैं

(1) नोट निगमन विभाग रिजर्व बैंक द्वारा जिनको राशि के नोट निकाले जाते हैं यह सब नोट निगमन विभाग द्वारा निकाले जाते हैं। इनका धरोरा प्रति सप्ताह प्रकाशित कर दिया जाता है।

(2) बर्किंग विभाग यह विभाग बकों तथा सरकार की बर्किंग आवश्यकताओं का समाधान करने की चेष्टा करता है। इस विभाग के बंगलूर, बम्बई कलकत्ता, कानपुर मद्रास नागपुर तथा नई दिल्ली में सात कार्यालय हैं जिनका प्रबंध एक एक व्यवस्थापक के अधीन है। इस विभाग के चार उपविभाग हैं जो निम्नलिखित हैं

(i) सार्वजनिक लेखा विभाग जो सरकारी खन देन का हिसाब रसता है।

(ii) सार्वजनिक ऋण विभाग जो सरकार के श्रृणों की व्यवस्था तथा बचती की इतर रण करता है।

(111) जमा खाता विभाग जो रिजर्व बैंक के खातों की देख रखा करता है।

(1V) प्रतिभूति विभाग जो रिजर्व बैंक में जमा की गई प्रतिभूतियों की सम्हाल तथा भ्रय विभ्रय की व्यवस्था करता है।

(3) विनिमय नियंत्रण विभाग यह विदेशी विनिमय की आय तथा व्यय पर नियंत्रण करता है। विदेशों को भेजी जाने वाली प्रत्येक राशि की अनुमति इस विभाग से प्राप्त करना आवश्यक है। इसके कार्यालय बम्बई, कलकत्ता कानपुर मद्रास तथा नई दिल्ली में हैं।

(4) बैंकिंग विकास विभाग यह विभाग देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार (गाँव आदि) धन प्रेषण, अल्प बचत योजना प्रशिक्षण तथा बैंकों की दैनिक समस्याओं का समाधान की चेष्टा करता है।

(5) औद्योगिक वित्त विभाग यह विभाग देश की औद्योगिक वित्त सम्बन्धी सभी समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करता है। यह राज्य वित्त निगमों तथा अन्य समस्याओं का निरीक्षण करता है तथा उन्हें सहायता करने का लिये सुझाव देता है।

(6) कृषि साख विभाग यह कृषि साख सम्बन्धी अनुसंधान करता है तथा उसके परिणाम प्रकाशित करता है। गत वर्षों से इसमें कृषि तथा ग्रामोद्योगों और माल गोदामों के विकास का कार्य भी अपने हाथ में ले लिया है।

(7) बैंकिंग संचालन विभाग इस विभाग का कार्य बैंकों का समय समय पर निरीक्षण करना है। निरीक्षण के द्वारा ही भारत के व्यापारिक बैंकों का नियंत्रण होता है।

(8) आर्थिक विभाग यह विभाग भारत की आर्थिक समस्याओं पर जोश काय करता है तथा सरकार को उचित सलाह देता रहता है।

(9) जोश एवं साक्षिकी विभाग यह विभाग मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, बैंक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा उद्योग एवं व्यापार से सम्बन्धित

समस्याओं पर अनुसंधान करता है और उच्च परिणाम रिजर्व बैंक की मासिक बुलेटिन में प्रकाशित करता है। इन समाक्षेत्रों से सम्बंधित विस्तृत भावों में भी संप्रहृ किये जाते हैं और बुलेटिन में प्रकाशित होते हैं।

रिजर्व बैंक के वरिष्ठ कर्मचारी रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित कार्य नहीं किये जा सकते

- 1 जनता से रकम जमा नहीं कर सकता।
- 2 सरकार अथवा बैंकों से प्राप्त जमा पर ध्यान नहीं दे सकता।
- 3 अचल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता।
- 4 व्यापार अथवा व्यवसाय में भाग नहीं ले सकता।
- 5 कम्पनियों के अर्थ आदि नहीं करीब सकता।

एक राष्ट्रीय संस्था होने के नाते रिजर्व बैंक का दायित्व बहुत गम्भीर है अतः यह सब बंधन उचित एवं स्वाभाविक हैं।

रिजर्व बैंक की सफलताएँ रिजर्व बैंक को निम्नलिखित दिशाओं में यथेष्ट सफलता मिली है

- 1 वृष्टि भाव की सुविधाएँ बहुत बढ़ाई गई हैं जिससे वृष्टि तथा ग्रामाधारण तथा लघु उद्योगों को बहुत लाभ हुआ है।
- 2 औद्योगिक विकास में बहुत सहायता मिली है।
- 3 बचत सुविधाओं का विकास हुआ है।
- 4 समाशोधन गृहों की स्थापना से बैंकों का प्रयोग बड़ा है।
- 5 गत वर्षों में बचत प्रणाली दृढ़ हुई है।

असफलताएँ रिजर्व बैंक कई दिशाओं में विद्यमान सफल नहीं हुआ। यह निम्नलिखित हैं

- 1 रुपये के मूल्य में गिरावट को नहीं रोक सका है। गत कुछ वर्षों में रुपये की विदेशी विनिमय दर में बहुत गिरावट आई है।

2 रिजर्व बैंक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं रोक सका है। गत 10 वर्षों में वस्तुओं के मूल्य में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि हो गई है जिससे जनता को बहुत कष्ट हुआ है।

3 विदेशी विनियम का नियन्त्रण करने में रिजर्व बैंक को यथेष्ट सफलता नहीं मिली है क्योंकि विदेशी मुद्रा की अत्यधिक चोरी होती है और लोग अनुचित दबाव द्वारा विदेशी मुद्रा के परमिट प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कभी कभी उचित कामों के लिए भी विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

उपसंहार प्रस्तुत विवरण में रिजर्व बैंक के कार्यों का महत्त्व स्पष्ट होता है। वास्तव में रिजर्व बैंक ने देश की मुद्रा तथा बैंकिंग व्यवस्था को काफी चतुराई से संचालित किया है। अनुभव के अभाव में कुछ कमियाँ रह जाना स्वाभाविक है अतः कुल मिलाकर यह कहना सवया उचित है कि रिजर्व बैंक अपने कार्य में यथेष्ट सजग एवं सफल रहा है।

अभ्यास के प्रश्न

- 1 रिजर्व बैंक के संगठन पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
- 2 रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के क्या कारण थे? क्या आप उन कारणों से सहमत हैं?
- 3 सही उत्तर को चिह्नित कीजिये
(क) रिजर्व बैंक के संचालक मंडल में कितने सदस्य हैं?
16/20/15
(ख) उनमें से कितने डिप्टी गवर्नर हैं 2/5/3/4
(ग) गवर्नर का कार्यकाल कितना है 4 वर्ष 5 वर्ष
(घ) अग्र्य संचालकों का कार्यकाल कितना है 5 वर्ष 3 वर्ष, 4 वर्ष
(ङ) रिजर्व बैंक की पूंजी कितनी है? 5 करोड़ रु, 10 करोड़ रु
- 4 रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं? उनमें से दो पर विस्तृत नोट लिखिये।
- 5 रिजर्व बैंक को भारतीय बैंक व्यवस्था पर नियन्त्रण के क्या अधिकार हैं तथा वह उनका किस प्रकार प्रयोग करता है?

- 6 रिजर्व बैंक तथा सरकार के सम्बन्ध पर एक नाट लिखिये ।
- 7 रिजर्व बैंक द्वारा साख नियन्त्रण के लिये क्या साधन अपनाये जाते हैं, स्पष्ट विवेचन कीजिये ।
- 8 रिजर्व बैंक का प्रामीण साख में क्या योगदान है, विवेचन कीजिए ।
- 9 औद्योगिक सस्याओं के लिए धन की व्यवस्था करने में रिजर्व बैंक ने क्या किया है, स्पष्ट लिखिए ।
- 10 रिजर्व बैंक अपने उद्देश्यों में कहीं तक सफल हुआ है स्पष्ट कीजिए ।
- 11 उत्तर लिखिये ।
 - (क) बैंको के निरीक्षण का भार रिजर्व बैंक के विभाग पर है ।
 - (ख) कुल नोट निगमन के पीछे रिजर्व बैंक प्रतिभूति जमा रखता है जिसमें स्वण तथा - विदेशी विनिमय होना आवश्यक है ।
 - (ग) रिजर्व बैंक केवल बैंको को ऋण देता है ।
 - (घ) रिजर्व बैंक एक पत्रिका प्रकाशित करता है ।
 - (ङ) कृषि साख की सहायता के लिए रिजर्व बैंक में (1)
(2) नामी दो कोष बनाये गये हैं ।

अध्याय 6

भारतीय चलन का इतिहास

(History of Indian currency)

भारत में प्राचीन काल से ही स्वण मुद्रा चलन में थी किन्तु मुगलो तथा अंग्रेजों के शासन काल में चांदी की मुद्राओं का विनाश प्रचार हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सन् 1835 में सारे देश में 180 ग्राम वजन (एक तोला) का चांदी का रुपया प्रचारित कर दिया। 1892 ई० में चांदी के रुपये की डलाई बन्द करनी पड़ी क्योंकि चांदी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आ गई। डलाई बन्द करने से अंग्रेजों रुपय की स्थिति पुन ठीक हो गई और सन् 1902 के पश्चात् चांदी की स्वतंत्र मुद्रा डलाई आरम्भ कर दी गई। इस समय रुपय की विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पस चल रही थी किन्तु प्रथम युद्धकाल में भारत के निर्यातों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण विनिमय दर 2 शिलिंग 10½ पस तक पहुँच गई। फलतः डॉबिंगटन स्मिथ समिति ने (1920 में) रुपय की विनिमय दर 2 शिलिंग स्वण (अर्थात् 2 शिलिंग 10½ पस स्टर्लिंग) निश्चित करने का सुझाव दिया। सरकार ने इस सुझाव को मान लिया। किन्तु ऊँची दर निश्चित करने से देश के निर्यातों को बहुत हानि पहुँची जिससे विनिमय दर गिर कर 1 शिलिंग 4 पस से भी नीचे आ गई। 1925 में इंग्लैंड ने स्वणमान अपना लिया। इन परिस्थितियों में भारत के सामने तीन मुख्य समस्याएँ थीं

- 1 भारतीय रुपये की विनिमय दर क्या हो ?
- 2 भारत किस प्रकार का मुद्रा मान अपनाय ? तथा
- 3 भारत में मुद्रा व्यवस्था का संचालन करने के लिए एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता है या नहीं।

इन सब समस्याओं के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए भारत सरकार न अगस्त 1925 में एडवर्ड हिल्टन मग की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया।

हिल्टन मग आयोग के सुझाव

हिल्टन मग आयोग ने 1926 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें निम्नलिखित सिफारिशों की गई थी।

(1) स्वर्ण धातु मान (Gold Bullion Standard) हिल्टन आयोग के सामने यह समस्या थी कि दश में स्वर्ण विनिमय मान, स्टर्लिंग विनिमय मान स्वर्ण मुद्रा मान तथा स्वर्ण धातु मान में म वीन की मुद्रा व्यवस्था अपनाई जाय। आयोग ने पहली तीन व्यवस्थाओं को अस्वीकार कर लिया और देश में स्वर्ण धातु मान अपनाय की सिफारिश की।

स्वर्ण विनिमय मान के दोष जहाँ तक स्वर्ण विनिमय मान और स्टर्लिंग विनिमय मान का प्रश्न था, यह दोनों व्यवस्थाएँ समान थी क्योंकि स्टर्लिंग स्वर्ण पर आधारित था। स्वर्ण विनिमय मान सस्ता तथा सोचदार था परन्तु आयोग ने उसे निम्नलिखित कारणों में उचित नहीं बताया।

(क) यह सरल नहीं था क्योंकि इसका संचालन स्टर्लिंग तथा रुपय के ट्रापटो द्वारा किया जाता था।

(ख) इस चलान के लिए दो कोष रखने पड़ते थे।

(ग) यह व्यवस्था स्वयं संचालित नहीं थी।

(घ) इसमें जनता का विश्वास नहीं था क्योंकि मुद्रा के बदले स्वर्ण केवल विदेशी भुगतान के लिए मिलता था।

(ङ) इसने अन्तर्गत रुपय का गठबन्धन स्टर्लिंग से था अतः स्टर्लिंग में होने वाले परिवर्तन का रुपय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था।

स्वर्ण मुद्रा मान को अनुपयुक्त हिल्टन आयोग ने स्वर्ण मुद्रा मान को भी भारत के लिए अनुपयुक्त समझा क्योंकि

(अ) इसमें सोन के सिक्के चलन में रहते थे अतः वह बहुत खर्चीला था।

(ब) यह बहुत बेलोचदार था और मुद्रा की मात्रा आवश्यकतानुसार बढ़ाई नहीं जा सकती थी।

उपरोक्त कारणों से आयोग ने स्वर्ण धातु मान (Gold Bullion Standard) को ही श्रेष्ठ माना। वास्तव में इंग्लैंड ने स्वर्ण धातु मान अपनाया था अतः आयोग ने भारत के लिये भी यही मान अपनाने की सिफारिश की। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। स्वर्ण धातु मान के अन्तर्गत स्वर्ण का मूल्य 21 रु० 3 आने 10 पाई (21 24 रुपये) प्रति तोला घोषित कर दिया गया और सरकार इस मूल्य पर स्वर्ण खरीदने और बेचने के लिये बाध्य थी किन्तु शत यह थी कि 400 औंस (1065 तोने) से कम स्वर्ण खरीदा या बेचा नहीं जा सकता था। यह मात्रा भी स्वर्ण के 40-40 औंस के टुकड़ों में दी जा सकती थी।

साम्प्रत इस प्रकार देश में एक ऐसी मुद्रा व्यवस्था स्थापित की गई जिसमें स्वर्ण मुद्रा के सब गुण किन्तु एक भी अवगुण नहीं था। यह बात स्वर्ण धातु मान का निम्नलिखित विशेषताओं से स्पष्ट हो जाती है

- (I) इसमें मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील थी अतः जनता को इसमें पूरा विश्वास था।
- (II) मुद्रा प्रसार का भय नहीं था।
- (III) मुद्रा स्टैबिलिटी पर निर्भर नहीं थी।
- (IV) मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव आने की आशंका नहीं थी।
- (V) स्वर्ण मुद्रा चलन में नहीं रहती थी अतः स्वर्ण घिस कर नष्ट होने की आशंका नहीं थी।
- (VI) स्वर्ण कोष में जमा रहता था अतः भविष्य में स्वर्ण धातु मान अपनाया जा सकता था।

व्यवहार में स्वर्ण धातु मान यद्यपि सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह जनता द्वारा मागे जाने पर 21 रु० 3 आने 10 पाई प्रति तोला की

दर से स्वण देगी परन्तु व्यवहार में वह सदा स्टलिंग ही देनी थी अतः वास्तव में स्वण धातु मान के स्थान पर स्टलिंग विनिमय मान की स्थापना हो गई थी।

(2) विनिमय दर आयोग के सामने दूसरी समस्या यह थी कि रुपये की विनिमय दर क्या निर्दिष्ट की जाय। इस सम्बन्ध में आयोग के सदस्यों में ही दो मत थे। एक मत का यह बयान था कि रुपये की विनिमय दर 1 गिनिंग 6 पस रखी जाय जबकि दूसरा पक्ष 1 शिलिंग 4 पैसे की दर का उचित समझता था। दोनों पक्षों ने रुपये की विनिमय दर के सम्बन्ध में अपने अपने तर्क प्रस्तुत किये जो निम्नलिखित थे

1 शिल 6 प के पक्ष में तक

1 गि 4 प के पक्ष में तक

(1) स्वाभाविक यह दर 2-3 पस से स्याई हो गई थी अतः यह स्वाभाविक दर है। इसी दर पर मूल्य तथा भ्रजदूरी आदि स्थिर हो चुके हैं अतः यदि इसमें परिवर्तन किया गया तो बहुत गड़बड़ होने की आशंका है।

(2) मूल्यों में समानता इस पर वस्तुओं के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गये हैं और इसमें परिवर्तन करने पर यह साम्यता नष्ट हो जायगी अतः 18 पस की दर में कमी नहीं की जानी चाहिये। इसके साथ यह भय भी प्रकट किया गया कि दर में कमी करने पर देश में आयात होन वाली वस्तुओं के मूल्य 125 प्रतिशत बढ़ जायगे।

(1) 1 गि 6 प की दर स्वाभाविक नहीं है क्योंकि इसे सरकार द्वारा जोड़-तोड़ कर बनाने की चेष्टा की गई है। इसके विपरीत 16 पस की दर 30-40 वर्षों तक स्थिर रही है। अतः स्वाभाविक दर वही है।

(2) 16 पस की दर के समर्थक सर पुरपोलम दास ठाकुरदास ने आकड़े देकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की भारतीय मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के समान नहीं आए हैं अतः उनका गिरना स्वाभाविक है। इसीसे 16 पैसे की दर ही अपनाई जानी चाहिये।

(3) विदेशी विनिमय 18 पस की दर के पत्रपातियों का क्या था कि ऊंची दर रखने से भारत सरकार ब्रिटिश सरकार को जो गृह शुल्क (Home charges) देती है वह रुपये में कम देना पड़ेगा। इससे देश की विदेशी विनिमय की स्थिति में सुधार होगा।

(4) ठेके तथा ऋण के सौदे आयोग के अधिकतर सदस्यों का मत था कि गत 23 वर्षों में आयात तथा ऋण के जो सौदे हुए हैं यह 18 पस की दर पर हुए हैं अतः दर 16 पस कर देने से भारत के आयात करने वालों को अधिक रुपये चुकाने पड़ेंगे।

(5) चांदी की मुद्रा की सुरक्षा 18 पस के समयकों का मत था कि यदि विनिमय दर 16 पस कर दी जाय तो चांदी का भाव 43 पस प्रति औंस से अधिक होने ही लोग रुपये की मुद्रा गना कर चांदी बेचने लगेंगे। इससे विपरीत विनिमय दर 18 पस रखने से चांदी का भाव 40 पस प्रति औंस होने तक रुपया सुरक्षित रहेगा।

(3) 16 पस की दर के समयकों में यह मत प्रकट किया कि ऊंची दर रखने से देश के निर्यातों की बहुत हानि होगी और आयात बढ़ेंगे अतः विदेशी विनिमय की समस्या बहुत जटिल होने की आशंका है।

(4) 16 पस के समयकों का यह मत था कि 18 पस की दर पर बहुत अधिक सौदे नहीं हुए हैं। इसके विपरीत देश का निर्यात कम होने से भारत से स्वर्ण निर्यात की मात्रा बढ़ जायगी और देश को हानि होगी।

(5) 16 पस के समयकों का कहना था कि विनिमय दर को सरकारी दबाव तथा नीति द्वारा ऊँचा रखा जा रहा है अतः इसमें गिरावट आना स्वाभाविक है। यदि दर 16 पस ही रखी जाय तो उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी और रुपये के गनाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

सरकार ने इन तर्कों के आधार पर आयोग के बहुमत की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और रुपये की विनिमय दर 1 पि 6 पस निश्चित कर दी गई।

3 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया हिल्टन यंग आयोग की तीसरी महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि भारत में मुद्रा तथा बैंकिंग व्यवस्था का ठीक प्रकार संचालन करने के लिये एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना करनी चाहिये जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया रखा जाय। इस बैंक को नोट निकालने का एकाधिकार मिलना चाहिये तथा इस पर बैंक के नियमन का दायित्व भी होना चाहिये। सरकार ने इन विचार का भी स्वीकार कर लिया और भारत की विधायिका सभा में रिजर्व बैंक बिल प्रस्तुत किया। दुर्भाग्य से इन बिल का भारी विरोध हुआ और यह पास नहीं हो सका। 1934 में यह बिल फिर विधायिका सभा में रखा गया और पास हो गया। इसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हो गई।

स्टैलिग विनियम मान की स्थापना यद्यपि हिल्टन-यंग आयोग ने देण्ड में स्वर्ण धातु मान की स्थापना का सुझाव दिया था और सरकार ने उसे स्वीकार भी कर लिया था परन्तु व्यवहार में सरकार सदा स्वर्ण के स्थान पर स्टैलिग ही देती थी। इस प्रकार वास्तव में स्वर्ण धातु मान के स्थान पर देण्ड में स्टैलिग विनियम मान स्थापित हो गया था। जब तक इंग्लैंड में स्वर्ण मान या स्टैलिग विनियम मान तथा स्वर्ण धातु मान में कोई अंतर नहीं था परन्तु 21 सितम्बर 1931 को इंग्लैंड ने स्वर्ण धातु मान का त्याग कर दिया। भारत के इंग्लैंड में बहुत गहरे व्यापारिक सम्बन्ध थे अतः भारत सरकार ने रुपये का सम्बन्ध स्टैलिग से बनाम रखने का निश्चय किया। इस प्रकार भारत में सम्पूर्ण स्टैलिग विनियम मान की स्थापना हो गई।

सोने का निर्यात रुपये का सम्बन्ध सोना स्टैलिग से जोड़ने के कुछ समय पश्चात् ही इंग्लैंड में स्वर्ण मूल्य में वृद्धि होनी आरम्भ हो गई अतः भारत से भारी मात्रा में सोना विदेशों को निर्यात जाना आरम्भ हो गया। भारत को जनता ने सरकार से स्वर्ण निर्यात रोकने का अनुरोध किया क्योंकि स्वर्ण निर्यात में भारत को कई हानियाँ हो रही थी जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं।

1 स्वर्ण निर्यात से भारत में स्वर्ण मान के दायारा स्थापित करने की आशा विनीत होती जा रही थी।

2 मुद्रा के पीछे रखने के लिये स्वर्ण विधि के द्वारा सोने की आवश्यकता थी।

3 स्वर्ण के बदले स्टर्लिंग मिल रहा था जिसका मूल निरन्तर गिर रहा था ।

सरकार ने उपरोक्त किसी तक को स्वीकार नहीं किया बल्कि स्वर्ण निर्यात के पक्ष में बहुत से तर्क प्रस्तुत किये जो निम्नलिखित थे ।

1 स्वर्ण प्रायः आर्थिक संकट से छुटकारा प्राप्त करने के लिये जमा किया जाता है अतः यदि जनता आर्थिक संकट के समय उसका उपयोग करे तो यह उचित ही है ।

2 स्वर्ण निर्यात से भारत का विदेशी भुगतान सतुलित हो रहा है जिससे रुपये की विनिमय दर स्थिर रहने की आशा है ।

3 व्यय में भूमि के नीचे पड़ा हुआ स्वर्ण उपयोगी कामों में लगाने के लिये बाहर आ रहा है यह अवस्था उचित ही है ।

4 स्वर्ण निर्यात से भारत को अपने विदेशी ऋण चुकाने में सहायता मिल रही है ।

इस प्रकार भारत से स्वर्ण का निर्यात निरन्तर होता रहा । सन् 1931 से लेकर सन् 1938 तक लगभग 31 करोड़ रुपये का स्वर्ण विदेशों को निर्यात कर दिया गया और इससे भारत में स्वर्ण मान स्थापित होने की प्रायः सभी सम्भावनाएँ नष्ट हो गईं ।

द्वितीय युद्धकाल

युद्धकाल में प्रायः लोगों का धन की पत्र मुद्रा से विश्वास हट जाता है और वह धातु मुद्रा जमा करने लगते हैं । कभी कभी लोग बैंकों से अपनी रकम निकालने लगते हैं । सरकार को नोटों के बदले धातु मुद्रा देने के लिये भी बाध्य किया जाता है । इसी प्रकार युद्धकाल में वस्तुओं का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि उनकी माँग अधिक होती है अतः मुद्रा की माँग में भी बहुत वृद्धि होती है ।

भारतीय मुद्रा पर प्रभाव 3 सितम्बर 1939 को द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया और भारत से विभिन्न प्रकार का उपभोग्य माल युद्ध की

सीमाबा पर निर्यात होना आरम्भ हो गया जिससे न केवल देश के व्यापार तथा उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि मुद्रा की माग तीव्र गति से बढ़ने लगी। इसकी पूर्ति के लिये सरकार ने कई कदम उठाये। इसका फल यह हुआ कि देश में मुद्रा स्फीति होनी आरम्भ हो गई जिस पर नियन्त्रण करना आवश्यक हो गया। देश का निर्यात व्यापार बढ़ने से भारत इंग्लैंड से करोड़ों रुपये का लेनदार हो गया। इस प्रकार युद्ध का भारतीय अर्थ व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। नीचे सभी प्रभावों तथा उन्हें दूर करने के उपायों का वर्णन किया जा रहा है।

1 मुद्रा की मांग युद्ध प्रारम्भ होने के कुछ समय पश्चात् ही जनता ने बाजार के नोटों को धातु मुद्रा में परिवर्तित करने की माग आरम्भ कर दी। सामान्यतः यह माग 1 करोड़ रुपये प्रति सप्ताह थी परन्तु फ्रांस का पतन होने के पश्चात् मई 1940 से यह माग लगभग 45 करोड़ रुपये प्रति सप्ताह तक पहुँच गई। इस प्रकार चांदी के रुपये की माग में अत्यधिक वृद्धि हो गई। रोजगारी की भी बहुत अधिक कमी आ गई और अनेक स्थानों पर रोजगारी के स्थान पर हावसाने के टिकट, पोस्टकार्ड तथा लिफाके आदि काम में लाये जाने लगे।

सरकार ने मुद्रा की इस बढ़ती हुई माग को पूरा करने के लिये निम्न कार्य किये।

(क) जमा करने पर दण्ड 25 जून 1940 को सरकार ने एक अध्यादेश निकाला जिसके अनुसार एक रुपये की मुद्रा की आवश्यकता से अधिक जमा रकना अपराध घोषित कर दिया गया। इसमें रुपये की मुद्रा की मांग कुछ कम हो गई।

(ख) कम चांदी की मुद्रा सरकार ने दूसरा कार्य यह किया कि 26 जुलाई 1940 तथा 23 नवम्बर 1940 के आदेशों द्वारा रुपये तथा अठगैनी की शुद्धता कम कर दी। पहले रुपये की मुद्रा में 165 ग्रैन शुद्ध चांदी होती थी उसकी मात्रा घटा कर 80 ग्रैन कर दी गई। इस प्रकार देश में दो प्रकार के रुपये चलन में आये। इस परिस्थिति में गुपार करने के लिये विन्गेरिया एडवर्ड तथा जाज़ पंचम तथा पष्टम् की मोहर वाले रुपये तथा अठगैनी बापग ले लिये गए। इन मुद्राओं में शुद्ध चांदी की मात्रा अधिक थी।

1943 के पश्चात् सरकार ने रुपये तथा अठन्नी की 50 प्रतिशत शुद्धता भी समाप्त कर दी और नये रुपये तथा अठन्निया चालू किये गये जिनमें चादी की मात्रा नाम मात्र की रखी गई। यह काम दो कारणों से किया गया प्रथम यह कि मुद्राएं बनाने में कम चादी का प्रयोग हो दूसरे यह कि लोग अधिक चादी के लोभ में सिक्कों को गलाए नहीं।

(ग) छोटे नोटों का चलन रुपये की मुद्रा की मांग की पूर्ति करने के लिए सरकार ने 1940 में एक रुपये का नोट चालू किया। फरवरी 1943 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा 2 रुपये का नोट भी चालू किया गया। एक रुपये के नोट को रुपये की मुद्रा के समान ही माना गया और बड़े नोटों के बदले अब रुपये की मुद्रा के बजाय एक रुपये का नोट ही दिया जाने लगा।

(घ) नई रेजगारी का चलन रुपये तथा अठन्नी की मुद्रा के अति रिक्त देश में छोटी रेजगारी की भी बहुत कमी आ गई और बाजार के नोट बढ़ते पर चलते लगे। इन स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने दोहरी कायवाही की। पहली के अनुसार रेजगारी जमा करना अपराध घोषित कर दिया गया। दूसरे, सस्ती तथा हल्की मुद्राएं निकाली गई।

जनवरी 1942 में निकल और पीतल के मिले हुए धातु का अधन्ना निकाला गया। धम्बई की टक्काल से इक्की तथा दक्की के नए सिक्के ढालने आरम्भ किये गये। इधर तांबे का पैसा चलन से गायब हो गया था क्योंकि लोगों ने इसे गला कर तांबे के भाव बेचना आरम्भ कर दिया। इसलिये फरवरी 1943 में तांबे का छेद वाला हल्का पैसा निकाला गया परन्तु लोगों ने इसे वाशर के रूप में कॉम में लेना शुरू कर दिया अतः कुछ समय पश्चात् ही बिना छेद वाला छोटा पैसा निकालना पडा।

उपरोक्त सब उपाय रेजगारी की कमी दूर करने के लिये किये गये।

2. मुद्रा प्रसार युद्धकाल में मुद्रा की मांग बढ़ने से उसमें तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसका अनुमान इस तथ्य से लगता है कि सन् 1939 में देश में कुल 179 करोड़ रुपये की पत्र मुद्रा चलन में थी जो बढ़कर जून सन् 1945 में 1152 करोड़ रुपये तक पहुँच गई।

इस मुद्रा-स्फीति के कई कारण थे

क उद्योग तथा व्यापार में विकास के कारण मुद्रा की माग में वृद्धि हुई जिसकी पूर्ति करना आवश्यक था,

(ख) सनाथा को भेजने के लिये वस्त्र, अन्न तथा चीनी आदि उपभोक्ता पदार्थों को खरीदने के लिये नई मुद्रा चलन में डाली गई है।

(ग) भारत सरकार के रक्षा-व्यय में भी वृद्धि हो गई थी जिसे नोट निकाल कर पूरा करना पड़ा।

(घ) भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को मुद्रा संचालन के लिये माल उधार बंधा। इस माल का भुगतान भारतीय व्यापारियों को सरकार द्वारा नोट निकाल कर किया गया अतः मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो गई।

मुद्रा प्रसार के प्रभाव मुद्रा प्रसार होने से देश में प्रायः सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होनी आरम्भ हो गई और यह वृद्धि निरन्तर होती चली गई। इसका एक कारण तो यह था कि व्यापारियों ने आवश्यक माल संग्रह करना आरम्भ कर दिया और उसे काले बाजार में बेचकर लाभ कमाने लगे। दूसरे उपभोक्ता माल का एक निश्चित भाग सनिक् आवश्यकताओं के लिये भेजा जाने लगा जिससे माल की पूर्ति में बहुत कमी आ गई।

उपधार मुद्रा प्रसार के कारण जो महंगाई उत्पन्न हुई उसका प्रभाव दूर करने के लिए निम्नलिखित उपचार किये गये

(क) धूल्य नियंत्रण और राशन व्यवस्था सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण लगाये गये और उनका राशन दिया गया। इन वस्तुओं में खाद्यान्न चीनी, वस्त्र, तेल सीमेंट आदि मुख्य थीं। इन वस्तुओं का वितरण करने के लिए सस्ती दुकानें खोलने की व्यवस्था की गई।

(ख) महंगाई भत्ता मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव कुछ कम करने के लिए सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की व्यवस्था लागू की गई।

(ग) भये कर जनता से अतिरिक्त मुद्रा राशि खर्चने के लिए नए कर लगाए गए ताकि उनसे प्राप्त राशि खर्च करने के लिए अधिक खर्च न रहे और वस्तुओं की अधिक माग न हो।

(घ) ऋण तथा बचत योजनाएँ सरकार ने जनता से ऋण लेने भी आरम्भ कर दिये ताकि जनता की अतिरिक्त पूंजी का कुछ भाग सरकार के पास आ जाय और मुद्रा प्रसार कम हो सके। बचत योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट तथा रक्षा बचत सर्टिफिकेट निकाले गये जिनमें लगभग 850 करोड़ रुपये जमा हो गये।

(ङ) शुल्कों में वृद्धि सरकार ने रेल के किराये, डाक तार की दरें तथा अन्य सभी प्रकार के शुल्कों में वृद्धि कर दी।

इन सब कार्यों से मुद्रा प्रसार के प्रभाव को कम करने की चेष्टा की गई।

(च) विनिमय नियंत्रण युद्ध आरम्भ होते ही सरकार ने भारत रक्षा नियम लागू कर दिये और उन नियमों के अन्तर्गत समस्त विदेशी मुद्राओं के लेन देन पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में एक नया विभाग विनिमय नियंत्रण विभाग के नाम से स्थापित किया गया। जो बैंक विदेशी मुद्राओं में लेन देन करना चाहते थे उन्हें इस काम के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया।

व्यापार पर रोक भारत सरकार ने आयात निर्यात पर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये और निर्यातों से जो भी आय होती थी वह लाइसेंस प्राप्त बैंकों में जमा करवाना आवश्यक कर दी गई।

खातों पर रोक विदेशी विनिमय का उपयोग उचित रूप में करने के लिये भारत में जितनी जापानी सस्याएँ थी उनके खाते रोक लिये गये अर्थात् उनके द्वारा विदेशी भुगतान बन्द कर दिये गये। इसके अतिरिक्त जापान के अधिकार क्षेत्रों (मलाया, हांगकांग, पूर्वी द्वीप समूह आदि) से भुगतान भी बन्द करने का निश्चय किया गया।

विदेश यात्रा पर रोक विदेशी विनिमय में बचत करने के लिये विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई और रिजर्व बैंक से अनुमति लिये बिना कोई व्यक्ति विदेश यात्रा को नहीं जा सकता था। इस सम्बन्ध में ईराक अरब,

पूर्वी अफ्रीका तथा इंग्लैंड जाने वाले व्यक्तियों की सरलतापूर्वक अनुपति मिल जाती थी ।

(4) साम्राज्य डालर कोष (Empire Dollar Pool)

युद्धकाल में अमेरिका ही एक ऐसा देश था जो युद्ध में लगे हुए देशों को विभिन्न प्रकार का माल काफी मात्रा में दे सकता था । इसलिये जो देश अमेरिका से सामान खरीदते थे उन्हें भुगतान करने के लिए डालर की आवश्यकता पड़ती थी । अतः डालर की माग बहुत बढ़ गई और डालर एक 'डुल्म मुद्रा' (Hard Currency) हो गई ।

डालर की माग इंग्लैंड में सबसे अधिक थी क्योंकि इंग्लैंड को युद्ध का सामान अत्यधिक मात्रा में खरीदना था । इसलिए इंग्लैंड ने ब्रिटिश साम्राज्य के सभी देशों (भारत, आस्ट्रेलिया, यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका, घाना, आदि) से यह समझौता किया कि वह अमेरिका को माल आदि बेचकर जितने डालर कमाएँगे वह सब एक सम्मिलित कोष में जमा हो जाएँगे । इस कोष का नाम साम्राज्य डालर कोष रखा गया ।

कोष का प्रयोग साम्राज्य डालर कोष की रकम बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखी जाती थी और जब भी किसी देश को डालर की आवश्यकता पड़ती वह बैंक ऑफ इंग्लैंड से उसने लिए प्रायता करता था । कोष के सब सदस्य इस बात का ध्यान रखते थे कि डालरों का प्रयोग केवल अनिवार्य आवश्यकता के समय ही किया जाय ।

युद्धकाल में भारत ने डालर कोष में कुल 453 करोड़ रुपये के तुल्य विदेशी मुद्रा जमा की जिसमें लगभग 405 करोड़ रुपये के तुल्य डालर थे । इस राशि में से भारत ने लगभग 339 करोड़ रुपये की मुद्रा व्यय कर दी, जो डालर कोष में जमा रखी गई । गत वर्षों में भारत को बहुत अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता रही है । इस आवश्यकता को डालर कोष पूरा करने में समर्थ नहीं है अतः भारत को इस कोष का सदस्य बन रहने में कोई लाभ नहीं है ।

(5) स्टैरलिंग बालन्स (Sterling Balances) युद्धकाल में ब्रिटिश सरकार को स्टैरलिंग के सामान के अनिश्चित मूल्य के नियंत्रण, वस्तु, आदि

चीनी तथा अनेक अन्य पदार्थों की आवश्यकता थी। भारत में ब्रिटीश शासन था अतः ब्रिटिश सरकार को युद्ध प्रयत्नों में सहायता देना स्वाभाविक था। यह सहायता कई प्रकार से दी जा सकती थी परन्तु ब्रिटिश सरकार ने भारत से माल खरीदना उचित समझा। भारत सरकार यह माल अपने देश के व्यापारियों अथवा उद्योगपतियों से खरीद लेती थी और ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार भेज देती थी। इस माल का भुगतान भारतीय व्यापारियों को नोट निकाल कर तत्काल कर दिया जाता था और ब्रिटिश सरकार उतनी राशि की हुडिया भारत सरकार को भेजती रहती थी। इस प्रकार युद्धकाल में भारत इंग्लैंड को निरन्तर ऋण देता रहा और बदले में हुडिया अथवा प्रतिभूतियाँ प्राप्त करता रहा। यह रकम पौंड पावने कहलाती है।

राशि पौंड पावने की राशि में निम्न प्रकार वृद्धि हुई

वर्ष	पौंड पावने (करोड़ रुपये में)
1939	64
1940	91
1941	169
1942	211
1943	394
1944	755
1945	1,182

युद्ध आरम्भ होने से पूर्व भारत ब्रिटिश सरकार का लगभग 500 करोड़ रुपये से कमदार था परन्तु युद्धकाल में वह साहूकार बन गया। युद्ध समाप्त होने के पश्चात् भी पौंड पावने की राशि में नियमित वृद्धि होती गई और 1947 में वह 1662 करोड़ रुपये तक पहुँच गई।

भुगतान युद्ध समाप्त होते ही पौंड पावने के भुगतान की चर्चा आरम्भ हो गई। इस सम्बन्ध में इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री चर्चिल ने यह विचार प्रकट किया कि पौंड पावने की राशि में कमी की जानी चाहिये

क्याकि इग्लैंड ने युद्ध केवल अपने लिये ही नहीं जगा है। दूसरा कारण यह दिया गया कि इग्लैंड का युद्धकाल में जो माल दिया गया है ऊँचे भाव पर दिया गया है अतः उसकी रकम घटाना सबया उचित है। चर्चित महोदय के इन विचारा का भारत तथा अन्य देशों में भी अत्यधिक विरोध किया गया। इसी बीच इग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बन गई जिसने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की और उसके पौंड पावनों को पूरा रूप में चुकाने की घोषणा की।

समझौते भाग्यीय पौंड पावनों का चुकाने के लिये 1947 1948 1949 तथा 1951 में चार समझौते किये गये। इन समझौतों में भारत को पौंड पावनों की रकम में से प्रति वर्ष कुछ रकम निवाने की अनुमति दी गई थी।

इन सब समझौतों में सन् 1948 का समझौता सबसे अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि 1947 में भारत स्वतन्त्र हो गया था और पाकिस्तान की स्थापना भी हो गई थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने भारत में बहुत अधिक सैनिक सामान छोड़ा था उसका हिस्सा भी करना था। भारत के स्वतन्त्र होने पर अनेक भूत पूर्व ब्रिटिश अफसरों ने भारत छोड़कर इंग्लैंड में बसने का निणय किया अतः उनकी पेंशन आदि के सम्बन्ध में भी कुछ समझौता करना आवश्यक था। इन सब बातों का ध्यान रमते हुए पौंड पावनों की कुल राशि जो इन समय 1550 करोड़ रुपये के तुल्य थी निम्न प्रकार से भुगतान करने का निश्चय किया गया।

1	फौजी सामान का मूल्य	133	करोड़ रुपये
2	ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन	224	" "
3	पाकिस्तान का भाग	126	" "
4	भारत का दोष देना रहा	1067	" "
योग		<u>1550</u>	

भारत ने 1951 के पश्चात् इस राशि में से बहुत सारी रकम लेनी है क्योंकि पञ्चवर्षीय योजनाओं के कारण भारत को विदेशों में ऋणों तथा अन्य सामान खराना पडा है। 5 मार्च 1965 को यह राशि लगभग 69 46 करोड़ रुपये के तुल्य रह गई थी।

पौड पावने भारतीय जनता को कष्टों की कहानी है अत यदि उनका प्रयोग जनता के कष्ट निवारण के लिए किया गया है तो उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। प्रारम्भिक वर्षों में इनका प्रयोग विदेशों से खाद्यान्न आयात करने के लिए किया गया था जो अत्यन्त आवश्यक था। बाद के वर्षों में भी पौड पावनों का प्रयोग सफ़्ट की स्थिति में छुटकारा पाने के लिए हुआ है।

युद्धोत्तर काल

द्वितीय युद्ध के समाप्त होते ही सरकार ने देश की अर्थ-व्यवस्था को युद्ध से पहले की स्थिति में लाने के प्रयत्न आरम्भ कर दिये। युद्धकाल में देश की जनता को बहुत कष्ट उठाने पड़े थे क्योंकि उन्हें प्रायः सभी आवश्यक वस्तुओं के उपभोग की मात्रा कम कर देनी पड़ी थी। इसी प्रकार मुद्रा सम्बन्धी लेन देन तथा महंगाई की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण कार्य किये।

(1) बड़े नोटों को बन्द करना युद्धकाल में आवश्यकता की प्रायः सभी वस्तुओं में चोर बाजार, भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी बढ़ गई थी और अधिकारी लोग अनेक अनुचित रीतियों द्वारा धन कमाने लगे थे। व्यापारियों तथा उद्योगपतियों ने भी मुनाफाखोरी तथा सग्रह द्वारा अत्यधिक धन जमा कर लिया। सरकार की यह इच्छा थी कि इस प्रकार के राष्ट्रविरोधी तत्वा का पता लगा कर उन्हें दण्डित किया जाय।

सरकार का यह अनुमान था कि अनुचित धन कमाने वाले व्यक्तियों ने अपनी रकम बड़े नोटों में ही सुरक्षित रखी होगी अत यदि बड़े नोटों का चलन बन्द कर दिया जाय तो ऐसे व्यक्तियों का पता चलाना सरल होगा। अतः सरकार ने यह आदेश दिया कि 13 जनवरी 1946 से 100 रुपये से ऊपर की राशि के नोटों का चलन बन्द हो जायगा। जिन व्यक्तियों के पास 100 रुपये से ऊपर की राशि के नोट थे वह उन्हें बदलवाने के लिए दस दिन के भीतर एक आवेदन दे सकते थे। इस आवेदन पत्र में यह भरना पड़ता था कि वह नोट कब, किस व्यक्ति से तथा किस काम के बदले प्राप्त हुए। उस बयान पर किसी अनुसूचित बक या मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर भी करवाने आवश्यक

थे। झूठा दायान देने वाले व्यक्ति को तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों दंड दिये जा सकते थे।

योजना असफल बड़े नोट बन्द कर सरकार चोर बाजार करने वाली धूसखोरों तथा अनुचित कमाई करने वाली को पकड़ना चाहती थी परन्तु कुछ व्यापारियों को इस योजना का पता चल गया और उन्होंने अपने बैंको के माध्यम से सब बड़े नोट गायब कर दिए। यहाँ तक कि बहुत से व्यक्तियों ने बड़े नोट बढ़े पर खरीद कर लाभ भी कमाया। इस प्रकार बड़े नोट बन्द करन का उद्देश्य ही समाप्त हो गया।

(2) रुपये का अवमूल्यन जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे किसी देश की मुद्रा की तुलना में कम कर देता है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं।

द्वितीय युद्धकाल में जो मुद्रा प्रसार का क्रम आरम्भ हुआ था वह युद्ध के पश्चात् भी चालू रहा अतः इंग्लैंड तथा पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में व्यापार की स्थिति बहुत डावाडोल हो गई। इंग्लैंड में मूल्य निरन्तर बढ़ते जा रहे थे और उसका भुगतान सतुलन अत्यधिक विपदा में हो गया था। अतः 18 सितम्बर 1949 को इंग्लैंड ने अपने पाँड का 30.5 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि एक पाँड जो पहले 4.03 डालर के समान था अब केवल 2.80 डालर के तुल्य रह गया। इंग्लैंड द्वारा पाँड का अवमूल्यन करते ही 29 अन्य देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। इन देशों के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 65 प्रतिशत भाग इंग्लैंड से होता था। अतः इनके लिए अपनी मुद्राओं के अवमूल्यन के सिवाय और कोई माग नहीं था।

भारत के सामने भी वह समस्या उत्पन्न हुई कि वह रुपए का अवमूल्यन करे या उसे पहली दर पर बनाए रखे। भारत में सर बाता पर विचार कर अन्त में अवमूल्यन करने का निणय किया और रुपये का मूल्य 30.2250 सेंट के स्थान पर 21 सेंट (cent) में तुल्य घोषित कर दिया। इस प्रकार जो शहर पहले लगभग 3 रुपये के तुल्य था वह अब लगभग 4.76 रुपये के बराबर हो गया।

भारत द्वारा अवमूल्यन के कारण भारत द्वारा रुपये का अवमूल्यन करने का निम्नलिखित कारण था

(क) रुपये का बाजार से स्टॉक संचयन गठबंधन चला आ रहा था, भारत स्टॉक क्षेत्र का सदस्य था और भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार ब्रिटेन से था। इसलिए भारत द्वारा अवमूल्यन करना ही उचित था।

(ख) भारत को इंग्लैंड से लगभग 1100 करोड़ रुपये के षॉर्ट पावने वसूल करने थे। यदि भारत रुपये का अवमूल्यन नहीं करता तो षॉर्ट पावनों की राशि रुपया में कम हो जाती।

(ग) भारत द्वारा अवमूल्यन नहीं किया जाता तो देश के निर्यातों में कमी तथा आयातों में वृद्धि हो जाती जिससे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती थी।

अवमूल्यन के प्रभाव रुपये के अवमूल्यन का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित हैं

(क) भारत के निर्यातों में वृद्धि हुई। इसका अनुमान इस बात से लगता है कि 1949 में भारत का निर्यात 480 करोड़ रुपये के तुल्य था जो बढ़कर 1950 में 611 करोड़ रुपये के तुल्य हो गया। यदि डालर क्षेत्र के निर्यातों को अलग भी लिया जाय तो उनकी राशि भी 115 करोड़ रुपये से बढ़कर 151 करोड़ रुपये हो गई।

(ख) भारत को अमेरिका से किये गये अन्न का आयात का बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ा।

(ग) पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया था अतः भारत का पाकिस्तान से व्यापार लगभग ठप्प हो गया।

वास्तव में भारतीय रुपये का जिस मात्रा में अवमूल्यन किया गया वह आवश्यकता से अधिक थी। अतः भारत को अपने औद्योगिक विकास तथा व्यापार में बहुत हानि उठानी पड़ी।

(3) हीनाय प्रबन्धन (Deficit financing) सरकार प्राय यह निश्चित कर लेती है कि उसे किसी वष कुल कितनी रकम खर्च करनी है। उसके पश्चात् वह उतनी आमदनी प्राप्त करने की चेष्टा करती है। इस प्रकार कमी कभी खर्च आमदनी से अधिक हो जाता है। इस कमी की पूर्ति यदि नोट छाप कर करली जाय तो इसे हीनाय प्रबन्धन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि किसी वष भारत सरकार की कुल आमदनी 20 अरब रुपये हो और खर्च 21 अरब रुपये हो और एक अरब रुपये की कमी पूर्ति नोट छाप कर करली जाय तो इसे हीनाय प्रबन्धन कहा जायगा।

भारत सरकार योजना काल में हीनाय प्रबन्धन की नीति अपनाती रही है। प्रथम योजना काल (1951-56) में भारत सरकार द्वारा 415 करोड़ रुपये की राशि का हीनाय प्रबन्धन किया गया। दूसरी योजना में यह राशि 948 करोड़ रुपये के तुल्य थी जबकि तीसरी योजना काल में 550 करोड़ रुपये की रकम नोट निकाल कर प्राप्त करने की आशा है।

प्रभाव हीनाय प्रबन्धन का एक प्रभाव यह होता है कि मुद्रा प्रसार हो जाता है। गत 13 वर्षों में मुद्रा तथा मास की मात्रा में लगभग 2000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह राशि हीनाय प्रबन्धन की राशि से कुछ अधिक है।

गत वर्षों में भारत में मुद्रा प्रसार के कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है जिससे सामान्य जनता को बहुत बुरा जठान पड़ रहा है। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए मुद्रा स्थिति को रोक्ना आवश्यक है। अतः भारत में हीनाय प्रबन्धन की नीति अपनाना उचित नहीं है। इसीलिए सरकार ने पशुप पंच वर्षीय योजना काल में हीनाय प्रबन्धन न करने का निर्दशय किया है।

(4) विदेशी विनिमय सङ्कट जब किसी देश के निर्यात कम और आयात अधिक होता है तो उस विदेशी मुद्रातान करने में बहुत कठिनाई होती है। जब यह स्थिति बहुत बढ़ती हो जाती है अर्थात् विदेशी मुद्रातान का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है तो इसे विदेशी विनिमय सङ्कट की स्थिति कहते हैं।

भारत में भी दामलव मुद्रा अपनाने से हमारी मुद्रा का इन देशों की मुद्रा से अधिक निवृत्त सम्बन्ध स्थापित हो गया है और एक मुद्रा का मूल्य दूसरी में निकालने में कोई कठिनाई नहीं होती।

(iii) नाप तोल में सरलता भारत में अनेक प्रकार के नाप तोल प्रचलित रहे हैं। यहाँ तक कि देश के किसी भाग में 40 तोन का सेर तो वहीं 100 तोले तथा कुछ भागों में 120 तोने तक का सेर माना जाता था। इससे किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। अब सारे देश में नाप तोल के एक तरीके उपकरण चालू करने आवश्यक थे। किन्तु दामलव मुद्रा के बिना मीटर, लिटर या किलोग्राम के मूल्य निकालने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता। अब यह कठिनाई समाप्त हो गई है।

वास्तव में दामलव मुद्रा प्रणाली एक वृत्तान्तिक प्रणाली है। यूजीलड ने इस प्रणाली को अपनाने का बानून पास कर दिया है तथा इंग्लैंड ने यह प्रणाली लागू करना निश्चित कर लिया है। आशा है कि शीघ्र ही ससार के वे देश भी दामलव मुद्रा प्रणाली अपना लेंगे।

पत्र मुद्रा प्रणाली भारत में सन् 1860 तक तीन प्रेसीडेंसी बैंक नोट निकालने का काम करते थे परन्तु उसके बाद यह कार्य भारत सरकार ने सम्भाल लिया। सरकार द्वारा नोट निकालने का कार्य 31 मार्च 1935 तक किया गया परन्तु 1 अप्रैल 1935 से पत्र मुद्रा निकालने का भार रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया।

नोटों का स्वरूप भारत में 1 2 5 10 50 100 500 1000, 5000 तथा 10 000 रुपये के नोट निकाले जा सकने हैं। इनमें से 50, 500 तथा 5000 रु० के नोट प्रचलित नहीं हैं। शेष नोट चलन में हैं। इन नोटों में भी एक रुपये का नोट भारत सरकार निकालती है। वास्तव में यह नोट द्वितीय युद्धकाल में एक रुपये के सिक्के की कमी की पूर्ति के लिए लागू किया गया था। आज भी 1 रुपये के नोट का हिसाब 1 रुपये के सिक्के के साथ ही लिखा जाता है और वैधानिक दृष्टि से इसका 1 रुपये के सिक्के के समान ही दर्जा है।

1 रुपये के नोट के अतिरिक्त गेप नोट रिजर्व बैंक द्वारा निकाले जाते हैं और उन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत के सब नोट रिजर्व बैंक के आदेश पर भारत सरकार के नासिक स्थित प्रेस में छापे जाते हैं।

नोटों के पीछे कोप रिजर्व बैंक जितने नोट निवानना है उनके पीछे कुछ काप रखा जाता है। 5 अक्टूबर 1956 तक यह नियम था कि रिजर्व बैंक जितने नोट निवाले उनका कम से कम 40 प्रतिशत भाग स्वण या विदेशी प्रतिभूतियाँ के रूप में कोप में रखे। इसमें भी कम से कम 40 करोड़ रुपये के मूल्य का स्वण होना आवश्यक था। उस समय स्वण का मूल्य 21 24 रुपये प्रति तोला आता था।

1956 का वर्ष प्रथम योजना का अन्तिम वर्ष था जबकि देश में व्यापार तथा उद्योगों की उन्नति के कारण मुद्रा की मांग की पूर्ति करने में 40 प्रतिशत कोप रखना कठिन था अतः 6 अक्टूबर 1956 से नोटों के पीछे कोप रखने सम्बन्धी नियम बदल दिया गया। इसके अनुसार नोटों के पीछे रखे जाने वाले कोप की कुल मात्रा 115 करोड़ रुपये के मूल्य का स्वण तथा 400 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ निश्चित की गई। इतना काप रखकर किसी भी मात्रा में नोट निकाले जा सकते थे और विशेष परिस्थितियों में प्रतिभूतियाँ की मात्रा 300 करोड़ रुपये तक गिरने दी जा सकती थी। इसे 'न्यूनतम कोप प्रणाली (Minimum Deposit System)' कहते हैं।

31 अक्टूबर 1957 के परिवर्तन के पश्चात् अब कुल पत्र मुद्रा के पीछे कम से कम 200 करोड़ रुपये के मूल्य के काप रखन अनिवार्य हैं। किसी भी समय इस कोप में कम से कम 115 करोड़ रुपये का सोना या सोन के सिक्के होना आवश्यक है। इस प्रकार इस कोप में अधिक से अधिक 85 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ (Securities) हो सकती हैं। भारत सरकार की अनुमति से रिजर्व बैंक विदेशी प्रतिभूतियों को गर्वया समाप्त भी कर सकता है। फरवरी मास में जब विदेशी प्रतिभूतियों की मात्रा 85 करोड़ में गिरनी आरम्भ हुई तो भारत सरकार ने सील चार में रिजर्व बैंक का 16 करोड़ रुपये का सोना देखा। इस प्रकार 5 मार्च 1965 को कोप में विदेशी

प्रतिभूतियों की मात्रा 69 46 करोड़ रुपये और स्वण कोष की मात्रा 133 76 करोड़ रुपये थी।

यूनतम कोष प्रणाली ऊपर दिये गये व्योरे से स्पष्ट है कि भारत में नोट निकालने की यूनतम कोष प्रणाली प्रचलित है। इसे यूनतम कोष प्रणाली इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक निश्चित मात्रा में कोष रख कर कितनी ही राशि के नोट निकाले जा सकते हैं।

भारतीय मुद्रा प्रणाली के गुण दोष ✓

- गुण (1) यह प्रणाली सस्ती और सरल है।
- (2) यह लोचदार है क्योंकि अतिरिक्त नोट इच्छानुसार निकाले जा सकते हैं।
- (3) यह भारत की विकास योजनाओं के लिये बहुत उपयोगी है।

दोष इस प्रणाली में मुद्रा प्रसार का भय है।

उपसंहार भारत की मुद्रा तथा चलन के इतिहास से यह स्पष्ट है कि देश में मुद्रा का विकास देश की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुसार हो रहा है। यह सम्भव है कि आने वाले युग में मुद्रा व्यवस्था को अधिक लोचदार अथवा सरल बनाना पड़े ताकि देश की आवश्यकतानुसार मुद्रा निकालने में लेशमात्र भी बाधा न हो। समय की मांग पूरी करने में उदार नीति का प्रयोग कभी हानिकारक नहीं हो सकता यह सर्वमाय सत्य है।

वर्तमान भारतीय मुद्रामान भारत उन 120 देशों में से एक है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। मुद्राकोष के सब सदस्यों की मुद्राएँ डालर पर आधारित हैं अर्थात् उनकी विनिमय दरें डालर में निश्चित की गई हैं किन्तु इन सब देशों की मुद्राएँ एक दूसरे पर भी आधारित हैं। इस प्रकार येन (जापान), लिरा (इटली) मार्क (जर्मनी) पैसे (फिलिपीन) पौंड (इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया) यूजीलैंड दक्षिणी अफ्रीका तथा सयुक्त अरब गणराज्य) ये अर्थ मुद्राओं की समता दरें (parity rates) निश्चित हैं अर्थात् यह

एक दूसरे में निश्चित दरा पर परिवर्तित की जा सकती हैं। सक्षेप में कहा जा सकता है कि

- (क) भारतीय रुपया डालर पर आधारित है,
- (ख) भारतीय रुपया 101 अन्य देशों की मुद्राओं पर आधारित है।
- (ग) भारतीय रुपये की दर मुद्रा काय के सदस्य देशों की मुद्राओं में निश्चित है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्राकोष के अन्य सदस्य देशों की भांति ही भारतीय रुपये का मूल्य स्वर्ण में भी निर्धारित है। उदाहरण के तौर पर भारतीय रुपया ०.186621 ग्राम शुद्ध स्वर्ण के तुल्य है अर्थात् एक औंस स्वर्ण का मूल्य 166.667 रुपये (डालरों में 35 डालर प्रतिऔंस) है। मुद्रा कोष में सभी सदस्य देशों के स्वर्ण कोष मौजूद हैं। अतः वैधानिक रूप में सदस्य देशों की मुद्राओं के मूल्य स्वर्ण में निश्चित हैं तथा उनके पीछे मुद्रा कोष में स्वर्ण कोष भी रखा हुआ है। अतः इस व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण विनिमय मान (International Gold Exchange Standard) अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय मान (International Foreign Exchange Standard), अथवा अन्तर्राष्ट्रीय समता मान (International Parity Standard) कहा जाता है।

इस दृष्टि से वर्तमान भारतीय मुद्रामान को भी अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण विनिमय मान विदेशी विनिमय मान या समता मान कहा जा सकता है। यह मान स्वर्णमान (जिसमें अपने देश में स्वर्ण कोष में रखना पड़ता है) से कई दृष्टिकोणों से श्रेष्ठ है

- (क) यह सस्ता है क्योंकि भारत को अलग स्वर्णकोष में रखने की आवश्यकता नहीं है (भारत स्वेच्छा से कोष रखता है यह अलग बात है)
- (ख) यह सरल है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में कोई भी विदेशी मुद्रा उधार ली जा सकती है। पुराने स्वर्ण मान में यह काय स्वर्ण में मुद्रामान कर सम्भव किया जाता था।

(ग) यह सही अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय है क्योंकि भारतीय रुपये का सार के 101 महत्त्वपूर्ण देशों से मौद्रिक सम्बन्ध है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वर्तमान भारतीय मुद्रामान में स्वर्णमान की सब विशेषताएँ मौजूद हैं और उसमें दोष नहीं है। यह स्थिति अत्यन्त सतोषजनक नहीं जा सकती है।

अभ्यास के प्रश्न

- 1 भारतीय चलन के विकास पर प्रकाश डालिये। हिल्टन सम आयोग की नियुक्ति से पूर्व रुपये में कितनी मुद्रा बाँदी थी तथा रुपये की विनिमय दर क्या थी ?
- 2 हिल्टन सम आयोग ने विनिमय दर तथा मान अपनाने का सुझाव दिया।
- 3 हिल्टन सम आयोग की मुख्य सिफारिशों पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिये।
- 4 रुपये की 18 पस दर अपनाना कहाँ तक उचित था उदाहरण सहित लिखिये।
- 5 स्वर्ण धातु मान का क्या अर्थ है भारत सरकार ने जो स्वर्ण धातु मान अपनाया उसमें क्या कमियाँ थी ?
- 6 भारत से स्वर्ण निर्यात (1930-38) के कारणों पर प्रकाश डालिए।
- 7 द्वितीय युद्धकाल का भारतीय मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिये।
- 8 द्वितीय युद्ध काल में मुद्रा की कमी दूर करने के लिये सरकार ने जा उपाय किए उनका संक्षिप्त विवेचन कीजिये।
- 9 खाली स्थानों की पूर्ति कीजिये
 (क) द्वितीय युद्ध काल में भारत के कारण कजदार से हो गया।
 (ख) भारत ने अपनी सम्पूर्ण आरक्षण कोष में जमा करवाई।

(ग) मुद्रकाल में तेजी से मुद्रा हुआ ।

(घ) मुद्रकाल में तथा पर नियंत्रण लगाये गये ।

- 10 द्वितीय मुद्रकाल में मुद्रा प्रसार के क्या कारण थे तथा उसका प्रभाव कम करने के लिए क्या कार्यवाहियाँ की गईं ।
- 11 भारतीय पाँड पावनों पर एक टिप्पणी लिखिये ।
- 12 भारतीय रुपये का अवमूल्यन क्या किया गया ? उसके परिणामों पर प्रकाश डालिये ।
- 13 भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली का विवरण कीजिये ।
- 14 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये
विदेशी विनिमय संकट, हीनाय प्रबंधन विनिमय नियंत्रण, तथा दामलव मुद्रा प्रणाली ।
- 15 यात्रना काल में भारतीय मुद्रा की समस्याओं पर प्रकाश डालिये ।

